खण्ड-310, अंक-10
बुधवार, 23 श्रावण, शक संवत् 1896
(14 अगस्त, 1974 ई0)

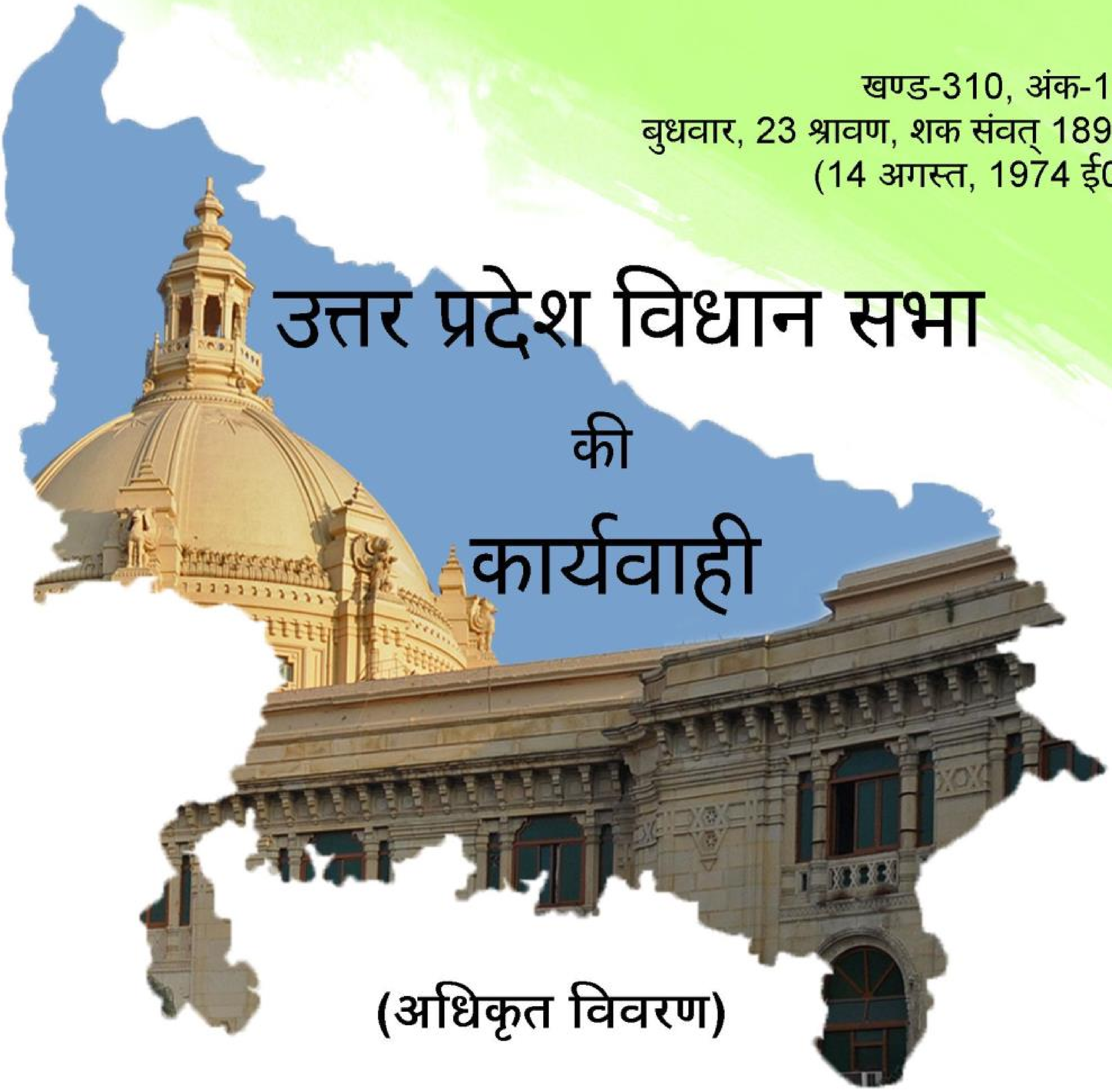

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 310 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1974

मूल्य : बिना महसूल null null, महसूल सहित null null |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल null null, महसूल सहित null null |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १४ अगस्त, १९७४

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य---३८४

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठईराम, श्री
अनवार जमील, श्री उर्फ जिमी मिया (एडवोकेट)
अनवार मोहम्मद, श्री
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्बार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवेद्य नाथ, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदयनाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री (जिला जौनपुर)
ओम प्रकाश सिंह, श्री (जिला मिर्जापुर)
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कल्याण सिंह, श्री
का० मु० मुहीउद्दीन, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशीनाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णाराय, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूद चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा स्वरूप, श्री

गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द्र, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वर पुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा श्री (जिला अल्मोड़ा)
गोविन्द सिंह नेगी, श्री (जिला टिहरी गढ़वाल)
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्रभान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चरण सिंह, डाक्टर
चितरंजन स्वरूप, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री मेहनगर (जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री (जिला बाराबंकी)
जंगबहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगदीश अवस्थी श्री,
जगदीश नारायण त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जटाधर बाजपेयी, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जुगल किशोर यादव, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायन बन महन्थ, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (जिला फर्रुखाबाद)
धर्मबीर, श्री
धर्मबीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्म वीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुवनारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजुराम, श्री
नत्थू सिंह यादव, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हें लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नियाज हसन खां, श्री

उत्तर प्रदेश सभा

निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अंसारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री (जिला देवरिया)
पुरुषोत्तम, श्री (जिला मिर्जापुर)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल वर्मा, श्री (जिला एटा,)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
फजलुररहमान अन्सारी, श्री
फरजन्द अली बेग, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलवीर सिंह यादव, श्री
बलवान सिंह, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बालकृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
ोखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भूपसिंह केन, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
माधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मंजूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मलखान सिंह डाक्टर (जिला जालौन)
मलखान सिंह सैनी, (जिला मुजफ्फरनगर)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुलतान सिंह यादव, चौधरी
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द राजपूत, श्री
मेघ नाथ सिंह शिशोदिया, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह,
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेंद्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री

रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह "जदेव", श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद, चौधरी
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
राम चरन, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
रामजी लाल सेन, श्री
रामजी दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बचन, श्री
राम बाबू, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन सिंह, श्री
रामरति बिन्दु एडवोकेट, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन श्री,
राम समुझ तिवारी श्री
रामसुन्दर पाँडेय श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम सेवक यादव, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रूप प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उपनाम मणी जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायण पांडेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालूराम, श्री
लोकपति, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमारी, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री

शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिवकुमार पांडेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री (जिला आगरा)
शिव प्रसाद, श्री (जिला आजमगढ़)
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामादेवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
संतोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टमटा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बू)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप सिंह नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल लाठ, श्री (जिला रामपुर)
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुबराज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १४ अगस्त, १९७४

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

प्रिंसिपल इन्टर कालेज, झांसी के पदाधिकारियों के अवैधानिक फीस लेने की विरुद्ध शिकायत

*१—श्री राममूर्ति (जिला बरेली)—

क्या शिक्षा मंत्री को १९७३ की जुलाई में प्रिंसिपल इन्टर कालेज, झांसी के पदाधिकारियों द्वारा ३ रु० प्रति छात्र फीस से अधिक वसूल करने के कारण शिकायत की गई है और उसकी एक कापी फरवरी सन् १९७४ के, अन्त में फिर भेजी गई ? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उपर्युक्त कालेज के पदाधिकारियों के विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही हुई और क्या यह भी बतायेंगे कि यह नाजायज रुपया वसूल किया गया वह छात्रों को वापस कर दिया जायगा या नहीं ?

खाद्य तथा रसद मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपयी)--

जी हाँ। शिकायत दिसम्बर, १९७३ में प्राप्त हुई। जाँच कराने पर मालूम हुआ कि उक्त कालेज में कोई अवैधानिक शुल्क नहीं लिया गया। अतः कालेज के पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री राममूर्ति--

क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि वैधानिक रूप से जो तीन रुपये लिये गये उनका किस तरह से इस्तेमाल किया गया ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

मैंने जैसा बतलाया तीन रुपये के रूप में कोई फीस वैधानिक अथवा अवैधानिक रूप से लेने का सवाल नहीं था लिहाजा वह ली नहीं गयी।

*२--श्री भगवती सिंह विशारद--

[पुनर्विचार पर निरस्त]

चुनार, जिला मिर्जापुर के बेसिक पाठशालाओं के भवन

*३--श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि चुनार तहसील, मिर्जापुर में कितने और कौन-कौन बेसिक प्राइमरी पाठशालाओं के लिये भवन नहीं हैं व अर्धनिर्मित हैं ? इन भवनों के तत्काल निर्माण हेतु सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मुझे दुख है कि आज दूसरी बार भी यही जवाब दिया जा रहा है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। प्रश्न केवल इतना है कि चुनाव तहसील, मिर्जापुर में कितने और कौन-कौन बेसिक प्राइमरी पाठशालाएं हैं जिनके लिये भवन नहीं हैं व अर्धनिर्मित हैं। इतनी सूचना एकत्रित करनी थी जिसके लिये कहा जा रहा है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। आपने उनको पहले ताड़ना भी दी थी और उस पर शिक्षा मंत्री ने खेद प्रकट किया था और कहा था कि अधिकारियों को लिख दिया गया है और तुरन्त उत्तर आ जायगा। मेरा जवाब अब कैसे आयेगा जब कि १५ दिन सेशन और चलेगा ? मैं समझता हूं कि अगर सबसे निकम्मे मंत्री कोई हैं तो राम जी लाल सहायक, शिक्षा मंत्री हैं और यह देश का दुर्भाग्य है। आप इस सदन में इसका जवाब कब दिलायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

आज के ही दिन यह सवाल फिर आयेगा और मैं आशा करता हूं कि इसका उत्तर पूर्ण रूपेण दिया जायगा। ३१-७-७४ को भी यह स्थगित किया गया था और उस समय अन्तरिम उत्तर भी यही था।

जनपद जौनपुर के राम जानकी दिनकर इन्टर कालेज जमालपुर तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बडेरी से विज्ञान की परीक्षा में सम्मिलित एवं उत्तीर्ण छात्र तथा अनुमोदित प्रवक्ता की संख्या

*४--श्री प्यारे लाल वर्मा (जिला एटा)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद के अन्तर्गत राम जानकी दिनकर इन्टर कालेज, जमालपुर एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बडरी में सन् १९७२ १९७३ व १९७४ ई० में विज्ञान में कुल कितने छात्र परीक्षा में बैठे और कितने उत्तीर्ण हुए ? और जिला विद्यालय निरीक्षक, जौनपुर ने उक्त कालेजों में विज्ञान के कितने प्रवक्ताओं का अनुमोदन किया तथा उसका आधार क्या है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

सूचना संलग्न तालिका में दी गई है। रामजानकी दिनकर इन्टर कालेज, जमालपुर में सन् १९७२ तथा १९७३ में किसी प्रवक्ता का अनुमोदन नहीं दिया गया। वर्ष १९७४ में इस विद्यालय में दो विज्ञान प्रवक्ताओं का अनुमोदन दिया गया जिसका क्या आधार तथा, इसकी जाँच की जा रही है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़ेरी में वर्ष १९७२, १९७३ तथा १९७४ में किसी प्रवक्ता का अनुमोदन नहीं दिया गया।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १३९२ पर)

श्री प्यारे लाल वर्मा--

क्या मन्त्री महोदय बतलायेंगे कि जौनपुर जनपद के अन्तर्गत राम जानकी इन्टर कालेज में दो विज्ञान प्रवक्ताओं का अनुमोदन किया गया था जब कि उक्त कालेज में ११ छात्र हैं जिनमें चार ही उत्तीर्ण हुए और इस तरह की अनियमिततायें इस कालेज में की गयी हैं और इसकी शिकायत विधायकों ने मुख्य मन्त्री के पास भेजी थी और यह उनको बताया गया कि शिक्षा निदेशक महोदय द्वारा जाँच की जा रही है। इन अनियमितताओं के कारण सरकार पर दो लाख रुपये प्रतिमाह का भार पड़ रहा है, तो क्या सरकार इसकी जाँच करायेगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

सरकार ने जिला निरीक्षक को जौनपुर से ट्रांसफर करके इलाहाबाद में ऐसे स्थान पर रख दिया है जहाँ उनको सीधे जनता से सम्बन्ध न हो और जैसा कि माननीय सदस्य ने बतलाया शिक्षा निदेशक ने कुछ जाँच की है और जाँच के उपरान्त जो गलतियाँ सामने आई है उनकी ओर गहराई से जाँच हो उसके लिये शासन की ओर से प्रयास किया जा रहा है ताकि सही तथ्य सामने आ सकें और तथ्य सामने आने के बाद आगे की कार्यवाही की जायगी।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

ऐसा है कि इस कालेज के अलावा भी कई अन्य कालेजों के बारे में इस तरह की शिकायतें है तो जैसा कि माननीय उमानाथ जी ने जिक्र किया है ऐसे सभी कालेज की जाँच माननीय मन्त्री जी करायेंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

शिक्षा निदेशक ने सब की जाँच की है और जो तथ्य सामने आये हैं उन्ही के आधार पर सतर्कता विभाग को यह मामला भेजा जा रहा है जिससे पूरी जाँच हो और तब फिर अगली कार्यवाही की जायेगी।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

जैसा कि मन्त्री महोदया ने कहा है कि जाँच हुई है और उसी के आधार पर स्थानान्तरण हुआ है। उनके ऊपर एलीगेशन्स ये थे कि उन्होंने डेढ़-दो लाख रुपया पदोन्नति और कन्फरमेशन करके लिये हैं। तो इस बात को दृष्टि में रखते हुए क्या मन्त्री जी आउट-राइट इस मामले को जाँच के लिये सतर्कता विभाग के सुपुर्द कर देंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

सतर्कता विभाग को जाँच के लिये यह मामला सुपुर्द कर दिया गया है।

श्री उमा नाथ (जिला जौनपुर)--

इस तरह की शिकायतों की जब निदेशक महोदय ने जाँच की तो इस बीच स्थानान्तरण आदि के सरकार की ओर से जितने भी आदेश हुए हैं उनको निरस्त करने के बारे में सरकार विचार करेगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

इसको देख लिया जायगा कि अगर कोई ऐसे आदेश हैं तो कार्यवाही की जायेगी।

श्री प्रभु नारायण (जिला वाराणसी)--

क्या माननीया मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगी कि जिनके खिलाफ शिकायतों की जाँच हुई है उनको सस्पेंड करके आगे की जाँच जारी नहीं की जा सकती है ? उनको सस्पेंड करने में क्या दिक्कत है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

फिलहाल तो अभी यह ऐक्शन लिया गया है आगे देखा जायगा कि क्या कर सकते हैं।

सुल्तानपुर के प्रारम्भिक शिक्षकों के प्राविडेन्ट फण्ड का लेखा-जोखा तथा विधान सभा के मध्यावधि चुनाव के भत्ते का भुगतान

श्री श्यामकुमार पाण्डेय (जिला सुल्तानपुर)--

क्या यह सच है कि जनपद सुल्तानपुर में प्रारम्भिक शिक्षकों के प्राविडेन्ट फण्ड का कोई लेखा-जोखा जिला परिषद् सुल्तानपुर में अभी तक नहीं रखा गया है और न शिक्षकों को प्राविडेन्ट फण्ड के लेखे-जोखे का विवरण पत्र ही दिया गया है? यदि हाँ, तो क्यों ? और अब तक उन शिक्षकों को उनके प्राविडेन्ट फ़ण्ड का लेखा जोखा पत्र दे दिया जायगा ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

*६--श्री शिव कुमार पाण्डेय--

क्या यह सच है कि सन् १९६९ में हुए विधान सभा के मध्यावधि चुनाव में कार्य करने वाले जनपद सुल्तानपुर के प्रारम्भिक शिक्षकों को चुनाव भत्ता अभी तक नहीं दिया गया ? यदि हाँ, तो भुगतान न करने का कारण क्या है ? और कब तक भुगतान कर दिया गया ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

श्री शिव कुमार पाँडेय--

मान्यवर, आप मेरे सवाल को देखें, ३१-७-७४ को भी यह स्थगित कर लिया गया था मेरा सीधा सवाल यह था कि वहाँ के प्रारम्भिक शिक्षकों के प्राविडेन्ट फण्ड का कोई लेखा-जोखा जिला परिषद् सुल्तानपुर में अभी तक रखा गया है और न उसका विवरण-पत्र ही दिया गया है। साथ ही दूसरे सवाल में यह पूछा गया था कि इलेक्शन में कार्य करने वाले जनपद सुल्तानपुर के प्रारम्भिक शिक्षकों को चुनाव भत्ता अभी तक नहीं दिया गया है। इस सम्बन्ध में मान्यवर मैं आपकी सहायता चाहता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर इसी बैठक में आप दिला दें।

श्री अध्यक्ष--

३१ तारीख को भी यह स्थगित हो चुका है। इसलिये मैं इसे पुनः स्थगित कर रहा हूं। दो बार कहा जा चुका है कि सूचना एकत्रित की जा रही है यह खेदजनक बात है। अब यह दूसरे सप्ताह में आयेगा।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में विभिन्न श्रेणियों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

*७--श्री सुल्तान सिंह यूसुफ (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है? इनमें कितने कर्मचारी नियमित, अस्थायी और स्थायी हैं और कितने वर्कचार्ज और मस्टर रोल कर्मचारी हैं?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री लक्ष्मी शंकर यादव)--

यह बड़ा वाँछित प्रश्न है। वाँछित सूचना मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रदेश के समस्त अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता तथा उनके उप खण्डों से एकत्रित की जा रही है जिसमें लगभग तीन माह का समय लगेगा।

जिला परिषद् देवरिया के प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूलों में हरिजन अध्यापकों का प्रतिशत

*८--श्री हरिकेवल (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया में जिला परिषद् के प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूलों में हरिजन अध्यापक १८ प्रतिशत से कम हैं? यदि हाँ, तो इस प्रतिशत को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की हुई?

शिक्षा मन्त्री (श्री राम जी लाल सहायक)--

जी हाँ। कमी को पूरा करने के लिये हरिजनों का प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। निर्धारित योग्यता में कुछ छूट भी प्रदान कर दी गयी है तथा सुरक्षित स्थान पर अन्य व्यक्तियों को भर्ती न करने के आदेश भी दिये जा चुके हैं।

मुरादाबाद तथा सम्भल में शिक्षा विभाग के अनुदान से बनी इमारतों को नगर पालिका के अधिकारियों से खाली कराया जाना

*९--श्री शफीउर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)--

क्या यह सत्य है कि मुरादाबाद और सम्भल में शिक्षा विभाग द्वारा दी गई ग्रान्ट्स से बनी हुई स्कूल की इमारतों में इस समय जिला हेल्थ अफसर और एक्जीक्यूटिव अफसर, नगर-पालिका रह रहे हैं? यदि हाँ, तो क्यों और क्या सरकार ने इमारत को तुरन्त खाली करा कर उन्हें बेसिक विद्यालयों को दिये जाने का प्रबन्ध करेगी?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

जी हां। यह भवन नगरपालिका द्वारा अपने अधिकारियों को दिये गये थे।

इन भवनों को खाली कराने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

मान्यवर, जब भी शिक्षा मन्त्री जी से कोई जवाब पूछा गया तो हमें हमेशा अधूरा जवाब ही मिला। एक मामली सा सवाल मैंने २२-६-७४ को दिया था जिसमें मैं समझता हूं कि १५ दिन से ज्यादा समय नहीं लगता किन्तु फिर भी जवाब मुकम्मल नहीं भेजा गया है और केवल कहा गया है कि खाली कराने की कोशिश की जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि नगर-पालिका का जो भवन दूसरे तरीके पर इस्तेमाल हो रहा है जो कि स्कूल के लिये इस्तेमाल होना चाहिये था, कब तक वह खाली कर दिया जायगा ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

जब यह मकान बना था उस समय नगर पालिका स्कूल का काम देख रही थी। उसके बाद जब बेसिक अधिकारी उसको देखने लगा तो वह स्कूल जो नगरपालिका के पास था वह बेसिक अधिकारी के पास चला गया।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

इसमें नगरपालिका ने भी अपने पैसे लगाए थे और शासन के अनुदान से भी मिलकर यह बना था। तब उसमें नगरपालिका के अधिकारी रहने लगे थे। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जब इनको लिया तो इसको खाली कराने हेतु उन्होंने उनको नोटिस दिया। उनको कहा गया है और जिला अधिकारी भी इस की कार्यवाई कर रहे है। आशा यह है कि इसको जल्दी ही खाली करा लिया जाएगा।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)--

जब बेसिक शिक्षा अधिकारी को यह ईमारत ट्रांसफर की गई तो क्या यह उसके पहले ही नगरपालिका के अधिकारी इस बिल्डिंग में चले गये थे या बाद में गये ? यदि बाद में गये तो ऐसा क्यों हुआ ? क्या पहले विभाग ने इसकी जानकारी जिलाधीश को नहीं कराई थी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

पहले से ही स्वास्थ्य अधिकारी और एक्जीक्यूटिव अफसर उसमें रह रहे थे। जब शिक्षा अधिकारी की नोटिस में यह चीज आई तो उस वक्त नोटिस दी है और कार्यवाई हो रही है तथा जिलाधीश भी दिलचस्पी लेकर उसकी कायवाई कर रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह एक्जीक्यूटिव अफसर और हेल्थ अफसर कब से उनमें काबिज हैं तथा यह मामला बेसिक शिक्षा अधिकारी की नोटिस में कब से आया और जिलाधीश ने नोटिस कब दिया ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

तिथि तो नहीं मालूम, लेकिन बेसिक शिक्षा अधिनियम, १९७२ के लागू होने के बाद से ये कार्य और भवन बेसिक शिक्षा अधिकारी के अन्तर्गत आ गये। तब से यह बिल्डिंग खाली कराने की कार्यवाई हो रही है। आप जानते हैं कि मुरादाबाद नगरपालिका अब भी सुपर-सीड़े है, वे वहाँ तभी से रह रहे हैं, वे अब भी उसमें हैं। अब यह कोशिश की जा रही है कि उसको जल्दी से जल्दी खाली करा लिया जाए और स्कूल हेतु ही उसका इस्तेमाल किया जाए।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--

क्या मन्त्री जी बतायेंगी कि अगर तभी से यह कब्जा था, तो बच्चे पढ़ते कहाँ हैं और वे कहाँ रह रहे हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

माननीय सदस्य वहाँ से आते हैं, यह स्वयं मुझे बता दें ।

जनपद मुजफ्फरनगर के शामली व कैराना ब्लाक में सड़कें पक्की करने की स्वीकृति

*१०--श्री हुकुम सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मुजफ्फरनगर जनपद के शामली व कैराना ब्लाक में इस वर्ष कौन-कौन सड़कें पक्की बनने के लिये स्वीकृत हैं और इनका निर्माण कार्य कब शुरू होगा?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

इस वर्ष कोई स्वीकृति नहीं दी गई । प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हुकुम सिंह--

इस वर्ष स्वीकृति नहीं दी गई है और पिछले दो-चार वर्षों से भी नहीं दी गई है, तो क्या आगे जब होगा तब स्वीकृति देंगे ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

मान्यवर, जिन सड़कों पर पिछले वर्ष कार्य हो रहा था, वह जारी रहेगा ।

श्री हुकुम सिंह--

इन दो विकास खण्डों का यह दुर्भाग्य है, जब कि यह प्रदेश को सबसे ज्यादा राजस्व दे रहा है और पिछले ४-५ वर्षों में सार्वजनिक निर्माण मन्त्री की तरफ से इन दो विकास खण्डों में कोई सड़क नहीं दी गई है और अब भी धन के अभाव से उनकी समस्या दूर होती नहीं दिखाई देती । तो जब यह समस्या दूर होगी तो कभी उनके ऊपर मन्त्री जी दृष्टि रखेंगे ?

श्री लक्ष्मी शकर यादव--

धन उपलब्ध होगा तो जहाँ भी सड़कों की जरूरत होगी, उसे उस हेतु प्रदान किया जायगा ।

राजकीय कन्या सीनियर बेसिक विद्यालय, मऊनाथ भंजन, जिला आजमगढ़ की भूमि पर से अवैध कब्जा हटाए जाने की मांग

*११--श्री अब्दुल बाकी (जिला आजमगढ़) तथा श्री जफर (जिला आजमगढ़)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कन्या सीनियर बेसिक विद्यालय, मऊनाथ भंजन (आजमगढ़) के लिये १९६१ में खरीदी गई भूमि का मापन तथा सीमा निर्धारण कार्य अब तक क्यों स्थगित कर दिया गया है और क्या यह सच है कि जयपुरिया को स्वदेशी काटन मिल लि० द्वारा उस भूमि की कुछ भूमि को नाजायज तरीके पर घेर रखा गया है ? यदि हाँ, तो कितनी भूमि पर कब्जा किया गया है और इसके लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

शिक्षा विभाग के नाम दाखिल खारिज न हो सकने के कारण ।

जी, हाँ, १५०० वर्ग गज भूमि पर । अवैध कब्जा हटाने के लिये जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ को लिखा गया है ।

श्री अब्दुल बाकी--

मोहतरमा मन्त्री जी क्या यह बताने की कोशिश करेंगी कि यह जमीन सन् ६१ में शिक्षा विभाग के नाम दी गई थी और उसके बाद जयपुरिया बाद में वहाँ जमीन लेता है, तो क्या यही वजह नहीं है, उसने जबरदस्ती १५०० मुरब्बा गज जमीन कैसे अपने कब्जे में ले ली ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

जो सूचना है शासन के पास उससे ऐसा लगता है कि नीचे स्तर पर इसमें कोई गड़बड़ी हुई है। इसलिये इस पर कार्यवाही हो रही है और यह आदेश दे दिये गये हैं कि २२-४-७४ को पूरी तरह से जमीन की नाप-जोख करके जो अवैध कब्जा है उसको हटाने की पूरी कार्यवाही की जाय।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)--

मैं जानना चाहता हूं कि १३ साल हुए लैण्ड एक्वायर किये हुए अभी तक कब्जा नहीं हटाया गया, क्या यह इसलिये है कि जैपुरिया ने माननीय मन्त्री को और एजूकेशन डिपार्टमेन्ट को राजी कर लिया है कि सरकार जैपुरिया के नाम जमीन ट्रांसफर कर देगी ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो आक्षेप है।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह--

मेरी सूचना है। इसकी आम चर्चा है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न करें आप।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह--

मेरी सूचना को सही समझते हुए कि जैपुरिया ने एजूकेशन डिपार्टमेन्ट और माननीय मन्त्री को स्वयं इस बात के लिये राजी कर लिया है कि यह सरकार उनके नाम जमीन ट्रांसफर कर देगी लिहाजा उसका कब्जा नहीं हटाया जा रहा है, यह सही है या गलत ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

ऐसी बात शासन के सामने नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

इस बात को देखते हुए कि जैपुरिया साहब १५ सौ वर्ग गज जमीन हड़प कर बैठे हुए हैं, इस बात को देखते हुए यह सम्भव है कि जो आपके नीचे के कर्मचारी हैं, उनकी कोई जैपुरिया साहब से मिलीभगत हो, क्या मन्त्री जी इस सदन को स्पष्ट आश्वासन देंगी कि किसी भी हालत में जमीन जैपुरिया को नहीं दी जायगी और उनको बेदखल करके जमीन स्कूल को दे दी जायगी ?

श्री अध्यक्ष--

मिली भगत ठीक नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

वापस कर लेता हूं।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

अभी तक किस हद तक जैपुरिया साहब को कब्जे के रूप में जमीन दे दी गयी है या नहीं दे दी गयी है, उसकी पूरी सूचना हमारे पास इस वक्त नहीं है । लेकिन इतना आश्वासन जरूर देना चाहती हूं कि इस जमीन को लेने के लिए और जो भी वैधानिक कार्यवाही किसी प्रकार से अवैध तरीके से कब्जा कर लिया होगा, वैधानिक तरीके से उसको शासन लेगा, कोई जैपुरिया बड़े आदमी हैं इसलिये उनको जमीन नहीं दी जायगी ।

श्री अब्दुल बाकी--

माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि इस कहने के मुताबिक यह कि उसकी हदबन्दी नहीं हुई, दाखिल खारिज नहीं हुआ, कार्यवाही की जा रही है, फिर कैसे वहां पर तामीर का काम शुरू हो गया, उसकी बुनियादे खोदी जाने लगी, ईंटा मौजूद हो गया, बालू आने लगी, जब सवाल किया तो एक ब एक रुका, क्या उसमें वह आश्वासन नहीं है, वहां के कर्मचारियों ने मिलकर जमीन को जैपुरिया से तय कर लिया, क्या इसके बारे में बतायेंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहती हूं कि अगर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होगी या नीचे किसी प्रकार शासन से सम्बन्धित जो भी इसके लिये दोषी होगा उसके खिलाफ शासन सख्त कार्यवाही करेगा । हमारी गवर्नमेंट किसी प्रकार की पूंजीपतियों की मदद करने नहीं जा रही है ।

बलिया जिले के ग्राम तिराहीपुर को बाढ़ से बचाने हेतु अन्यत्र हटाने की योजना

*१२--श्री रघुनाथ (जिला बलिया)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जनपद के रसड़ा तहसील के अन्तर्गत तिराहीपुर गांव, जिसमें अनेक घर गत वर्ष टोन्स नदी की बाढ़ से बह गये थे की हिफाजत के लिये कौन सा कदम उठाया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई मन्त्री (श्री मोहम्मद महमूद अली खां)--

अभी कोई कदम नहीं उठाया गया है । ग्राम को हटाने की योजना विचाराधीन है ।

श्री रघुनाथ--

क्या माननीय मन्त्री बतायेंगे कि तिराहीपुर गांव में जितने घर गिरे हैं उनकी क्या है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

१३ ।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह--

मान्यवर, यह पिछले साल का मामला है और अभी तक उनको कोई राहत नहीं दी गई है । यह प्रश्न विचाराधीन है कि इस गांव को हटाया जाय या नहीं तो पिछले साल का प्रश्न होने के बावजूद इसको अभी तक न हटाने का क्या कारण है ?

श्री मोहम्मद महमूदअली खां--

इस गांव को हटाने के बारे में जिलाधिकारी को लिखा गया है और वह इस पर कार्यवाही कर रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द हटाया जाय ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, बाढ़ में अक्सर गांव कट जाते हैं और यह मामला पारसाल का है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जिलाधिकारी को पत्र कब लिखा गया और शासन भूमि लेने के लिये कहां विचार कर रहा है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री राममूर्ति--

क्या मन्त्री जी इस पर विचार करेंगे कि इन गांवों को बाढ़ से बचाने के लिये इनका स्तर उठा दिया जाय ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

यह जगह ऐसी है कि स्तर उठाने से पूरी हिफाजत नहीं हो सकती है इसलिये तय किया गया है कि इस गांव को दूसरी जगह आबाद कर दिया जाय ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

मान्यवर, मन्त्री जी ने सही कहा कि बलिया जनपद में टोंस, घाघरा आदि नदियों से काफी कटाव होता है और इनके उठाने से मामला हल नहीं होगा और यह कटाव रोक नहीं पाते हैं । तो मैं जानना चाहूंगा कि जिन लोगों के घर गिर जाते हैं और शरणार्थी की जिन्दगी बिताते हैं उनको बसाने के लिये सरकार के पास क्या कोई योजना विचाराधीन है ।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

मैंने तो अर्ज किया कि इसकी योजना विचाराधीन है । जो ऐसे गांव होंगे उनके लिये तुरन्त कार्यवाही की जायगी ।

श्री रघुनाथ--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि बाढ़-ग्रस्त लोगों को कहां रखेंगे और यह कब तक तय हो जायगा ।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

मैं जिलाधिकारी को फिर लिखूंगा कि तुरन्त कार्यवाही करके इनको बसाने का इंतजाम करें ।

*१३--श्री चेतराम गंगवार--

[पुनर्विचार पर निरस्त]

(माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रश्न १४वां पुकारने पर ।)

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)--

मान्यवर, दस साल पहले सरकार ने इस जमीन के बारे में तय किया था और आज तक पैसा नहीं दिया है ।

श्री अध्यक्ष--

यह तो निरस्त है । अब तो १४वां सवाल होगा ।

बरेली जिले के नगर व देहाती क्षेत्रों के रिटायर बेसिक शिक्षा अध्यापक व अध्यापिकाओं के पेंशन सम्बन्धी मामले

*१४—श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बरेली के नगरीय व देहाती क्षेत्रों से रिटायर हुए कितने बेसिक शिक्षा अध्यापक अध्यापिकाओं की पेन्शन के कागजात दिसम्बर, १९७३ तक बरेली के शिक्षा विभाग के कार्यालयों में पड़े थे और कब से और उन पर अब तक कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं?

श्री राम जी लाल सहायक—

ग्रामीण क्षेत्र के ९ तथा नगरीय क्षेत्र के १८ अर्थात् कुल २७ मामले।

उपर्युक्त में सबसे पुराना प्रकरण १०-६-७२ को प्राप्त हुआ। अब तक १३ मामलों में पेन्शन स्वीकृत की जा चुकी है। अवशेष १४ पर कार्यवाही की जा रही है। विलम्ब का कारण अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा देर से आपत्तियों का निराकरण, सेवा पुस्तिकाओं का अपूर्ण होना, जिला परिषद् और नगरपालिका कार्यकाल के वेतन आदि दावों का अनिर्णीत होना तथा स्वीकृत पुनरीक्षित नवीन वेतनमान संबंधी राजाज्ञा के विलम्ब से प्राप्त होने के कारण १-६-७२ के पश्चात् सेवा निवृत्त अध्यापकों के वेतन-निर्धारण में देरी होना है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग फैजाबाद द्वारा कतिपय मार्गों के लिए गिट्टी सप्लाई हेतु दिए ठेकेदार को गए अग्रिम धन की वसूली

*१५—श्री प्रियदर्शी जेतली तथा श्रीमती रामरती देवी (जिला फैजाबाद), श्री राजबहादुर चन्द (जिला बस्ती), श्री धर्म चन्द मिश्र (जिला फैजाबाद), श्री रेवती शरण मौर्य (जिला मेरठ), डाक्टर श्याम किशोर (जिला सीतापुर), श्री निसार अहमद अन्सारी (जिला फैजाबाद), श्री भगौती प्रसाद शुक्ल (जिला फैजाबाद), तथा श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी)—

क्या सरकार को मालूम है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग अकबरपुर, जिला फैजाबाद द्वारा मार्च, १९७४ में अकबरपुर-सिकन्दरपुर-जलालपुर मार्ग के किलोमीटर ५, ६, ७ में ईंट की गिट्टी सप्लाई करने के लिये संबंधित ठेकेदार को २८,००० रुपये पेशगी (अग्रिम भुगतान) किया गया था? यदि हां, तो निर्धारित समय समाप्त हो जाने के अन्दर सप्लाई न किये जाने के सम्बन्ध में उसके प्रति क्या कार्यवाही की गई?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

प्रश्नगत कार्य से सम्बन्धित ठेकेदार को फरवरी तथा मार्च, १९७४ में रु० २७,६३८ भुगतान किया गया था। ठेकेदार से शासन द्वारा देय धनराशि की वसूली के लिये कार्यवाही की जा रही है।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

अध्यक्ष जी, पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो मेरा प्रश्न है उसका अन्तिम वाक्य बिल्कुल बदला हुआ है। "जब अभी तक गिट्टी सप्लाई नहीं की गई है और समय समाप्त हो गया है, यदि हां, तो क्यों" और जो प्रश्न छपा है उसमें बदला हुआ है कि, "यदि हां, तो निर्धारित समय समाप्त हो जाने के अन्दर सप्लाई न किये जाने के संबंध में उसके प्रति क्या कार्यवाही की गई।"

दूसरे मैं यह जानना चाहूंगा कि ठेकेदार से जो वसूली के लिये आदेश किये जा रहे हैं तो ठेकेदार को एडवांस पेमेंट यदि हुआ तो किस नियम में हुआ और यदि कुल पेमेंट हो गया था तो यह सही नहीं है क्योंकि इसके लिये जरूरी है कि इंजीनियर मौके पर जाकर वैरीफिकेशन करते हैं और तब पेमेंट होता है। तो साइट पर गिट्टी गिरी थी या नहीं, यदि नहीं, तो आज इसका क्या सवाल होता है?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

श्रीमान् जी पेमेन्ट गलत हुआ था। एडवान्स पेमेन्ट नहीं था। पैमाइश करके पेमेन्ट दिखाया, पैमाईश गलत की थी। पहले राउन्ड में पेमेंट दिया, लेकिन गलती किया इसीलिए उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है जो वहां के अभियन्ता हैं, उनको मुअत्तल कल दिया गया है। चीफ इंजीनियर के यहां से एक प्रस्ताव आ चुका है और जो सहायक अभियन्ता हैं उनको भी मुअत्तल कर दिया जायेगा।

श्री काशीनाथ मिश्र--

पेमेन्ट बिल्कुल गलत हुआ। गिट्टी पहले सप्लाई नहीं हुई। जिस अधिकारी ने इसका पेमेंट किया है क्या उसकी तनख्वाह से २८,००० रुपया वसूल करेंगे?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

गलत काम किया इसलिए उनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है। सरकार का पैसा जाने वाला नहीं है। जब यह हुआ कि जांच की जाये तो वह रात दिन गिट्टी रखवाना शुरू कर दिया, लेकिन उस गिट्टी की भी शिकायत आयी। उन्होंने दिखाया कि उसमें कमी है जो मौजूदा गिट्टी है। दूसरे इंजीनियर गये उन्होंने जाकर इसका वेरीफिकेशन किया। जो कमी निकलेगी उसका सारा पैसा काटा जायेगा। उनकी १० प्रतिशत सिक्योरिटी जमा है और उनका अन्य जगहों में पैसा लगा हुआ है। मैं बताना चाहता हूं कि सरकार का एक भी पैसा जायेगा नहीं। इंजीनियर ने गलती की। उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मान्यवर, मैं पूछ रहा था कि...

श्री अध्यक्ष--

आप कहते हैं कि तनख्वाह से ले लिया जाये और वह कह रहे हैं कि वसूल हो जायेगा।

श्री काशीनाथ मिश्र--

जो अधिकारी मुतवातिर रूप से गलती कर रहा है और २८,००० रुपये दे दिए। यह तो ठेकेदार और सरकार का मसला है यहां यह मसला नहीं है, यहां मसला है सरकार और अधिकारी का। उसने कायदे और कानून को तोड़कर ऐसा काम किया है।

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी इजाजत नहीं देता। उसी में उत्तर है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

जिन व्यक्तियों को ससपेन्ड किया है उनको कितने दिनों में बहाल करेंगे?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

गाजीपुर में क़ासिमाबाद-बहादुर गंज-मऊ सड़क पर भैंसही नदी पर लकड़ी के पुल का नव-निर्माण

*१६-श्री रघुवीर तथा श्री झिलमिट (जिला गाजीपुर)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद के अन्तर्गत कासिमाबाद-बहादुरगंज-मऊ जाने वाली सड़क पर भैंसही नदी पर बने लकड़ी के पुल की हालत खतरनाक हो गई है? यदि हां, तो सरकार इसके नव-निर्माण की कोई व्यवस्था कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

जी नहीं! प्रश्न नहीं उठता।

श्री रघुवीर--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो पुल है लकड़ी का है या सीमेंट और ईट का है?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

यह पुल लकड़ी का है।

श्री रघुवीर--

क्या यह पुल १९७१-७२ की बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गया था और उसके कई खम्भे बह गये और यह हालत है कि किसी भी दिन दुर्घटना हो सकती है और बस नदी के अन्दर जा सकती है।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

मान्यवर, हमारी सूचना यह है कि जितनी भी बाढ़ आये यह पुल उसको बरदाश्त करने में संक्षम है। जब कभी इसके खम्भे और पुरानी बल्लियां या जो भी लकड़ी खराब होती है वह हर साल बदल दी जाती है।

श्री राम जनम राय (जिला गाजीपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी यह समझ कर कि दोहरी घाट पुल बन जाने के बाद, गाजीपुर की बड़ी बाजार रास्ते में होने के कारण, वहां से भारी गाड़ियां जाने की हमेशा सम्भावना रहती है, तो माननीय मंत्री जी यह समझकर उस पुल को शीघ्र बनवाने की कृपा करेंगे?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

मान्यवर, जो हमारे पास सूचना है उसके अनुसार वह पुल खतरनाक नहीं है।

इलाहाबाद के प्रतापपुर क्षेत्र में जिला परिषद् द्वारा संचालित स्कूलों के भवनों की मरम्मत हेतु धन की व्यवस्था

*१७--श्री हर प्रताप सिंह (जिला इलाहाबाद)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में बालक/बालिकाओं को प्रारम्भिक शिक्षा जिला परिषद् द्वारा संचालित विद्यालमों में होती है? यदि हां, तो इलाहाबाद जनपद के प्रतापपुर क्षेत्र में जिला परिषद् के गिरते हुये स्कूल भवनों की मरम्मत की कोई योजना सरकार ने बनाई है? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

जी हां। प्रतापपुर क्षेत्र के ४ स्कूल भवनों की मरम्मत हेतु धन की व्यवस्था जिला परिषद द्वारा की गई है तथा ४ स्कूल भवनों के निर्माण हेतु सी० बी० आर० आई० को लिखा गया है।

श्री हर प्रताप सिंह--

मान्यवर, ये जो ४ स्कूल गिरे हैं, ये कहां-कहां के हैं?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

ये चार स्कूल सेंवना, प्रतापपुर, मोइउद्दीनपुर तथा मेड़वा में हैं।

श्री हर प्रताप सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि क्या ये स्कूल इसी साल गिरे हैं कि पहले से गिरे हैं? यदि पहले से गिरे हैं, तो सरकार का ध्यान अब गया?

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

सरकार का ध्यान जब भी गया हो, अब बनने जा रहा है।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

मान्यवर, इमारत गिरने से पहले उसकी मरम्मत कराने की कोशिश क्यों नहीं की गई?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

मान्यवर, आप तो चाहते हैं, भवन बने, तो बन रहा है।

श्री हर प्रताप सिंह--

मान्यवर, यह निर्माण-कार्य ब्लाक द्वारा कराया जायगा कि जिला परिषद् द्वारा?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपयी--

मान्यवर, जिला परिषद् के द्वारा बनवाया जाता है और बाकी स्कूलों को बनवाने के लिए रुड़की को लिख दिया जाता है। इलाहाबाद जनपद में करीब ६७ स्कूलों का निर्माण रुड़की के द्वारा होना है और उसके लिए जो पैसे लगने हैं, वे पैसे दे दिये गये हैं। १९७४-७५ में जिन स्कूलों-भवनों का निर्माण होना है उन पर भी काम आरम्भ होने वाला है।

मैनपुरी की जिला परिषद् में शिक्षा हेतु स्वीकृत धनराशि से स्कूल भवनों के निर्माण में विलम्ब

*१८--श्री जगदीश नारायण त्रिपाठी (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले की जिला परिषद् में अनेक वर्षों से विभिन्न स्तर की पाठशालाओं के निर्माण हेतु लगभग अट्ठारह लाख रुपये की धनराशि बेकार पड़ी हुई है? यदि हां, तो क्यों तथा इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री रामजीलाल सहायक--

जी नहीं, लगभग अठारह लाख रुपये की स्वीकृत धनराशि से स्कूल भवनों के निर्माण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री शिव प्रताप पूर्व माध्यमिक विद्यालय, अमेठी, जिला सुल्तानपुर के प्रबन्धक के विरुद्ध गबन तथा डकैतों को पनाह देने के आरोप

*१९-२०--राजा रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सन् १९७१-७२ में श्री शिव प्रताप पूर्व माध्यमिक विद्यालय, अमेठी, जिला सुल्तानपुर का निरीक्षण करके तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक ने विद्यालय के प्रबन्धक को विद्यालय की बहुत बड़ी धनराशि का गबन करने, उसका दुरुपयोग करने और अत्यानेक भ्रष्टाचार फैलाने का उत्तरदायी ठहराया था? और इसके विरुद्ध शासन से आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया था? यदि हां, तो उस पर आज तक कौन सी कार्यवाही की गई?

क्या सरकार को यह जानकारी है कि उक्त विद्यालय के प्रबन्धक के विरुद्ध डकैतों तथा अन्य असामाजिक तत्त्वों को पनाह देने का गम्भीर आरोप है और इसी के अन्तर्गत उन्हें भारतीय दण्ड विधान की संख्या २१६ की नोटिस भी दी जा चुकी है?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

राजा रणंजय सिंह--

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी कृपया यह बतायेंगे कि इस प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा कब तक की जायगी ?

श्री अध्यक्ष---

यह खेदजनक है। यह अगले दिन आयेगा।

शारदा कैनाल की मड़ियाहूं शाखा में पानी न देने की शिकायत

*२१---श्री राज किशोर तिवारी (जिला जौनपुर)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि शारदा कैनाल की मड़ियाहूं शाखा में जनवरी, १९७३ से अब तक पानी नहीं दिया गया ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

जी नहीं।

शारदा कैनाल की मड़ियाहूं शाखा में जनवरी, १९७३ से जून, १९७४ तक जल की उपलब्धतानुसार २८८ दिन पानी दिया गया।

श्री राजकिशोर तिवारी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि साल में ३६५ दिन होते हैं। इनका इस तरह से मतलब हुआ कि बराबर पानी दिया गया। मान्यवर, कुछ दिनों को छोड़कर मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि बिल्कुल पानी नहीं दिया गया है और यह जो रिपोर्ट दी गई है बिल्कुल गलत दी गई है और क्या मैं यह निवेदन करूं कि हमारी बात को सच मान कर सिंचाई मंत्री इसकी जांच करा देंगे कि यह रिपोर्ट आई है सब गलत है।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

जहां तक रिपोर्ट का सवाल है मेरे पास हर महीने का ब्योरा मौजूद है कि किस-किस महीने में कितने-कितने दिन पानी दिया गया, लेकिन अगर माननीय सदस्य लिख कर दे देंगे तो मैं जांच भी करवा लूंगा।

बेसिक शिक्षा परिषदीय चपरासियों को नये वेतनमानों में वेतन का भुगतान

*२२--डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर) (अनुपस्थित)---

६ जून, १९७४ के तारांकित प्रश्न संख्या १० के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषदीय चपरासियों का वेतन-क्रम जो १ अगस्त, १९७२ से विभाग के अन्य चपरासियों के समकक्ष कर दिया गया है, अब तक नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या नवीन वेतन-क्रम तत्काल दिलाने की सरकार व्यवस्था करेगी ?

श्री रामजी लाल सहायक---

जी हां। नये वेतनमानों में वेतन निर्धारण किया जा रहा है। यह प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात् शीघ्र ही नए वेतनमान में वेतन का भुगतान कर दिया जायेगा।

जिला सुल्तानपुर के कतिपय विकास क्षेत्रों में भवन रहित प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों की संख्या

*२३--राजा रणंजय सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सुल्तानपुर के अन्तर्गत विकास क्षेत्र अमेठी, विकास क्षेत्र मेटुआ और विकास क्षेत्र, मादर में कितने ऐसे प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल हैं जिनके पास भवन नहीं हैं और क्या उक्त विकास क्षेत्रों के अन्तर्गत कितने ऐसे विद्यालय हैं जिन्हें जिला परिषद्, सुल्तानपुर द्वारा सहायता अनुदान प्राप्त होता रहा है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

विकास क्षेत्र, अमेठी, मेंटुआ और मादर में क्रमशः १०, २३ एवं २१ प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल भवन रहित हैं। जिला परिषद् द्वारा अनुदानित विद्यालयों के सम्बन्ध में अभी सूचना प्राप्त की जा रही है।

राजा रणंजय सिंह--

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो भवन अभी तक नहीं बने हैं, उनके बनवाने की क्या व्यवस्था की जा रही है और जो अनुदान नहीं मिल रहे हैं, वे कब तक नहीं मिलेंगे ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

जिन स्कूलों की संख्या मैंने बतायी शासन द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करीब १३,५०० रुपये की दर से प्रत्येक भवन के निर्माण हेतु शीघ्र ही आदेश दिए जा रहे हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन के पास कोई योजना है कि जिससे प्रदेश में जो ऐसे स्कूल हैं जिनके भवन नहीं हैं और बच्चे पेड़ के नीचे बैठ कर पढ़ते हैं, उनके लिए भवन बनवाये जा सकें और अगर है तो क्या ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

पिछली चौथी पंचवर्षीय योजना और इस पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इस प्रकार के भवनों की मरम्मत और निर्माण के लिए सरकार के पास योजना और जितनी धनराशि उपलब्ध होती है उसके हिसाब से अलग-अलग जिलों में उनका आवंटन करके उसकी व्यवस्था की जा रही है और आगे भी की जायगी।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

नये भवनों की बात तो अलग रही। कई वर्षों से जो प्राथमिकशालायें हैं, और जो सी० बी० आर० आई०, रुड़की के डिजाइन के आधार पर बननी थीं, वे कब तक पूरी हो जायेंगीं और जो आरम्भ हो गयी है, वे कब तक पूरी हो जायगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

यह तो मेरे लिए कहना कठिन है कि कब तक पूरी हो जायेंगी, लेकिन सरकार की ओर से सी० बी० आर० आई०, रुड़की द्वारा जो बनायी जाती है, उनको सालाना धनराशि उपलब्ध करा दी जाती है और उसकी दिशा में कार्यवाही की जा रही है।

नलकूप मण्डल, अलीगढ़ को गूलों के निर्माण हेतु दिया गया धन तथा उसका व्यय तथा गूलों में राजकीय नलकूप से पानी न देने की शिकायत

*२४--श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि नलकूप-मंडल, अलीगढ़ में पक्की गूलों, कच्ची गूलों और बरहों के निर्माण के लिये वर्ष १९७२-७३ और १९७३-७४ में कितनी-कितनी धनराशि शासन द्वारा प्रदान की गई और उपरोक्त मंडल में किस-किस उपखंड में किस-किस राजकीय नलकूप पर कितनी-कितनी धनराशि से कितनी लम्बाई की गूलें बनाई गईं ? क्या उपरोक्त गूलों में से कुछ ऐसी भी हैं कि जिनमें मई, १९७४ तक राजकीय नलकूप का पानी गया ही नहीं ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

वर्ष १९७२-७३ और १९७३-७४ में नलकूप मंडल, अलीगढ़ को २८,०६,००० रु० की धनराशि प्रदान की गई। प्रश्नगत मंडल में उपखंडवार, राजकीय नलकूपवार बनाई गई गूलों की लम्बाई एवं उन पर किये गये व्यय का विवरण विस्तृत होने के कारण दिया जाना सम्भव नहीं है यदि माननीय सदस्य चाहें तो यह सूचना मेरे कक्ष में देख सकते हैं। बनाई गई गूलों में से कोई ऐसी नहीं है जिसमें मई, १९७४ तक पानी न चला हो।

लिफ्ट सिंचाई योजना में कार्यरत श्रमिक

*२५--श्री हरि केवल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य की लिफ्ट सिंचाई योजना में इस समय कुल कितने श्रमिक कार्यरत हैं और उनमें से कितने श्रमिक स्थाई हैं, कितने रेगुलर हैं, कितने वर्कचार्ज हैं और कितने दैनिक वेतन भोगी हैं ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

उक्त योजना में इस समय कुल २,७७८ श्रमिक कार्यरत हैं। उनमें से २९ श्रमिक स्थायी, २३७ रेगुलर, २,४०५ वर्कचार्ज तथा १०७ दैनिक वेतन भोगी हैं।

श्री हरि केवल--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो २,७७८ कार्यरत कर्मचारी हैं और जिनमें से २,४०५ कर्मचारी वर्क चार्ज में हैं, उनका सेवा काल कितने-कितने समय का है और उन्हें नियमितः किस-किस अवधि में स्थायी कर दिया जायगा ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

सरकार ने यह तय किया है कि जिन कर्मचारियों का सेवाकाल ३ साल से ज्यादा है, उनको देखभाल करके रेग्यूलर कर दिया जाता है।

श्री हरि केवल--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन कर्मचारियों की सेवाओं को स्थायी करने की निश्चित अवधि क्या है और विभाग द्वारा उसको लागू किया जायगा अथवा नहीं ? इनमें से जितने कर्मचारी हैं उनमें हरिजनों और पिछड़ी जातियों की संख्या क्या है ?

श्री अध्यक्ष--

यह अलग सवाल हो गया। २,४०५ में से कैसे बतायें कि कितने हरिजन और कितने गैर-हरिजन हैं।

श्री ऊदल--

ये २,४०५ जो हैं इनको ३ साल से ऊपर हो गये हैं, क्या इस बात को मंत्री जी जांच करायेंगे कि जिनकी सेवा ३ वर्ष से ऊपर हो गयी है उनको तुरन्त आदेश दिया जायगा कि उनको स्थायी कर दिया जाय ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

शासन फैसला कर चुका है कि जिनकी सर्विस ज्यादा हो गयी है उनको रेगुलर कर दिया जाय। उसके बारे में जरूरी कार्यवाही की जायगी और ज्यों ज्यों होता जा रहा है वह हो जायगा।

उत्तर प्रदेश के राजकीय पालीटेक्निक में तीन साल से अधिक सेवारत प्रशिक्षकों का स्थायी न किया जाना

*२६--श्री वीर सिंह सेंगर (जिला जालौन) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के राजकीय पालीटेक्निक के कितने इन्सट्रेक्टर ऐसे हैं जो विभाग में गत तीन वर्षों से अधिक से सेवारत हैं तथा उनकी सेवायें अभी तक स्थायी नहीं की गईं ? उनको परमानेन्ट न करने के क्या कारण हैं ?

श्री रामजी लाल सहायक--

उत्तर प्रदेश के राजकीय पालीटेक्निकों में केवल ३३८ प्रशिक्षक ऐसे हैं जो विभाग में गत ३ वर्षों से अधिक से सेवारत हैं तथा उनकी सेवायें अभी तक स्थायी नहीं की गई हैं। उनको परमानेन्ट न करने के निम्न कारण हैं :--

(१) इन प्रशिक्षकों में केवल ४६ प्रशिक्षक ऐसे हैं जो लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित हैं तथा शेष आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं हैं।

(२) सेवारत प्रशिक्षकों की नियमित नियुक्ति हेतु प्राविधिक शिक्षा निदेशालय द्वारा १९७० तथा १९७१ में लोक सेवा आयोग को पदों के विज्ञापन एवं नियमित नियुक्ति हेतु अपनी संस्तुतियां भेजने के लिये लिखा जा चुका है लेकिन प्रशिक्षकों ने उच्च न्यायालय में संयुक्त रूप से याचिका दाखिल कर दी है जिसके परिणामस्वरूप आयोग द्वारा चुनाव की कार्यवाही स्थगित है। याचिका के प्रतिपक्ष में विभाग द्वारा प्रतिशपथ-पत्र भी दाखिल किया जा चुका है। उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद इन प्रशिक्षकों के स्थायीकरण के मामले में विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

जो प्रशिक्षक लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित हो चुके हैं तथा स्थायीकरण के पात्र हैं उनके स्थायीकरण के सम्बन्ध में प्राविधिक शिक्षा निदेशालय को निर्देश दे दिये गये हैं।

फर्रुखाबाद जिले की कतिपय सड़कों का निर्माण-कार्य

*२७--श्री अनवार जमील एडवोकेट (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जनपद में खुदागंज से अखनलपुर, रामपुर, मांझगांव होती हुई गड़िया तक सड़क निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है जब कि इसकी स्वीकृति शासन द्वारा दी जा चुकी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव--

प्रश्नगत मार्ग का निर्माण शासन द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है अतः इस मार्ग का निर्माण-कार्य प्रारम्भ किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर जनपद के विकास खण्डों में पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत सड़कें

*२८--श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के सहजनवां तथा पाली विकास खंडों में गत पंचवर्षीय योजनाओं में एक भी सड़क न तो बनी है और न ही बनने के लिये प्रस्तावित हुई? यदि हां, तो क्यों तथा जिले के अन्य विकास खण्डों में जो सड़कें बनीं या प्रस्तावित हुईं उनका आधार क्या था ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री शारदा प्रसाद रावत--

क्या यह मान लिया जाय कि कोई सड़क प्रस्तावित ही नहीं हुई? मेरा सवाल २-७-७४ का है और आज तक यह जानकारी नहीं मिल पायी कि कोई सड़क बनी है या नहीं, प्रस्तावित हुई है या नहीं हुई है उतने ब्लाकों में ।

श्री अध्यक्ष--

यह तो एक दफा स्थगित हो चुका है । इस प्रश्न की प्रकृति ऐसी नहीं है·····

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

दो विकास खण्ड हैं । नीचे के जो प्रश्न हैं उससे साफ हो जाता है कि पूरे गोरखपुर जिले में पिछली तमाम पंचवर्षीय योजनाओं में जितनी सड़कें प्रस्तावित थीं या बनीं सबकी सूचना देनी है, सारे जिले की तो इसमें ज्यादा समय लगेगा ही ।

श्री अध्यक्ष--

ये तो खुद कह रहे हैं कि "गोरखपुर जनपद के सहजनवां तथा पाली विकास खण्डों में गत पंचवर्षीय योजनाओं में एक भी सड़क न तो बनी है और न ही बनने के लिये प्रस्तावित हुई है।" उनकी सूचना सही हो सकती है ।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

जब सारी सूचना आ जायगी तो उससे ही सब बात मालूम होगी । नीचे दे दिया है तमाम विकास खण्डों का ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

यह सड़कें जिला परिषद् और क्षेत्र समिति में प्रस्तावित होती हैं । तो वहां से ही उनको पता चल सकता है, खुद प्रस्तावित करावें·····

श्री अध्यक्ष--

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जो आप सड़कें बनाते हैं उनकी तो जानकारी आपको होनी चाहिये कि पंचवर्षीय योजनाओं में कितनी बनीं·····

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

यह भी बात आपके द्वारा साफ हुई कि सिर्फ सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों के बारे में जानकारी देनी है ।

श्री अध्यक्ष--

विकास खंडों और जिला परिषद् से तो मतलब आपका नहीं रहा न ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

मैंने सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनायी गयी सड़कों के सम्बन्ध में एक सवाल किया था एक महीने पहले और माननीय मन्त्री जी ने अतारांकित प्रश्न के उत्तर में कहा है कि अखरा सहजमवां मार्ग निर्मित किया गया सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा--यह बिलकुल गलत था। लिहाजा वह तो गुमराह कर रहे हैं, मैंने जो पूछा उसका उत्तर तो आसानी से दे सकते थे।

श्री अध्यक्ष--

अगले दिन इसका जवाब आ जाना चाहिये। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जितनी सड़कें बनी हैं उनका पूरा-पूरा ब्योरा तो आप दे ही सकते हैं। अगले दिन के लिये हम इसको स्थगित करते हैं।

देवरिया जिले की बी० टी० सी० कक्षाओं में छात्राध्यापकों के प्रवेश में अनुसूचित जाति के छात्राध्यापक तथा प्रवेश हेतु आवेदन-पत्रों एवं सुरक्षित स्थानों की संख्या

*२९--श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में वर्ष १९७३-७४ की बी० टी० सी० कक्षाओं में कुल कितने छात्राध्यापकों को प्रवेश मिला और उनमें अनुसूचित जाति के कितने थे ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

१९७३-७४ में २५८ छात्राध्यापकों को प्रवेश मिला था जिनमें ४६ अनुसूचित जाति के थे।

*३०--श्री श्रीनारायण--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष १९७४-७५ में देवरिया जिले में बी०टी०सी० कक्षाओं में प्रवेश हेतु कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए और इसमें कितने आवेदन-पत्र अनुसूचित जाति के हैं और कुल कितनी जगहें उसमें अनुसूचित जाति के लिये सुरक्षित हैं?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

कुल २,९८८ आवेदन-पत्र प्राप्त हुए। इसमें ४११ आवेदन-पत्र अनुसूचित जातियों के थे। ४७ जगहें अनुसूचित जातियों के लिये सुरक्षित हैं।

श्री श्रीनारायण--

४७ जनों का नाम लिखा गया है या जगह ही सुरक्षित रहीं ?

श्री अध्यक्ष--

वही मतलब होता है ओकर।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या माननीय शिक्षा मन्त्री बतायेंगे कि देवरिया जनपद में ७३-७४ में बी० टी० सी० कक्षाओं में कितने छात्र अध्यापक इंटर और हाई स्कूल लिये गये और कितने बी० ए० और एम० ए० लिये गये ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो ब्योरे का प्रश्न हो गया ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

श्रीमन्, बी० टी० सी० का प्रशिक्षण केवल हाई स्कूल और इंटर के विद्यार्थियों के लिये हैं और बी० ए०, एम० ए० के स्नातकों के लिये एल० टी० और बी० टी० प्रशिक्षण है । तो उनके अधिकारों का हनन हो रहा हैं ।

श्री अध्यक्ष--

यह तो पहले आप पूछ चुके हैं एक बार और उनकी नीति बदल गयी है ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

उन्होंने परिपत्र भेजकर सभी एम० ए० और बी० ए० को भर्ती कराया है। जिस समय यह प्रशिक्षण होने वाला था तो शिक्षा मन्त्री ने वायरलेस कर के तमाम जिलों में रोक दिया ।

श्री नन्द राम (जिला मुजफ्फरनगर)--

पिछले दिनों भी मैंने कहा था कि इंटर, हाई स्कूल और बी० ए० के जितने स्कूल हैं उनकी हर एक की कमेटी में एक हरिजन को लेने का विचार कर रहे हैं। तो अनुसूचित जनजाति क लिये हर जगह यह बात उठती है । हमने पहले भी यह बात अर्ज की थी कि हर कमेटी में एक हरिजन का होना अनिवार्य है ।

श्री अध्यक्ष--

यह तो बी० टी० सी० कक्षाओं में प्रवेश के सम्बन्ध में सवाल है जो बड़ा व्यापक है । वह तो अलग से कर सकते हो, लेकिन बी० टी० सी० के प्रवेश के बारे में नीति जानना चाहते हो तो माननीय शिक्षा मन्त्री बता दें ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

१८ प्रतिशत तो बी० टी० सी० में हरिजनों के लिये सुरक्षित है ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

बी० टी० सी० के लिये जो आवेदन-पत्र आयें उनमें से किस-किस योग्यता के लोग लिये गये अधिकतम और न्यूनतम के आधार पर ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

न्यूनतम योग्यता तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की रखी गयी है, लेकिन मेरे पास इसका ब्यौरा नहीं है कि उस जिले में और किसी प्रकार के लोग भी रखे गये ।

उत्तराखण्ड और कुमायूं डिवीजन में बिना संस्कृत की योग्यता वाले हिन्दी के प्राध्यापकों की नियुक्तियां

*३१--श्री रामेश्वर नाथ चौबे (जिला बरेली) (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि राजकीय महिला इन्टर कालेज में हिन्दी के लेक्चारर ग्रेड के लिये एम० ए० और बी० ए० में संस्कृत का होना अनिवार्य है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उत्तराखण्ड और कुमायूं डिवीजनों में हिन्दी के ऐसे लेक्चरारों की नियुक्ति की गई है जो उपर्युक्त निर्धारित योग्यता नहीं रखते हैं? ऐसा क्यों ?

श्री राम जी लाल सहायक--

हिन्दी के लेक्चरर पद के लिये बी० ए० में तो संस्कृत का होना अनिवार्य है किन्तु एम० ए० में संस्कृत का होना अनिवार्य नहीं है ।

उत्तराखण्ड व कुमायूं डिवीजनों में ४ ऐसे लेक्चरर (हिन्दी) कार्यरत हैं जिनका बी०ए० में संस्कृत विषय नहीं था । इसका कारण यह था कि वे दिनांक १८ मार्च, १९६० के पूर्व स्नातक अथवा सी० टी० वेतन-क्रम में अध्यापिका के पद पर लोक सेवा आयोग अथवा विभागीय चयन समिति द्वारा निर्वाचित थीं और उन्हें उच्चतर वेतन-क्रम में प्रोन्नति दी गई थी तथा बी०ए० में संस्कृत से छूट मिल गई थी ।

माध्यमिक शिक्षा संघ, जिला बस्ती के जिला मन्त्री का शारीरिक शिक्षकों के सम्बन्ध में मांगपत्र

*३२--श्री त्रिवेणी सहाय तथा श्री रामपति (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा संघ, जिला बस्ती के जिला मन्त्री ने कोई मांग पत्र प्रदेश के ६,००० शारीरिक शिक्षकों के सम्बन्ध में इस वर्ष दिया है ? यदि हां, तो उनकी मांग क्या है ? क्या उसकी एक प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री रामजी लाल सहायक--

जी हां । उनकी मांगें मांग-पत्र में अंकित हैं जिसकी एक प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १३९३-१३९४ पर)

बांदा सिंचाई कार्य मण्डल में नैत्यिक कोटि लिपिकों की सूची के अभ्यर्थियों की नियुक्ति

*३३--श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा (जिला बांदा) (अनुपस्थित)--

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले में बादां सिंचाई कार्य मंडल में जून, १९७३ में नैत्यिक कोटि लिपिकों की नियुक्ति हेतु कोई सूची तैयार की गई ? यदि हां, तो वरीयता सूची क्या है और उसमें से किन-किन अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जा चुकी हैं ? जिनकी नहीं हुई है वह किन कारणों से और कब तक हो जायेगी ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

जी हां । इस सूची में से क्रमांक (१) से (२२) तक (क्रमांक २ एवं ११ को छोड़कर) सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर ली गयी है । इसके अतिरिक्त क्रमांक २६ पर अंकित अभ्यर्थी को अनुसूचित जाति का होने के कारण नियुक्ति में प्राथमिकता दी गई । क्रमांक (२) व (११) की नियुक्ति इसलिये नहीं की गई क्योंकि उनके पास निर्धारित शैक्षिक योग्यता नहीं थी । इसके अतिरिक्त इन दोनों की आयु निर्धारित आयु सीमा से अधिक थी । जितने स्थान रिक्त थे वह सब भर दिये गये । अतः अब शेष में से किसी की नियुक्ति नहीं करना है ।

सहायक अभियन्ता, प्रथम, डिबाई, जिला बुलन्दशहर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*३४--श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहायक अभियन्ता, प्रथम, डिबाई, जिला बुलन्दशहर के विरुद्ध दिनांक २ अप्रैल, १९७४ को मुख्य मन्त्री को, अनियमितता कार्यवाही करने के विरुद्ध एक शिकायती-पत्र दिया था, जिसको मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण लखनऊ ने पत्र संख्या २०९९/इ० ए०, दिनांक १७ मई, १९७४ को निस्तारण हेतु भेजा ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हुई, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

ऐसा एक शिकायती-पत्र एक संसद सदस्य द्वारा २ मई, १९७४को सीधे ही मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश को भेजा गया था। मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने यह पत्र अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सिंचाई (नलकूप) विभाग को १७ मई, १९७४को भेज दिया था। इस पर अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, नलकूप द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, अलीगढ़ से जांच कराई जा रही है।

श्री हिम्मत सिंह---

कब तक यह जांच पूरी हो जायेगी ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

जल्दी से जल्दी कोशिश की जायेगी।

श्री हिम्मत सिंह---

जिसने प्रार्थना-पत्र शिकायती दिया है क्या जांच के वक्त उससे भी पूंछताछ की जायगी ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

मैं यह भी लिख दूंगा कि उन्हें भी बुलाकर जांच की जाय।

श्री हरीश कुमार गंगवार---

शिकायती-पत्र में मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

श्री शास्त्री, एम० पी० का खत तो इस समय मेरे पास नहीं है, एक अमर सिंह ठेकेदार का पत्र है जिसमें इस प्रकार के आरोप हैं कि ५,००० रुपये के चेक पर ठेकेदार के हस्ताक्षर सहायक अभियन्ता द्वारा करा लिये गये हैं किन्तु केवल १,००० रुपये ठेकेदार को देकर शेष रुपये का भुगतान उनको नहीं किया गया और वह धन सहायक अभियन्ता ने स्वयं अपने पास रख लिया। दूसरा यह है कि कूप संख्या १५० तथा ५५ कार्य के लिये ६ हजार रुपये का चेक बनाकर उस पर ठेकेदार के हस्ताक्षर करा लिये गये परन्तु भुगतान उनको केवल २,००० रुपये का ही किया गया। नलकूप संख्या १५० तथा ५५ कुलाबों के एक साइफन बनायी गयी जिसका वर्क आर्डर श्री बाबू सिंह ठेकेदार के नाम पर भुगतान का पैसा सहायक अभियन्ता ने अपने पास रख लिया। अहमदगढ़ के निरीक्षण भवन के २ गुसलखाने, बरामदों की सफेदी, किवाड़ व फर्नीचर पर पालिश तथा फिटिंग आदि के सामान का पेमेंट नहीं किया गया। इस तरह की शिकायतें हैं। इसमें जो हमारे विभाग से संबंधित हैं उनको हमारा विभाग देखेगा और जो अन्य विभाग से संबंधित हैं उनको वह विभाग देखेंगे।

जिला बहराइच के बफेल-ताल के नाले पर धन पारा ग्राम में टूटे पुल की मरम्मत

*३५---श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बहराइच जिला में पयागपुर स्थित बफेल ताल से निकाले गये नाले पर धनपारा ग्राम के निकट बना पुल कई वर्षों से टूटा है जिनके कारण जनता को भारी कष्ट है? यदि हां, तो उसे अब तक न बनवाने का कारण क्या है तथा वह पुल कब तक बन जायगा ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

जी हां। रुपये की कमी के कारण अब तक मरम्मत नहीं की जा सकी। अब इसे शीघ्र ठीक कराने के निदेश दे दिये गये हैं।

बहराइच जिले की बहराइच तहसील के कतिपय बांधों में पानी न मिलने सिंचाई शुल्क से मुक्ति की मांग

*३६—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या सिंचाई मन्त्री को यह ज्ञात है कि बहराइच जिले की तहसील बहराइच में वन घोघवा, सिरसिया व रामपुर बांध में जनवरी, १९७४ से पानी नहीं आया है, जिससे किसानों की भीषण हानि हुई है? यदि हां, तो क्या सरकार असिंचित क्षेत्रों में दिये गये गलत सिंचित पड़ताल की जांच करा कर सिंचाई शुल्क से मुक्त करके किसानों को राहत पहुंचायगी ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

वनघोघवा व रामपुर बांधों में रबी की सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध था तथा बनघोघवा बांध से निकलने वाली नहरें जनवरी व रामपुर बांध से निकलने वाली नहरें जनवरी व फरवरी १९७४ में चलाई गई थी तथा रबी की सींच प्रस्तावित से अधिक हुई । असिंचित क्षेत्रों में कोई सिंचाई दर्ज नहीं हुई है । ऐसी दशा में जांच कराकर सिंचाई शुल्क से मुक्त करके किसानों को राहत पहुंचाने का प्रश्न ही नहीं उठता है । सिरसिया नाम का कोई बांध नहीं है ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

बन घोघवा बांध फरवरी मास में क्यों नहीं चलाया गया?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

९-१२-७३ से ८-१-७४ तक चला, १५-१-७४ से २३-१-७४ तक चला है । यही सूचना है ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

मैंने यह पूछा है कि फरवरी मास में क्यों नहीं चला जब कि उसकी अत्यन्त आवश्यकता थी?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

इसके बारे में सूचना नहीं है ।

श्री धीरेन्द्र सहाय (जिला पीलीभीत)—

जहां-जहां पर पूरी तरह से सिंचाई नहीं हो पायी है क्या वहां पर सिंचाई शुल्क कम करने की भी कृपा मन्त्री जी करेंगे?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

दरअसल इस जिले में छोटे-छोटे बंधे बने हुए हैं जिनमें पानी जमा हो जाता है और वही पानी सिंचाई के काम आता है और उसमें जितना पानी होता है उतना ही पानी दिया जाता है । अब अगर वहां वर्षा हुई तो उसमें पानी और भर जाता है और तब पानी और दे दिया जाता है ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

बनघोघवा बांध से उन क्षेत्रों में जिन खेतों में सिंचाई के लिये पानी नहीं आया है उनको भी सिंचित खेत पड़ताल कर लिया गया है, तो क्या माननीय मन्त्री जी मेरी जानकारी को सही मान कर उन असिंचित खेतों की पुनः जांच करायेंगे जिनको सिंचित मान लिया गया है?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

यकीनी तौर पर अगर कहीं सिंचाई नहीं हुई है तो उसके बारे में जांच करा कर सूचित किया जायेगा ।

जिला विद्यालय निरीक्षक, हरदोई के विरुद्ध शिकायतों की मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, लखनऊ द्वारा जांच

*37—श्री काशी नाथ मेहरोत्रा (जिला हरदोई)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक, हरदोई (श्री भगवती प्रसाद बाजपेयी) के विरुद्ध दिसम्बर, १९७२ से लेकर अक्तूबर, १९७३ के बीच, भ्रष्टाचार एवं अनियमिततायें करने सम्बन्धी कितने शिकायती-पत्र जनता द्वारा प्रेषित होकर प्राप्त हुए? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

चार शिकायतों पर मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, लखनऊ द्वारा जांच कराई गई। आख्या विभाग में प्राप्त हो गई है जो विचाराधीन है।

श्री काशीनाथ मेहरोत्रा—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो ४ शिकायती पत्र शासन को प्राप्त हुए हैं, उनकी जांच उप शिक्षा निदेशक द्वारा करायी गयी तो उसमें श्री भगवती प्रसाद बाजपेयी के विरुद्ध भ्रष्टाचार व अनियमिततायें पायी गयी हैं, यदि हां, तो वे क्या क्या हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

उन आरोपों की जांच की गयी। पहला आरोप यह था कि पत्रकारों के सम्बन्ध में अमर्यादित ढंग से श्री बाजपेयी ने खंडन किया था। बाद में ३९-७-७४ को आरोपकर्ता ने लिखा कि उनके शिकायती-पत्र पर किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से फिर वह बात समाप्त होती है। दूसरा आरोप यह था कि वे समाजवादी हैं, घूसखोर हैं। लकिन जांच कराने पर घूस वगैरह लेने का कोई प्रमाण उनके विरुद्ध नहीं मिला। तीसरा आरोप यह था कि अध्यापकों के सम्बन्ध में उनको जानकारी कुछ नहीं है। लिपिकों के बल पर वे कार्य करते हैं। इसकी भी जांच हुई, लेकिन इसका कोई खास आधार नहीं मिला। लेकिन ५ मामलों में एसा लगता है कि जो पहले अनुमोदन मिला है उसमें परिवर्तन करने की बात की गयी है। कुछ का यह कहना है कि उन्होंने विद्यालयों पर दबाव डाल कर बंगला देश की फिल्में दिखलायीं और उनसे रुपया वसूल किया गया है। जांच करने से यह प्रमाणित हुआ कि इस जनपद के २० विद्यालयों में यह फिल्म दिखलायी गयी थीं और एजूकेशनल फिल्म सोसाइटी जो जिले की है, वह विभाग की कोई नियमति संस्था नहीं है, उसको १३४, ७४ रुपये की धन-राशि दिलवायी। लेकिन इनके ऊपर कोई डाइरेक्ट नहीं आता है कि इसमें से उन्होंने कुछ पैसा लिया है। इस तरह से जो आरोप थे वे प्रमाणित नहीं हुए।

श्री काशीनाथ मेहरोत्रा—

आपने यह तो स्वीकार ही किया है कि कुछ अनियमिततायें पायी गयीं, तो अपना निजी जानकारी के आधार पर मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि आप पुनः इसकी इनक्वायरी कराने का आश्वासन देंगी?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

जवाहर मान्टेसरी स्कूल, फर्रुखाबाद में छात्रों से भवन फीस लिया जाना

*३८—श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जवाहर मान्टेसरी स्कूल, फर्रुखाबाद में प्रतिमाह प्रति छात्र से आठ आना भवन शुल्क क्यों लिया जाता है और क्या अवध शुल्क वसूली के विरुद्ध कोई शिकायत है हाल मे जिला बेसिक शिक्षाधिकारी को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री राम जी लाल सहायक--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला नैनीताल में किछा-दरऊ मार्ग पर पुल के निर्माण-कार्य की प्रगति

*३९--श्री देव बहादुर सिंह तथा श्री बाल कृष्ण सतवाल (जिला नैनीताल)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला नैनीताल में किछा-दरऊ मार्ग पर एक बड़े पुल का निर्माण कार्य पिछले दो वर्ष पूर्व प्रारम्भ किया गया था जो अब बन्द है ? यदि हां, तो उसका कारण क्या है और पुल कब तक पूरा होगा ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

जी नहीं । प्रश्नगत पुल का निर्माण कार्य अप्रैल १९७३ में प्रारम्भ किया गया था परन्तु अधिक वर्षा एवं ठेकेदार के दुर्घटना ग्रस्त होने के कारण निर्माण-कार्य की प्रगति कुछ मंद हो गई थी । मार्च १९७५ तक पुल के पूरा हो जाने की सभावना है ।

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो इस पुल का निर्माण जब शुरू हुआ था, उस समय इसके लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गयी थी और कब तक यह कार्य पूरा होने वाला था ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

मान्यवर, पुरा होने वाला था ५ अप्रैल, १९७४ को और इसके लिये धनराशि निर्धारित की गयी थी ४ लाख, ४७ हजार, १०९ रुपये ६२ पैसे ।

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, अवधि बढ़ जाने के कारण जो इसके निर्माण के लिय धनराशि रखी गयी थी, क्या उसमें भी कोई बढ़ोत्तरी होगी ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

श्रीमन्, इस वक्त को निश्चय पूर्वक बताया नहीं जा सकता है ।

[दिनांक १४ अगस्त, १९७४ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१--श्री सत्य प्रकाश, श्री वेद प्रकाश अग्रवाल तथा डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल--

(१२वें बुधवार के लिये स्थगित ।)

*२--श्री जयराम गौतम--

(पुनर्विचार पर निरस्त ।)

*३-४--श्री वेद प्रकाश अग्रवाल--

(१२वें बुधवार के लिये स्थगित ।)

*५--श्री श्रीनारायण--

(११वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न ५७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।)

नोट:--तारांकित प्रश्न संख्या ३९ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

*६—श्री कल्याण सिंह—

(१२वें बुधवार के लिये स्थगित।)

ब्लाक दातागंज, जिला बदायूं के सहायक उप विद्यालय निरीक्षक द्वारा अध्यापकों के वेतन में कथित गोलमाल की रिपोर्ट

*७—श्री मु० असरार अहमद—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि ब्लाक दातागंज जिला बदायूं में नियुक्त सहायक उप विद्यालय निरीक्षक ने अभी हाल में कोई रिपोर्ट जिला विद्यालय निरीक्षक को इस आशय की दी है कि उनके ब्लाक के अन्तर्गत लगभग २० अध्यापकों को जिनका नामोनिशान भी नहीं है क वतन की धनराशि का गोल मालहो रहा है? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम जी लाल सहायक—

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता। प्रश्न नहीं उठता।

*८—श्री पुरुषोत्तम कौशिक तथा श्री कृपा शंकर आर्य—

(१४वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या १३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।)

बाजना इन्टर कालेज बाजना, जिला मथुरा के निलम्बित लिपिक को निलम्बन भत्ता न मिलना

*९—श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि बाजना इंटर कालेज, बाजना, जिला मथुरा के निलम्बित लिपिक (श्री रूप नारायण सिंह) को तीन वर्ष से अब तक जीवन निर्वाह भत्ता नहीं मिल सका है? यदि हां, तो क्यों तथा उक्त लिपिक के निलम्बन का क्या आधार है?

श्री राम जी लाल सहायक—

जी हां, दिनांक १६-५-७२ से निलम्बन भत्ता नहीं दिया गया है। संस्था की प्रबन्ध समिति ने श्री सिंह को १५-५-७२ को सेवा से बिना जिला विद्यालय निरीक्षक की पूर्व अनुमति लिये अलग कर दिया है। यह विवादास्पद था कि क्या इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम में सवा समाप्ति संबंधी नियम लिपिक वर्ग पर लागू है अथवा नहीं। अतः सेवा समाप्ति की विधिक स्थिति विभाग के विचाराधीन रही।

निलम्बन का आधार श्री सिंह द्वारा विद्यालय के रिकार्ड में गंभीर अनियमितातायें किया जाना बताया गया है।

बाबतपुर, वाराणसी से मड़ियाहूं जौनपुर तक की सड़क के पुनर्निर्माण की योजना

*१०—श्री आशा राम यादव (जिला मिर्जापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाबातपुर (वाराणसी) से मड़ियाहूं (जौनपुर) जाने वाली सड़क की पुनर्निर्माण की कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो यह कब तक बनकर तैयार होगी?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

*११—श्री मधुकर दिघे—

(१२वें बुधवार के लिये स्थगित ।)

जिला पुस्तकालयों के उन्नति हेतु गठित सार्वजनिक पुस्तकालय जांच समिति की रिपोर्ट का क्रियान्वयन

*१२—श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला पुस्तकालयों की उन्नति के लिये "पुस्तकालय जांच आयोग" बठाया गया था ? क्या उक्त आयोग ने अपनी कोई रिपोर्ट दी है ? यदि हां, तो रिपोर्ट क्या है व उसका क्रियान्वन कब तक होगा ?

श्री राम जी लाल सहायक—

प्रदेश में सार्वजनिक पुस्तकालयों संबंधी विधेयक बनाने के संबंध में पुस्तकालय सेवा संबंधी निदेशालय स्थापित करने एवं इस संबंध में होने वाले अतिरिक्त व्यय के लिये संसाधनों पर संस्तुति देने के लिये अप्रैल, १९७२ में एक सार्वजनिक पुस्तकालय जांच समिति गठित की गयी थी। उक्त समिति ने २५ जनवरी, १९७४ को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। समिति की प्रमुख संस्तुतियों का सारांश† संलग्न है। समिति के प्रतिवेदन पर पूर्ण रूप से विचार करने के उपरान्त ही अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा कि किन संस्तुतियों को लागू किया जाय।

*१३—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

[१२वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

*१४—श्रीमती बेनी बाई—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

*१५-१६—श्री बाबू लाल वर्मा—

[१२वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

नलकूप मण्डल, अलीगढ़ तथा तृतीय मण्डल सिंचाई कार्य, आगरा के सहायक अभियन्ताओं के स्थानांतरण

श्री कल्याण सिंह तथा इन्द्र पाल सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि माह जून, १९७४ में नलकूप मण्डल अलीगढ़ तथा सिंचाई कार्य मंडल तृतीय आगरा में किन-किन साहयक अभियन्ताओं के स्थानान्तरण कहां से कहां के लिये किये गये हैं ? स्थानान्तरण का आधार क्या है ? क्या यह सच है कि उपरोक्त मे से कुछ के स्थानान्तरण आदेशों का निरस्तीकरण स्थगन अथवा संशोधन कर दिया गया है ? यदि हां, तो किनका और किन कारणों से ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

प्रश्न का पहला भाग : सामग्री संलग्न है ।

प्रश्न का दूसरा भाग : जी हां ।

सर्व श्री प्रेम चन्द्र जायसवाल एवं महेन्द्रपाल सिंह पवांर, सहायक अभियन्ताओं के स्थानान्तरण आदेश निरस्त किये गये एवं सर्व श्री रतन स्वरूप दुबलिस तथा उमेश चन्द्र तिवारी

---

†छापी नहीं गई ।

सहायक अभिन्ताओं के आदेश संशोधित किये गये। ये निरस्तीकरण एवं संशोधन कार्यहित में किये गये थे।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १३९५ पर)

जनपद वाराणसी के अमर शहीद इन्टर कालेज की इन्टर कक्षा में अंग्रेजी विषय अनिवार्य किए जाने की शिकायत

*१८--श्री उदय नाथ तथा श्री राम प्यारे तिवारी (जिला वाराणसी)--

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद के अमर शहीद इन्टर कालेज की इन्टर कक्षा में अंग्रेजी विषय अनिवार्य कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री राम जी लाल सहायक--

वाराणसी जन पद के अमर शहीद इन्टर कालेज, की इन्टर कक्षा में अंग्रेजी विषय अनिवार्य नहीं किया गया है।

तिवारी ज्वाला प्रसाद आर्य कन्या कालेज, इटावा में प्रशासक की नियुक्ति

*१९--चौधरी चरण सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि तिवारी ज्वाला प्रसाद आर्य कन्या इन्टर कालेज, इटावा कब से प्रशासक के अधीन है और क्यों है? क्या प्रशासक को हिन्दी का ज्ञान है या नहीं और कालेज को प्रशासक के अधीन सौंपने से पूर्व प्रबन्ध समिति को कोई विधिवत् सूचना दी गई या नहीं?

श्री राम जी लाल सहायक--

प्रबन्ध समिति द्वारा अनेक अनियमितताओं, कु-प्रबन्ध तथा विवाद के कारण इस विद्यालय में दिसम्बर २०, १९७१ को प्रशासक नियुक्त किया गया था और तभी से यह विद्यालय प्रशासक के अधीन है। प्रशासक के पद पर इस समय तक एक महिला कार्य कर रहीं हैं जिन्हें हिन्दी का अच्छा ज्ञान नहीं है। दिसम्बर २०, १९७१ को इस विद्यालय को प्रशासक के अधीन सौंपने के पूर्व प्रबन्ध समिति को विधिवत् सूचना कारण बताओं नोटिस दी गई थी।

*२०--श्री के० एस० मोहरिया--

[१२वें बुधवार के लिये स्थगित]

*२१--श्री भाभी--

[१२ वें बुधवार के लिये स्थगित।]

जनपद आजमगढ़ में राजकीय नलकूपों का आवंटन तथा नलकूपों की वृद्धि करने पर विचार

*२२--श्री मुहम्मद मसूद खां (जिला आजमगढ़)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में वर्ष १९७३-७४ में कितने नलकूपों की स्वीकृति प्रदान हुई थी और निजामाबाद विधान सभा क्षेत्र में कितने स्वीकृत हुये थे? और क्या ब्लाक मोहम्मदपुर में सिघड़ा, सिधौनीं मौंजे के लिये कोई सरकारी नलकूप मन्जूर हुआ था? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गई?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

वर्ष १९७३-७४ मे आजमगढ़ जनपद के लिये ५७ राजकीय नलकूप आवंटित थे। नलकूपों का आवंटन शासन द्वारा विधान सभा क्षेत्रों के लिये अलग से नही होता। उक्त ग्राम में सरकारी नलकूप लगाने का कार्यक्रम था परन्तु उपर्युक्त स्ट्रेटा न मिलने के कारण नलकूप की बोरिंग सफल नहीं हुई।

*२३--श्री मुहम्मद मसूद खां--

क्या वित्तीय वर्ष १९७४-७५ में आजमगढ़ जनपद में कितने ट्यूबवेल की स्वीकृति प्राप्त हुई है? और क्या एडवाइजरी बोर्ड ने उसकी संख्या में बढ़ोत्तरी करने का सुझाव दिया है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

वर्ष १९७३-७४ में जनपद आजमगढ़ के लिये 25 नलकूप प्रस्तावित हैं। जनपद की सिचाई एवं विद्युत सलाहकार समिति में नलकूपों की संख्या में बढ़ोत्तरी करने का सुझाव दिया है। नलकूपों की संख्या में वृद्धि पर विचार अधिक धन उपलब्ध होने पर ही किया जायेगा।

*२४--श्री भीखा लाल--

[१२ वें बुधवार के लिये स्थगित।]

*२५--कुंवर शिव नाथ सिंह कुशवाहा--

[१२ वें बुधवार के लिये स्थगित।]

जिला इटावा में ग्रामीण अंचल के लिए लिफ्ट सिंचाई की योजना

*२६--श्रीमती सुखदा मिश्रा (जिला इटावा)--

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला इटावा में ग्रामीण अंचल के लिये लिफ्ट सिंचाई योजनान्तर्गत कोई योजना क्रियान्वित किये जाने का प्रश्न सरकार के बिचाराधीन है।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

जी नहीं।

इटावा जिले में नलकूपों एवं नहरों द्वारा सिंचाई का क्षेत्र

*२७--श्रीमती सुखदा मिश्रा (जिला इटावा)--

क्या सिंचाई मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष जिला इटावा के कितने क्षेत्र में सिंचाई होनी थी तथा उसमें से कितने क्षेत्र में सिंचाई हो रही है एवं वित्तीय वर्ष १९६९-७० से १९७३-७४ के अन्त तक किन-किन साधनों से कितनी-कितनी भूमि सिंचित हुई और बाकी के लिये क्या योजना है?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

इटावा जिले में वर्तमान नहरों एवं नलकूपों द्वारा प्रस्तावित सिंचाई का क्षेत्र २,३६,१३१ एकड़ है, जिसमें इस वर्ष रबी की फसल मे ३१-३-७४ तक १,९५,८९५ एकड़ क्षेत्र की सिंचाई हुई एवं खरीफ की चालू फसल में ३१-७-७४ तक ६५,८८९ एकड़ सिंचाई हो चुकी है। वर्ष १९६९-७० से १९७३-७४ तक नहरों एवं नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्र का विवरण संलग्न है।

बाकी क्षेत्र के लिये मुख्यतः राजकीय नलकूप तथा लघु सिंचाई योजना है। बिखरे हुये कृषि योग्य टुकड़ों में, जो नहर से सींचे जा सकते हैं, उनके लिये वर्तमान नहर प्रणाली से छोटी नहरें राम गंगा परियोजना के अन्तर्गत बनाई गई हैं तथा कुछ बनाई जा रही हैं। राम गंगा जलाशय से पानी उपलब्ध होने पर उनके द्वारा सिंचाई की जावेगी।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १३९६ पर)

जिला बरेली के पी०सी० आजाद हायर सेकेन्ड्री स्कूल को सरकारी अनुदान न मिलना

*२८--श्रीराम मूर्ति--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बरेली में पी० सी० आजाद हायर सेकेन्ड्री स्कूल को जो कि १९६५ में मान्यता प्राप्त कर चुका है अब तक सरकारी अनुदान क्यों नहीं प्राप्त हुआ जबकि जिले के उन सभी हायर सेकेन्ड्री स्कूलों को अनुदान प्राप्त हो चुके हैं जिन्होंने १९६५ या ६६ में मान्यता प्राप्त की है? यदि हां, तो क्यों?

श्री राम जी लाल सहायक--

निर्धारित अर्हताओं की पूर्ति न करने के कारण यह विद्यालय वारीयता के क्रम में नहीं आ सका है और फलस्वरूप उसे अनुदान सूची में सम्मिलित नहीं किया जा सका।

*२९--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

[१२ वें बुधवार के लिये स्थगित।]

ए० के० पी० इन्टर कालेज, हापुड़, जिला मेरठ को विज्ञान सामग्री क्रय करने हेतु अनावर्तक अनुदान

*३०--श्री हिम्मत सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ए० के० पी० इन्टर कालेज, हापुड़, जिला मेरठ को जुलाई, १९६७ में मान्यता फिजिक्स, केमेस्ट्री, बायलोजी आदि में प्राप्त हुई थी? यदि हां, तो अब तक अनुदान न मिलने का क्या कारण है?

श्री राम जी लाल सहायक--

जी हां। इस विद्यालय को १९६७-६८ में विज्ञान सामग्री क्रय करने हेतु २५,५०० रु० का अनावर्तक अनुदान भी स्वीकृत हुआ है।

*३१--श्री भगवती सिंह विशारद--

[१२वें बुधवार के लिये स्थगित।]

*३२--चौधरी राम पाल सिंह यादव--

[पुनरावृति के आधार पर निरस्त।]

*३३--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

[१२ वें बुधवार के लिये स्थगित।]

*३४--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी तथा श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी--

[१७वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न ४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

कानपुर जिले की अमरहट पम्प कैनाल योजना के अन्तर्गत सिंचाई सुविधा तथा सघन सिंचाई की व्यवस्था

*३५--चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)--

विधान सभा के दिनांक १० जुलाई, १९७४ के तारांकित प्रश्न संख्या ५ के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले की अमरहट पम्प कैनाल की पूर्व योजना क्या थी तथा अब उसे दो स्टेज जो किया जा रहा है वह अलग-अलग क्या है? कब से कार्य प्रारम्भ होगा तथा सम्पूर्ण कार्य कब तक समाप्त होगा ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

प्रारम्भिक सर्वेक्षण के अनुसार इस योजना का मोटा अनुमान ३.६० करोड़ रु० का था तथा उसके अन्तर्गत भोगनीपुर शाखा के कमान्ड के क्षेत्र में एवं सुनाव नाला व यमुना नदी के मध्य खाकी क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विचार था ।

प्रथम चरण के अन्तर्गत ५० क्यूसेक्स पानी पम्प करके यमुना नदी तथा सुनाव नाले के बीच खाकी क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना प्रस्तावित है तथा दूसरे चरण में यमुना नदी में पानी की उपलब्धि के अनुसार पानी पम्प करके भोगनीपुर शाखा के कमान्ड के क्षेत्र में सघन सिंचाई की व्यवस्था का प्रस्ताव है ।

योजना के प्रथम चरण के अगणन की जांच की जा रही है । जांच के बाद धन की उपलब्धि के अनुसार कार्य आरम्भ किया जायगा प्रथम चरण का कार्य लगभग दो वर्षों में पूर्ण होने की आशा है । योजना के द्वितीय चरण का सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है ।

*३६--श्री गंगा प्रसाद--

[१२वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

बी० बी० इन्टर कालेज, शमली, जिला मुजफ्फरनगर के प्रवक्ता के नए वेतनमानों के अनुसार बकाया वेतन का भुगतान

*३७--श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सरकार द्वारा सहायता प्राप्त बी० बी० इन्टर कालिज (पूर्व वैश्य कालिज) शमली, जिला मुजफ्फरनगर में ऐसे कौन-कौन प्रवक्ता हैं जिनके वेतन मानों का पुनरीक्षण न तो १९५९ में न १९६९ में और न ही १९७२ में हुआ और क्यों? क्या यह भी सही है कि उनका कई वर्षों का वेतन भी बकाया है जब कि उप-निदेशक शिक्षा, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं सरकार भी उनके पक्ष में निर्णय दे चुकी है? यदि हां, तो उनके बकाया वेतन के भुगतान के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री राम जी लाल सहायक--

केवल एक ही प्रवक्ता श्री राधे श्याम गुप्त ऐसे हैं जिनके वेतनमानों का पुनरीक्षण न तो १९५९ में,न १९६९ में और न ही १९७२ में हुआ क्योंकि श्री गुप्त की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रबन्ध समिति में विवाद था । इनका कई वर्षों का वेतन बकाया है । अवशेष के भुगतान के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है ।

*३८--श्री रघुनाथ सिंह--

[१२वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

शैक्षिक अनुभव के आधार पर बी० टी० सी० ट्रेनिंग से छूट देने पर विचार

*३९--श्री भगवत दयाल (जिला झांसी)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन अध्यापकों की उम्र ३५ वर्ष है तथा ५ वर्ष का शैक्षिक अनुभव है तथा जिन अध्यापिकाओं की उम्र ३० वर्ष है और शैक्षिक योग्यता का अनुभव ३ वर्ष का है उन्हें बी० टी० सी० ट्रेनिंग से छूट देने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रामजी लाल सहायक--

जी नहीं ।

जनपद फर्रुखाबाद में जूनियर व प्राइमरी विद्यालय खोलने का प्रस्ताव

*४०--श्री अनवार जमील एडवोकेट--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में इस वर्ष कितने नये जूनियर तथा प्राइमरी विद्यालय खोलने का प्राविधान है और यह विद्यालय किस आधार पर खोले जायेंगे?

श्री राम जी लाल सहायक--

३ जूनियर हाई स्कूल तथा ८५ प्राइमरी स्कूल खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

ये विद्यालय भूमि भवन की उपलब्धता पिछड़े जन जाति बहुल क्षेत्र तथा स्कूल विहीन क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए खोले जाने हैं ।

*४१--श्री हर प्रताप सिंह--

[१२वें गुरुवार के लिये स्थगित ।]

*४२--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

[१३वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न १८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*४३--श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी--

[१२वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

*४४-४५--श्री शिव प्रसाद गुप्त--

[१२वें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ६१ से ६२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*४६--श्री गिरजा शंकर पाठक, श्री रामरति 'बिन्द'--

[१२वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

*४७--श्री राममूर्ति--

[१२वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

मुजफ्फरनगर जिले की नहरों के पानी की चोरी के फलस्वरूप असिंचित कृषि क्षेत्र

*४८--श्री चितरन्जन स्वरूप (जिला मुजफ्फरनगर) तथा श्री हुकुम सिंह--

क्या सरकार को मालूम है कि मुजफ्फरनगर जिले का हजारों बीघे का कृषि क्षेत्रफल इस कारण से असिंचित रह जाता है कि रजवाहों से आने वाले पानी की पहले ही पाइप डालकर चोरी कर ली जाती है? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

जी हां, नहरों के ऊपरी भागों में पाइप द्वारा पानी चोरी कर लेने के फलस्वरूप टेल के क्षेत्र कभी-कभी असिंचित रह जाते हैं। इस अनियमितता को रोकने का प्रयत्न किया जाता है एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कानून न कार्यवाही की जाती है। इण्डियन कैनाल तथा ड्रेनेज ऐक्ट में संशोधन का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

बी० डी० टी० इन्टर कालेज मियागंज, उन्नाव की हाई स्कूल व इन्टर का वार्षिक परीक्षा फल न घोषित किया जाना

*४९--श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बी० डी० टी० इन्टर कालेज मियांगंज जिला उन्नाव का वर्ष १९७४ का हाई स्कूल तथा इन्टर का वार्षिक परीक्षाफल अभी तक घोषित नहीं किया गया है जबकि अगला शिक्षा सत्र प्रारम्भ हो गया है और कालेजों में भर्ती प्रारम्भ हो गई है? यदि हां, तो ऐसा किये जाने का कारण क्या है तथा यह कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री रामजी लाल सहायक--

जी हां। प्रधानाचार्य का पद विवादग्रस्त होने के कारण छात्रों की अर्हता सत्यापित नहीं हो सकी है। अर्हता सत्यापन के उपरान्त ही परीक्षाफल घोषित किया जा सकेगा।

*५०--श्री राम सुन्दर पाण्डेय--

[१२वें बुधवार के लिये स्थगित।]

जिला वाराणसी के मुगलसराय रजबहा ऐसम्बधिन कुमावार माइनर का निर्माण बन्द किया जाना

*५१--श्री राज किशोर तिवारी--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला वाराणसी के मुगलसराय रजवहा से सम्बन्धित कुमावर माइनर का निर्माण बन्द कर दिया गया है? क्या यह सही है कि बोरी माइनर का कार्य पूर्ण हो गया है लेकिन उसमें पानी नहीं दिया जा रहा है तथा उससे सम्बन्धित दूसरी माइनर जो रामपुर ग्राम के दक्षिणी हिस्से के लिये उपयोगी थी उसका भी कार्य बन्द हो गया है ? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र की सिंचाई की क्या व्यवस्था है?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

सूचना एकत्र की जा रही है।

*५२--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

[१३वें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*५३--श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी--

[१२वें बुधवार के लिये स्थगित]

जिला बस्ती के लोटन ग्राम में घोसी नदी पर पक्के पुल का निर्माण

*५४--श्री राम रेखा यादव (जिला बस्ती)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बस्ती के विकास क्षेत्र उसका बाजार के ग्राम लौटन के पास घोसी नदी पर पक्का पुल बनाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो अब तक कार्य प्रारम्भ हो जायगा?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

जी हां। धनाभाव के कारण वित्तीय वर्ष १९७४--७५ में इस कार्य को प्रारम्भ करना संभव नहीं होगा।

*५५-५६--श्री राम लखन (जिला इटावा)--

[१ वें बुधवार के लिए प्रश्न संख्या ५९ के अन्तर्गत स्थानान्तगित।]

*५७--ठाकुर राधा चरन सिंह तथा श्री ज्ञानेन्द्र स्वरूप--

[१३वें बुधवार के लिए स्थगित।]

सिंचाई विभाग में जूनियर इन्जीनियरों की कमी की पूर्ति

*५८--श्री बाल कृष्ण सनवाल--

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियरों की कमी है? यदि हां, तो सरकार इसकी पूर्ति के सम्बन्ध में क्या प्रयास कर रही है?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

जी हां। इसकी पूर्ति करने के लिये नयी भर्ती करने की कार्यवाही प्रमुख अभियन्ता द्वारा की जा रही थी। किन्तु इसी अवधि में शासन द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुपालन में नयी भर्ती पर फिलहाल रोक लगा दी गयी है।

*५९--श्री आशाराम यादव--

[१२वें बुधवार के लिये स्थगित।]

राजकीय पालीटेक्निक संस्थओं के अनुदेशक (इन्सट्रेक्टर) के पदों का लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में (रखाजाना तथा उनका स्थायीकरण व पदोन्नति

६०--श्री वीर सिंह सेंगर--

क्या प्राविधिक शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं में कार्यरत अनुदेशक या इन्सट्रेक्टर के पद लोक सेवा के अधीन है? यदि हां, तो कब से? तथा उक्त तिथि के पूर्व से उक्त पदों पर कार्यरत अनुदेशक या इन्सट्रेक्टर को स्थाई घोषित करने हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री रामजी लाल सहायक--

जी हां। लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र का विनियमन "Pubtic Service Commission (Limitation of Functions) Regulation 1954". द्वारा होता है। १६ फरवरी, १९५५ के शासनादेश द्वारा २०० रुपये प्रतिमास से अधिक के अधिकतम वेतनमान के अनुदेशक के पद आयोग के अधीनस्थ रखे गये थे। २७ जुलाई, १९६२ के शासनादेश द्वारा कुछ अनुदेशक के पद जिनका वेतन-क्रम रु० १२०-२५० अथवा रु० १२०-३०० था, आयोग के विचार क्षेत्र से हटा दिये गये थ। जून २४, १९७० के शासनादेश के द्वारा सभी अराजपत्रित पद, जिनमें अनुदेशक के पद भी सम्मिलित हैं, जिनका वेतनमान रु० २८० अथवा उससे अधिक है, आयोग के विचार क्षेत्र में रखे गये हैं। इस समय अन्तिम शासनादेश लागू है। अनुदेशकों के नियुक्ति प्राधिकारी निदेशक, प्राविधिक शिक्षा अथवा उप निदेशक, प्राविधिक शिक्षा हैं। स्थायीकरण का कार्य भी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। स्थायीकरण हेतु शासन ट्रे द्वारा निदेशक, प्राविधिक शिक्षा को निर्देश दे दिये गये हैं। वे ही इन्सट्रक्टर स्थायी किये जा सकते ह जो अपन पदों की निर्धारित अर्हता रखते हों, जिनका नियमित चयन हो चुका हो, जिनका कार्य एवं आचरण संतोषजनक रहा हो तथा जिनके पद स्थाई घोषित किये जा चुके हों।

*६१—श्री वीर सिंह सेंगर—

में उल्लिखित प्रश्न में कर्मचारियों के पदोन्नत हेतु क्या अर्हतायें तय की गई हैं तथा उनका आधार क्या है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

अनुदेशकों या इन्सट्रक्टरों के सभी पद सीधी भरती के हैं पदोन्नति के नहीं । शेष प्रश्न ही नहीं उठता है ।

ललितपुर जिले के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बांसी के अनुदान, सूची में सम्मिलित न किया जाना

*६२—श्री रघुनाथ सिंह (जिला झांसी)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर जिले का उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बांसी जो पिछले दस साल से चल रहा है और जिसका अपना भवन भी है विभाग द्वारा साइन्स एवं आर्टस साइड की मान्यता प्राप्त होने के बाद भी ग्रान्ट इन ऐड पर क्यों नहीं आ सका? यदि विद्यालय का मैनेजमेंट इस विद्यालय को सरकार को सौंपने को तैयार हो मय भवन के तो क्या सरकार इस विद्यालय को अपने अधिकार में लेने की कृपा करेगी ?

श्री रामजी लाल सहायक—

ललितपुर जिले के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बांसी का जूनियर हाई स्कूल स्तर का अनुदान निलम्बित होने के कारण इसे उच्चतर माध्यमिक स्तरतक की अनुदान सूची में सम्मिलित करना सम्भव न हो सका । जहां तक विद्यालय के प्रान्तीयकरण का प्रश्न है, यह उल्लेख है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रान्तीयकरण की कोई योजना न होने के कारण विद्यालय का प्रान्तीयकरण करना सम्भव नहीं है ।

जनपद मैनपुरी के शिक्षा विभाग के सेवा निवृत्त कर्मचारी एवं पेंशन तथा ग्रेच्युटी के भुगतान में विलम्ब

*६३—श्री राम प्रकाश यादव तथा ठाकुर चरण सिंह (जिला मथुरा)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि सन् 1971 से 1973 तक मैनपुरी जनपद के शिक्षा विभाग में राजकीय सेवाओं के कितने कर्मचारी सेवा निवृत्त हुए उनमें से कितने को ३/४ ग्रेच्युटी तथा पेंशन मिली है? यदि नहीं, मिली तो उसका क्या कारण है?

श्री रामजी लाल सहायक—

कुल 6 कर्मचारी सेवा निवृत्त हुए जिनके पेंशन तथा ग्रेच्युटी की स्थिति निम्नवत है :

३ कर्मचारियों के मामले अंतिम रूप से निर्णीत हो चुके हैं ।

१—कर्मचारी को अंतिम पेंशन तथा ग्रेच्युटी का भुगतान अधिकृत किया जा चुका है ।

२—कर्मचारियों के पेंशन पत्रादि समय से प्राप्त न होने के कारण उनके पेंशन तथा ग्रेच्युटी का भुगतान अधिकृत नहीं किया जा सका है ।

सीतापुर जिले की सिधौली तहसील में लिफ्ट पम्प नहर योजनाओं के अन्तर्गत नहरों का निर्माण व्यय तथा उनसे सिंचित क्षेत्र

*६४—चौधरी वीरेन्द्र कुमार (जिला सीतापुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले के अन्तर्गत तहसील सिधौली में कुल कितने किलो मीटर की लिफ्ट पम्प योजना के अन्तर्गत नहर बनाई गई है और उनके

नाम क्या हैं और इनके निकासी करवाने में सरकार का कितना धन व्यय हुआ है और उनका कार्य पूरा हो गया है? यदि हां, तो इससे कितने एकड़ भूमि पर सिंचाई हुई?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

सीतापुर जिले के मिश्रिख तहसील में निम्नलिखित पम्प नहर योजनाओं के अन्तर्गत ९७.५४ किलोमीटर लम्बी नहरों का निर्माण होना था जिनमें से ३८.५० किलोमीटर नहरें बन चुकी हैं:--

१--महोली पम्प नहर,
२--नीमसार पम्प नहर,
३--कुचलाई पम्प नहर,
४--इस्लामनगर पम्प नहर,
५--उमरापुर पम्प नहर,
६--सहतीनगर पम्प नहर,
७--मुस्तफाबाद पम्प नहर,
८--लक्षमनपुर पम्प नहर,
९--मधिया पम्प नहर,
१०--अम्बरपुर पम्प नहर,
११--फूलपुर पम्प नहर तथा
१२--हदीरा पम्प नहर ।

इनके बनवाने में अब तक ६२.४८२ लाख रुपये व्यय हो चुके हैं । सभी पम्प नहरों पर कार्य जारी है । अभी तक बनी हुई नहरों द्वारा वर्ष १९७३-७४ में रबी तथा खरीफ में क्रमशः ६७७ और १२३ एकड़ क्षेत्र में सिंचाई हुई ।

*६५--श्री अठई राम--

(१३वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न ५७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।)

फर्रुखाबाद जनपद के खुदागंज रेल-कम-रोड ब्रिज की दशा

*६६--श्री अनवार जमील एडवोकेट--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि खुदागंज फर्रुखाबाद जनपद के खुदागंज, रेलवे रोड कम ब्रिज जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है? जिससे जनता को घोर असुविधा होती है? यदि हां, तो खुदागंज में एक रोड ब्रिज बनवाने पर यथाशीघ्र विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

जी नहीं । वर्तमान रेल-कम-रोड ब्रिज संतोषजनक दशा में है ।

शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत लखीमपुर एवं सीतापुर जिलों को सिंचन सुविधा

*६७--श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत जो नहर लखीमपुर से निकल कर रायबरेली तक बनाई गई है और जो अब चालू हो गई है उससे लखीमपुर और सीतापुर जिले के किसानों को आगामी रबी की फसल की सिंचाई हेतु सुविधा प्रदान करेंगे? यदि हां, तो उसी सिलसिले में उचित स्थानों पर गूलों के निर्माण का कार्य प्रारम्भ करने का आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत लखीमपुर एवं सीतापुर जिलों को सिंचन सुविधा आगामी रबी फसल में सम्भव नहीं है ।

*६८--श्री मधुकर दिघे--

[१२वें बुधवार के लिये स्थगित]

महाराजगंज, डलमऊ, जिला रायबरेली में हाई स्कूल खोले जाने के सम्बन्ध में जानकारी

*६९--श्री रामदुलारे तथा श्री मन्नू लाल द्विवेदी (जिला रायबरेली)--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महराजगंज, डलमऊ जिला रायबरेली में सरकार की ओर से हाई स्कूल खोले जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां तो कब तक वहां स्कूल खोल दिया जायगा ?

श्री राम जी लाल सहायक--

जी नहीं ।

बस्ती जिले के विकास खण्ड, वर्डपुर व नौगढ़ में नहर विभाग की सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा न लिया जाना

*७०--श्री राम रेखा यादव--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती जिले में विकास खंड वर्डपुर व नौगढ़ में नहर विभाग की सड़क जो वर्डपुर से पल्टा देवी होकर शौहरतगढ़ तक जाती है, को सार्वजनिक निर्माण विभाग में लेने के लिये सरकार विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

जी नहीं । धनाभाव के कारण ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम संस्कृत पाठशाला देवपुरी देवरीबुजुर्ग जिला फतेहपुर में अध्यापक विद्यार्थियों की संख्या तथा फर्जी सहायता लेने के संबंध में जांच की मांग

*७१--श्री प्रेम दत्त (जिला फतेहपुर)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम संस्कृत पाठशाला देवपुरी देवरी बुजुर्ग जिला फतेहपुर में कितने अध्यापक हैं व कितने विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ?

श्री राम जी लाल सहायक--

केवल तीन अध्यापक हैं । केवल बीस विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ।

*७२--श्री प्रेमदत्त--

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि उपरोक्त संस्था का मौके पर कोई वजूद नहीं है और फर्जी सहायता प्राप्त कर रहा है? यदि ऐसा है, तो सरकार इसकी जांच कराकर सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम जी लाल सहायक--

ऐसा नहीं है। प्रश्न नहीं उठता।

बरेली-अमीनगांव मार्ग में देवहा नदी पर पक्के पुल का निर्माण

*७३--श्री धीरेन्द्र सहाय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवहा रेलवे पुल पीलीभीत को समाप्त करके प्लान के अन्तर्गत जो दूसरा पुल बनाया गया है उस पर कोई टैक्स लिया जा रहा है? यदि हां, तो उसका आधार क्या है?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

पीलीभीत के पास देवहा नदी पर बने हुये रेलवे पुल पर पहले अस्थायी डैकिंग द्वारा सड़क यातायात होता था। पार्श्विक सड़क प्रायोजना के अन्तर्गत बरेली-अमीनगांव मार्ग के किलोमीटर४९ में देवहा नदी पर अलग पक्का पुल बनाया गया और रेलवे पुल पर सड़क यातायात के अस्थायी प्रबन्ध को समाप्त कर दिया गया। नव निर्मित पुल पर शासन की वर्तमान नीति क अनुसार पथकर वसूल किया जा रहा है।

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत राप्ती नदी में मिर्जापुर लिफ्ट कैनाल के मीटर व पम्प

*७४--श्री विजय पाल सिंह (जिला गोंडा)--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोन्डा के अन्तर्गत राप्ती नदी में जो मिर्जापुर लिफ्ट कैनाल बना हुआ है उसके दो मीटर एवं पम्प लगभग दो माह से नाव सहित नदी में डूबे हुये हैं? यदि हां, तो अब तक निकालने के लिये क्या प्रयास किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

जी नहीं।

*७५--श्री विजयपाल सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि प्रश्न (७४) में बर्ती गई लापरवाही के लिये जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

प्रश्न नहीं उठता है।

*७६--श्री भगवत दयाल--

[१३वें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

लखनऊ में गोमती नदी पर बाढ़ सुरक्षा हेतु बांध बनाने के लिये ग्राम जियामऊ में ली गई भूमि की फसल का मुआविजा

*७७--श्रीमती रामरती देवी--

क्या सरकार बताने को कृपा करेगी कि गोमती नदी पर बाढ़ सुरक्षा हेतु बांध बनाने में वर्ष १९७३व१९७४में लखनऊ जनपद के ग्राम जियामऊ के कुछ लोगों को खड़ी फसल काट डाली गई थी? यदि हां, तो क्या सम्बन्धित व्यक्तियों को उनकी फसल का मुआवजा दे दिया गया यदि नहीं, तो क्यों और मुआवजे का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा?

श्री रामजी लाल सहायक--

जी हां। फसल का मुआविजा निर्धारित करने के बाद फसल काटी गई। ६१ प्रभावित व्यक्तियों में से ९ को छोड़कर अन्य को मुआविजे का भुगतान कर दिया गया। शेष नौ व्यक्तियों को मुआविजा नहीं दिया जा सका क्योंकि वे नोटिस के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुए। मुआविजे की धनराशि खजाने में जमा कर दी गई।

*७८--श्री देव कुमार यादव--

[१२वें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*७९--श्री जगन्नाथ चौधरी--

[१२वें बुधवार के लिए स्थगित।]

*८०--श्री सन्त सिंह यूसुफ--

[१३वें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ५८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

अतारांकित प्रश्न

१--श्री रामसमझावन--

[१२वें बुधवार के लिये स्थगित।]

२--श्री राम पूजन पटेल--

[१२वें बुधवार के लिए स्थगित।]

प्रतापगढ़ जिले के विधान सभाई क्षेत्र में लगे नलकूप

३--श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी (जिला प्रतापगढ़) तथा श्री श्याम मिश्रा (जिला कानपुर)--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ जिले में किन-किन निर्वाचन क्षेत्रों में अब तक कितने-कितने नलकूप लगे हैं और कितने नलकूप निकट भविष्य में लगाने की योजना है?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

प्रतापगढ़ जिले में वर्ष १९७३-७४ के अन्त तक ७० नलकूप निम्न विधान सभा क्षेत्रों में लगाये जा चुके हैं।

विधान सभा क्षेत्र	.. कुन्डा	१
" " "	.. गंडवार	२०
" " "	.. प्रतापगढ़	१३
" " "	.. बौरापुर	३६

वर्ष १९७४-७५ में २० नलकूप लगाने का प्रस्ताव है।

जिला नैनीताल में काठगोदाम से दानीवागढ़ तक मोटर मार्ग का निमार्ण

४--श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला नैनीताल में काठगोदाम-होराई मोटर मार्ग के निर्माण का कार्य कब से प्रारम्भ किया गया और इसका कब तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

प्रश्नगत मार्ग (काठगोदाम से दानीवागढ़ तक) का निर्माण कार्य अप्रैल १९७२ मे प्रारम्भ हुआ और उसके मार्च, १९७६ तक पूर्ण होने की आशा की जाती है।

कानपुर जनपद की डेरापुर तहसील में नलकूपों का छिद्रण

५—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

विधान सभा के वर्तमान दूसरे सत्र १९७४ के तीसरे बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या १५ के संदर्भ में क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दो नलकूपों का छिद्रण किन-किन गांव में हुआ तथा ३ और नलकूपों के छिद्रण के लिये किस-किस गांव में स्थल निर्धारित किये गये हैं? क्या यह भी कृपया बतायेंगे कि कानपुर की जिला समिति ने नलकूपों के स्थानों का चयन कर लिया है? यदि हां, तो कहाँ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

कानपुर जनपद की डेरापुर तहसील में २ नलकूपों का छिद्रण निम्नलिखित ग्रामों में हो चुका है :—

१—सरगांव बुजुर्ग प्रथम,

२—सरगांव बुजुर्ग द्वितीय।

तीन अन्य राजकीय नलकूपों के छिद्रण हेतु निम्नलिखित गांवों में स्थल निर्धारित किये गये हैं।

१—गढ़ैवा,

२—इन्द्ररुख प्रथम,

३—इन्द्र रुख द्वितीय।

वर्ष १९७४–७५ के अन्य नलकूपों के स्थानों का चयन अभी नहीं किया है।

इलाहाबाद जनपद की तहसील सिराथू के कतिपय ग्रामों में बने नलकूपों की संख्या तथा नालियां न बनाया जाना

६—श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा तथा श्री जंगबहादुर सिंह पटेल (जिला इलाहाबाद)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जनपद सिराथू तहसील में ग्राम बिसारा दशरथपुर तथा कादीपुर में सन् १९७२–७३ में तीन ट्यूबवेल बनाये गये थे, अभी तक उन पर नालियां नहीं बनाई गई? नालियां न बनाये जाने का मुख्य कारण क्या है तथा कब तक बन कर तैयार हो जायेंगी?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

इलाहाबाद जनपद की तहसील सिराथू के ग्राम बिसारा, दशरथपुर तथा कादीपुर में वर्ष १९७२–७३ में नलकूप बनाये गये। ग्राम बिसारा तथा दशरथपुर में बने नलकूपों पर कच्ची गूल बन गई है। क्रमशः ५ फर्लांग एवं ३ फर्लांग पक्की गूल का भी निर्माण किया जा चुका है। ग्राम कादीपुर में बने नलकूप पर कृषकों की आपत्ति तथा चकबन्दी कार्य प्रगति पर होने के कारण अब तक जमीन नहीं मिली और नाली नहीं बन सकी है।

७—श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा तथा श्री जंग बहादुर सिंह पटेल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के सिराथू तहसील में सन् १९७३–७४ में कितने ट्यूबवेल बनाने का विभागीय प्रस्ताव था उनमें से कितने बने ? यदि नहीं तो न बनाने का मुख्य कारण क्या है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

इलाहाबाद जनपद की तहसील सिराथू में वित्तीय वर्ष १९७३–७४ में दो राजकीय नलकूपों के निर्माणका प्रस्ताव था जिनका निर्माण उसी वर्ष में ग्राम गनपा तथा खारा बिसारा में किया जा चुका है ।

८–९—श्री नन्द राम—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

बस्ती जिले के डुमरियागंज क्षेत्र में टेस्ट वर्क के अन्तर्गत व्यय तथा निर्मित सड़कें

१०—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी एवं फरवरी, १९७४ में बस्ती जिले के डुमरियागंज निर्वाचन क्षेत्र में कितने रुपये का टेस्ट वर्क हुआ और इसके द्वारा कितनी किलोमीटर सड़कें बनीं ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

बेकारी दूर करने की योजना के अन्तर्गत डुमरियागंज क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा २,०१,५०० रुपये व्यय किया गया तथा १८.०५ किलोमीटर कच्ची सड़क बनी ।

बहराइच जिले के जूनियर हाई स्कूल गोंठवा तथा हरिहरपुर रानी विकास खण्ड, प्राइमरी पाठशाला, चितईपुर के भवनों का निर्माण

११—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री को यह ज्ञात है कि बहराइच जिले में जूनियर हाई स्कूल गोठवा के पास अपना भवन नहीं है बल्कि फ्लड पोस्ट में स्कूल है ? यदि हां, तो क्या उस विद्यालय के भवन निर्माण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी हां । जूनियर हाई स्कूल गोठवा फ्लड पोस्ट में लगाया जा रहा है और उसके भवन निर्माण के लिये अभी कोई योजना नहीं है ।

१२—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि बहराइच जनपद के हरिहर पुर रानी विकास खंड के प्राइमरी पाठशाला, चितईपुर के भवन का निर्माण कई वर्ष हुये प्रारम्भ हुआ है और अभी तक अधूरा है ? यदि हां, तो विलम्ब का क्या कारण है और वह कब तक बन जायगा ?

श्री राम जी लाल सहायक—

प्राइमरी पाठशाला चितईपुर का भवन दिर्माण कार्य स्थानीय जनता द्वारा वर्ष १९७० में प्रारम्भ किया गया था । जनता द्वारा धन से और अधिक सहयोग न करने के कारण उक्त भवन अपूर्ण पड़ा है ।

जनपद इलाहाबाद की तहसील सोंराव में शारदा नहर की कतिपय पक्की सड़कें बनवाने की योजना

१३—श्री राम पूजन पटेल (जिला इलाहाबाद)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि जनपद इलाहाबाद, तहसील सोरांव में शारदा नहर की कस्तूरीपुर से सराय गोपाल तक तथा कस्तूरीपुर से सोरांव व मुकनन्दपुर से रामनगर तक पक्की सड़क बनवाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है। यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

ऐसी कोई योजना सिंचाई विभाग में विचाराधीन नहीं है। प्रश्न नहीं उठता ।

कन्या प्राइमरी विद्यालय अमिला ब्लाक बड़राव, आजमगढ़ के भवन हेतु निर्माण

१४—श्री जफर आजमी तथा श्री फजुलुर्रहमान अन्सारी (जिला बहराइच)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कन्या प्राइमरी विद्यालय अमिला, ब्लाक बड़रांव, आजमगढ़ के भव दिर्माण हेतु आज से दस वर्ष पूर्व अनुदान मिला था ? लेकिन भवन का निर्माण आज तक नहीं किया गया? यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी नहीं। उक्त विद्यालय के भवन निर्माण हेतु कोई अनुदान नहीं स्वीकृत किया गया था।

जिला फर्रुखाबाद के बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय का विशेष आडिट

१५—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९७४ में जिला फर्रुखाबाद के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का विशेष आडिट कब हुआ तथा उसमें कौन-कौन से मामले सामने आये हैं और उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री रामजी लाल सहायक—

वर्ष १९७४ में बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, फर्रुखाबाद का विशेष आडिट नहीं हुआ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

१६—श्री भारत सिंह चौहान—

[१३-८-७४ को अतारांकित प्रश्न २१ के अन्तर्गत उत्तरित।]

शारदा सहायक परियोजना डिवीजन बाराबंकी, सब डिवीजन निर्माण लखनऊ की स्कीम के अन्तर्गत स्वीकृत मानचित्र के अनुसार पुल का निर्माण

१७—श्री भीषम (जिला बस्ती)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक परियोजना डिवीजन, १९ बाराबंकी सब डिवीजन ४, लखनऊ स्कीम किलोमीटर ३-५ पर पी० आर० बी० के निर्माण

के घोटाले की कुछ जानकारी है जब कि उस पुल का निर्माण, निर्माण की दृष्टिकोण से और स्वीकृत मानचित्र के हिसाब से बहुत गलत ढंग से किया गया है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

जी नहीं। पुल का निर्माण उचित तकनीकी दृष्टिकोण एवं यथा सम्भव स्वीकृत मानचित्र के अनुसार किया गया है ।

जनपद आजमगढ़ तहसील घोसी में छोटी सरजू को गहरा व चौड़ा कराने का कार्य

१८—श्री जफर आजमी तथा श्री फजलुर्रहमान अन्सारी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद, आजमगढ़, तहसील घोसी में छोटी सरजू नदी को खोद कर गहरा करके कछार क्षेत्र को बाढ़ से बचाने के लिये सरकार योजना बना रही है ? यदि हाँ, तो ये कार्य कब से शुरू होगा और कब तक समाप्त होगा ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

जी हाँ, छोटी सरजू नदी को चौड़ा एवं गहरा करने की परियोजना का सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। परियोजना का आगणन अभी तैयार नहीं हुआ है। अतः कार्य आरम्भ करने का प्रश्न नहीं उठता।

जिला जालौन, तहसील कालपी में राजघाट बांध प्रायोजना के अन्तर्गत खरगाई में माइनर के निर्माण प्रस्ताव

१९—श्री वीर सिंह सेंगर—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला जालौन की कालपी तहसील के ग्राम खडगुई में कोई माइनर बनाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो उस पर कब से कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

जी हां । खरगाई माइनर का प्रस्ताव राजघाट बांध प्रायोजना के अंतर्गत नहर प्रणाली के आगणन में सम्मिलित है। राजघाट प्रायोजना पर कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

बस्ती जिले के इन्टरमीडिएट कालेजों के अन अप्रूव्ड कार्यरत प्रधानाचार्य

२०—श्रीमाधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती) तथा श्री राम चरन शाह (जिला लखीमपुर खीरी)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में इन्टरमीडिएट कालेजों के ऐसे कार्यरत प्रधानाचार्य कौन-कौन हैं जिनके प्रधानाचार्य पद का अपरूवल एक बार अस्वीकृत होने के बाद दुबारा शिक्षा सत्र १९७३–७४ में अपरूवल दिया गया ?

२१—क्या यह सही है कि उपरोक्त प्रश्न में उल्लिखित प्रधानाचार्य को प्रशिक्षण से छूट नहीं मिली है, उनका अपरूवल का केस एक बार उप निदेशक, शिक्षा (गोरखपुर मण्डल) द्वारा अस्वीकृत हो चुका था तथा जिसकी अपील उच्च न्यायालय में अपरूवल प्राप्त होने के समय विचाराधीन थी ?

श्री रामजी लाल सहायक—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

शाहजहांपुर के जिला परिषद् के विद्यालयों की अधूरी इमारतें

२२—श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहाँपुर)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद, शाहजहाँपुर में जिला परिषद् विद्यालयों की कितनी इमारतें अधूरी पड़ी हैं और क्यों? य इमारत कब तक बनेंगी?

श्री रामजी लाल सहायक—

संसाधनों की कमी के कारण ६४७ इमारतें अधूरी पड़ी हैं। इनमें से लगभग ६७६८ इमारतें सी० बी० आर० आई० द्वारा दिसम्बर, १९७४ तक पूरी कर लिए जाने की संभावना है।

वाराणसी जिले के जूनियर हाई स्कूलों के पास इमारतें न होना, तथा वहां खोले गए प्राइमरी पाठशालाओं की संख्या

२३—श्री चन्द्रभान आजाद (जिला बाँदा) तथा श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के कितने जूनियर हाई स्कूल ऐसे हैं जिनके पास इमारतें नहीं हैं? उनके नाम क्या हैं और इमारत की व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी?

श्री रामजी लाल सहायक—

वाराणसी जिले में ७ बालकों तथा ८ बालिकाओं के जूनियर हाई स्कूल (जिनमें ७ क्रमोत्तर कक्षायें भी सम्मिलित हैं) ऐसे हैं जिनके पास इमारतें नहीं हैं। इनकी सूची संलग्न है। जूनियर हाई स्कूलों के भवन निर्माण हेतु इस वर्ष कोई योजना नहीं है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १३९७ पर)

२४—श्री चन्द्रभान आजाद तथा श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि वर्ष १९७३–७४ में वाराणसी जिले के अन्तर्गत कितने बे० प्रा० पाठशाला खोले गये और कहाँ-कहाँ?

श्री रामजी लाल सहायक—

वाराणसी जनपद में १९७३–७४ में केवल एक बालकों का प्राइमरी स्कूल आराजी लाइन विकास क्षेत्र के कोरौली ग्राम में खोला गया।

बेसिक शिक्षा परिषद् बांदा के अन्तर्गत कन्या पाठशालाओं की अध्यापिकाओं का प्रधानाध्यापिका पद के लिए हुए साक्षात्कार की सूची न प्रकाशित करना

श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा तथा श्री जगन्नाथ सिंह परमार (जिला बाँदा)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद्, बाँदा के अन्तर्गत कन्या पाठशालाओं की अध्यापिकाओं का प्रधानाध्यापिका पद के लिये साक्षात्कार कब हुआ था और उसके आधार पर जो लिस्ट तैयार की गई थी वह लिस्ट अब तक क्यों नहीं प्रकाशित की गई?

श्री रामजी लाल सहायक—

साक्षात्कार १९–१२–७३ को हुआ था। लिस्ट प्रकाशित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है विलम्ब के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायगी।

मुख्य सचिव के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक विशेषाधिकार के अवहेलना के प्रश्न की सूचना मिली है।

(कई सदस्यों के साथ-साथ बोलने से शोर)

एक सदस्य—

मान्यवर, प्रश्नों से संबंधित मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

अभी नहीं, अभी विशेषाधिकार ले रहे हैं।

(शोर)

एक सदस्य—

मान्यवर, आगरा में जो बड़ी दुर्घटना हुई है, उसी से संबंधित है।

श्री अध्यक्ष—

अभी नहीं, अभी जो विशेषाधिकार का काम है उसको निपटा लें, उसके बाद।

(कई सदस्य इसके बावजूद भी बोलते रहे)

(शोर)

माननीय काशीनाथ मिश्र ने विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी है उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव के द्वारा जारी, स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जो पत्र ५ जुलाई, १९७४, १८ जुलाई, १९७४ को जारी किया गया था उसकी अवहेलना करके अनेकों विभागों में १८ जुलाई, १९७४ के बाद स्थानान्तरण हुये हैं। जिसके फलस्वरूप माननीय विधायकों के कमरों में स्थानान्तरण आदेश रद्द कराने के लिए सरकारी कर्मचारियों की भीड़ लगी रहती है। जिससे संसदीय कार्य संचालन में बड़ी बाधा पड़ती है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, इसको पूरा पढ़ दें।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

अध्यक्ष महोदय, हजारों आदमी मारे-मारे घूम रहे हैं। जबकि ७ जुलाई को ही आदेश दे दिया गया था।

श्री अध्यक्ष—

वह सवाल तो अलग है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

मान्यवर, सरकार क्या यह नाटक खेल रही है। आदेश की भी कोई मर्यादा होती है। पर इसका परिणाम क्या हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—

अब जो सूचना है, उसमें बात क्या है, इसमें मैं नहीं जानता तो माननीय सदस्य का कहना कि हमारे जो संसदीय कार्य हैं उसमें बाधा पड़ती है।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

मान्यवर, एक बड़ा आसान तरीका है। माननीय सदस्यों का कष्ट दूर हो जायगा। ऐसे लोगों के नाम जो कमरों में जाते हैं, मुझे भेज दें। मैं उनको मुअत्तल कर दूंगा। इससे जो विधायकों को परेशानी होती थी सब ठीक हो जायेगी।

(शोर)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

मान्यवर, कुछ समय के लिये विधायकों को ही मुअत्तल कर दिया जाय। सारा झंझट खत्म हो जायगा।

श्री अध्यक्ष--

(हंसते हुये) यह तो सही है। आपके पास जो अधिकारी आयें, स्थानान्तरण के लिये आप उनके नाम मुख्य मंत्री जी के पास भेज दें, वह मुअत्तल हो जायेंगे। आना बन्द हो जायगा।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)--

मान्यवर, इस आदेश के बावजूद भी ट्रांसफर क्यों हो रहे हैं? इनका कौन जिम्मेदार है?

श्री काशीनाथ मिश्र--

मान्यवर, हमारी सूचना पढ़ दीजिये, जो मैंने दिया है।

श्री अध्यक्ष--

मैंने तो कह दिया है, संक्षेप में। इसमें जो आपने कहा है, उसको मैंने संक्षेप में कह दिया है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मान्यवर, असल बात तो नीचे है। मुख्य सचिव के आदेश के बावजूद भी विभागाध्यक्ष लोग जान बूझकर इसकी अवहेलना कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

अवहेलना हो या न हो, मैं नहीं जानता। प्रश्न इतना है कि विशेषाधिकार क्या भंग हुआ? लेकिन आपने इस सवाल से अपने विशेषाधिकार को जोड़ा है। तो विशेषाधिकार का सवाल जहां तक है आपने स्वयं लिखा है और विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न करके हमारे पास भेजा है। इसलिये प्रश्न विशेषाधिकार का है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मान्यवर, राज्य में मुख्य सचिव सरकार का बड़ा अधिकारी है और अगर वह गलती करता है तो मैं छोटा आदमी इस सदन में उसकी गलती का कैसे निराकरण करा सकता हूं। मेरे कार्य में वह बाधा डालता है तो कौन सा ऐसा रास्ता है कि मुख्य सचिव के खिलाफ कार्यवाही की जा सके जिससे वह विभागाध्यक्ष के खिलाफ कोई कदम न उठाये। दिनांक १८ जुलाई के आदेशों के बावजूद उनके आदेश जारी हुये।

श्री कुदल--

मान्यवर, ७ जुलाई को एक आदेश निकाला गया कि जो प्रशासनिक दृष्टि से उचित होगा उसी कर्मचारी का ट्रांसफर किया जायेगा जैसे कि जो भ्रष्टाचार से संबंधित होगा तो उसी का ट्रांसफर होगा और कोई ट्रांसफर नहीं किया जायेगा। यह आदेश सभी मिनिस्टरों के यहां और जिलों के सभी अधिकारियों तथा विभागाध्यक्षों को ७ जुलाई को भेज दिये गये।

[श्री ऊदल]

परन्तु श्रीमन्, इस आदेश के अलावा हजारों कर्मचारियों के ट्रांसफर इस सूबे में हर विभागाध्यक्षों के द्वारा हो रहे हैं। और लोग मारे-मारे घूम रहे हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी जो सदन में हैं मैं उनसे चाहता हूं कि जो प्रशासनिक दृष्टि से अतिआवश्यक तथा भ्रष्टाचार का मामला न हो और जिनके ७ जुलाई के बाद ट्रांसफर हुये हैं उनको अब रद्द करवाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि क्या विशेषाधिकार की अवहेलना का सवाल लेकर...

(कई सदस्यों के बोलने पर)

अभी हम विशेषाधिकार का प्रश्न देख रहे हैं। मैं काशीनाथ मिश्र के आग्रह के बाद आश्वस्त नहीं हुआ हूं क्योंकि उक्त सूचना का विषय शासन की नीतियों और कामों से है, सदन की कार्यवाही से वह नहीं है। और माननीय सदस्य यह जानते हैं कि इसमें विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न निहित नहीं है। माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है वह सचिव को सम्बोधित नहीं है और ५ जुलाई, १९७४ तथा १८ जुलाई, १९७४ के आदेशों का जो उल्लंघन किया है। उनकी प्रतियों को संलग्न नहीं किया है। इसलिये यह नियमानुसार नहीं है। अतः मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं।

कार्य सूची ३ में यह सदस्यों के विशेषाधिकार से सम्बन्धित है और उसमें कोई विशेषाधिकार का उपयोग उन्हीं नियमों के अन्तर्गत होना चाहिये जो नियम आपको संरक्षण दे सकें।

जनता साप्ताहिक के सम्पादक, श्री जिया उल्लाह सिद्दीकी तथा पत्र लेखक श्री गोपाल प्रसाद गुप्त ग्राम प्रधान के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

श्री सूबेदार प्रसाद तथा श्री शिव सम्पत्ति राम ने विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि मिर्जापुर से प्रकाशित "जनता साप्ताहिक" दिनाँक २५ जुलाई, १९७४ के अंक में श्री गोपाल प्रसाद गुप्त, प्रधान, रोरवा, जिला मिर्जापुर का एक पत्र संपादक द्वारा जानबूझकर प्रकाशित किया गया है। उक्त पत्र में इन अंशों पर कि "जब तेंदू पत्ती के विषय में विधान सभा में बहस हो रही थी उस समय श्री सूबेदार प्रसाद वहीं सो रहे थे या बाहर तम्बाकू खाने गये थे", तथा श्री शिव सम्पत्ति राम के बारे में इस अंश पर कि "वह नये विधायक हैं अभी तो उन्हें उंगली पकड़ कर चलना सिखाया जा रहा है", आपत्ति की गई है और इन अंशों द्वारा दोनों विधायकों पर आक्षेप बताया गया है।

श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)--

मान्यवर, यह "जनता साप्ताहिक" पेपर ब्लैक मेल करने का काम करता है मैं वैसे सभी समाचार-पत्रों में श्रद्धा रखता हूं लेकिन जो व्यवहार हम विधान सभा में करते हैं, उस पर आक्षेप करने का किसी को अधिकार नहीं है। श्री गोपाल प्रसाद गुप्त ठेकेदार हैं और कमीशन एजेन्ट का काम करते हैं। साथ ही जो खाद्य विभाग द्वारा गल्ला भेजा गया था इन ठेकेदार के पास गल्ला बाँटने के लिये, वह इन्होंने दिया ही नहीं। इस बात से चिढ़कर उन्होंने हमारे क्षेत्र में हमको अपमानित करने के लिये यह छाप दिया है जो कि बड़ा अशोभनीय। यह सदन का अवमान है।

श्री अध्यक्ष --

जैसा कि पूर्व निर्णयों में उल्लेख किया गया है कि विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना घटना के अगले दिन तक दे देनी चाहिये। उपरोक्त अंश समाचार-पत्र में २५ जुलाई, १९७४ को प्रकाशित हुआ था। विशेषाधिकार की अवहेलना के उक्त प्रश्न की सूचना लगभग २० दिन बाद आज दी गई है.....

श्री सूबेदार प्रसाद--

जब हमें सूचना मिली तब हमने आपको दी है।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

मान्यवर, यह तो रिकॉरिंग है। इस तरह का जनता में प्रचार करना ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

२० दिन बाद जो सूचना मिली है और जो समाचार-पत्र में उल्लेख किया गया है उसमें क्या आपका असम्मान हुआ है, यह बतावें ? उसने यह लिखा कि श्री सूबेदार प्रसाद वहाँ सो रहे थे या बाहर तम्बाकू खाने गये थे। तो कौन सा अंश अशोभनीय है ?

श्री सूबेदार प्रसाद--

यह सरासर झूठ है और मुझे अपमानित करने के लिये यह छाप दिया है। यह जान-बूझकर ऐसा किया गया है।

श्री अध्यक्ष--

पिछली बार भी समाचार-पत्र में जो छपा था वह मैंने आपको पढ़कर सुनाया था। उसमें बहुत सी बातें कही गई। जो समाचार छपते रहते हैं और मान लीजिये आप उसके खिलाफ कार्यवाही करें तो क्या वह छपना बन्द हो जायगा और फिर दूसरे और छापने न लगेंगे ? आज की स्थिति आप देख रहे हैं। विधान सभा के बारे में और विशेषाधिकार के बारे में जो आज हवा है वह दूसरी बह रही है। उस पर अड़ने से आपका मामला बिगड़ता है। यह आपका औजार है और टंगा रहना चाहिये और कभी बहुत जरूरत पड़े तो इस्तेमाल किया जाना चाहिये।

श्री रामअधार (जिला आजमगढ़)--

चोर चोरी कर रहा है तो क्या उसको न कहें ? आप अपनी इस तरह की रूलिंग देते रहेंगे और यह चलता रहेगा।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)--

क्या हम यह मानकर चलें कि जब तक आप माननीय अध्यक्ष हैं यहाँ तो किसी अखबार के खिलाफ कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता?

श्री अध्यक्ष--

उठा है।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)--

जो अखबार इस तरह से निकालते हैं.....

श्री अध्यक्ष---

माननीय हरीश कुमार गंगवार ने एक बहुत अनुचित बात कही थी। मैं कहना चाहूंगा कि जब वह आश्वस्त नहीं कर सकते और इस तरह का आक्षेप करते हैं.....

श्री हरीश कुमार गंगवार---

मैंने ऐसा क्या कहा है....

श्री अध्यक्ष---

आप बैठ जायं। जब आप अध्यक्ष के खिलाफ ऐसा कह सकते हैं तो जब आपके खिलाफ कुछ हो जाता है तो आप क्यों छुईमुई हो जाते हैं?

श्री हरीश कुमार गंगवार---

आपको गुस्सा आ जाता है।

हिन्दी साप्ताहिक 'ग्रामवासी' के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष---

एक और सूचना सूबेदार प्रसाद ने दी है विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की जिस में उन्होंने कहा है कि मिर्जापुर से प्रकाशित हिन्दी साप्ताहिक 'ग्रामवासी' के दिनांक २९ जुलाई, १९७४ के अंक में एक टिप्पणी प्रकाशित की गयी है जिसमें उनके विधायक होने के कारण उन पर आक्षेप किया गया है। उक्त सूचना भी बहुत विलम्ब से दी गयी है। उक्त समाचार २९ जुलाई, १९७४ के पत्र में प्रकाशित हुआ था। पूर्व निर्णयों के अनुसार विशेषाधिकार अवहेलना के प्रश्न की सूचना घटना के दूसरे दिन दी जानी चाहिये। सूचना के संलग्न समाचार पत्र में जिस टिप्पणी के सम्बन्ध में आपत्ति की गयी है उसमें विधायक द्वारा अपने क्षेत्र में किये गये कार्यों के सम्बन्ध में टीका की गयी है किन्तु उसमें सदन में सदस्य के कार्यों के सम्बन्ध में कोई आक्षेप नहीं किया गया। अतः मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)---

मैंने कौन सी अनर्गल बात कही, मेरा वाक्य दुहरा दें यहाँ लिखा गया है।

मुख्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष---

श्री मोतीलाल देहलवी ने नियम ६३ के अन्तर्गत विशेषाधिकार की अवहेलना एवं अवमान के एक प्रश्न की सूचना दी है। उनका कहना है कि दिनाँक १३ अगस्त, १९७४ को बाढ़-पीड़ित क्षेत्र को केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता देने से सम्बन्धित कार्य-स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री उनके एक कथन पर आवेश में आ गये और उनके प्रस्ताव का उत्तर देते समय इतना उग्र हो गये कि उग्रतावश यह कहकर बैठ गये कि वे उत्तर नहीं देंगे।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)---

मैं बैठे जाता हूं। आप पढ़ते रहें।

श्री अध्यक्ष---

मैंने इस सम्बन्ध में कार्यवाही मंगायी। चौधरी साहब ने भी इसमें हिस्सा लिया था।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

कार्यवाही से आवेश नहीं मालूम होगा ।

श्री अध्यक्ष---

जो कहा है वह तो मालूम हो जायगा । "श्री मोतीलाल देहलवी केन्द्रीय सरकार हमसे गेहूं माँगे, केन्द्रीय सरकार हमारा सारा धन इकट्ठा करे और जब हम पर कोई आपत्ति या मुसीबत आवें तो केन्द्रीय वित्त मन्त्री हमारे वित्त मन्त्री को इस तरह का जवाब दें तो अध्यक्ष महोदय या तो हमारे वित्त मन्त्री उनको कन्विन्स नहीं कर पाये, अक्षम हैं कि इस तरह का जवाब लेकर चले जायें या कुछ और बात हुई । इस सम्बन्ध में मैं बहुगुणा जी से पूछना चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्यों है ।"

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

अध्यक्ष जी, मुझे अफसोस है मोतीलाल जी का जवाब देना तो बहुत कठिन है । वह इस सदन की सबसे बड़ी शोभा हैं उनकी बात का उत्तर देना अनुचित है । मैं सिर्फ यही निवेदन करना चाहूंगा कि वे पाँच साल तक इस सदन की शोभा बने रहें और उस शोभा और आदर्शों से बराबर हमें प्रभावित करते रहें ।

श्री काशीनाथ मिश्र---

यह तो उन्होंने प्रशंसा की है । प्रशंसा को अपमान समझते हैं तो यह उनके दिमाग की खूबी है । इसको आप खारिज कर दीजिये ।

श्री अध्यक्ष---

फिर चौधरी साहब ने कहा कि "मैं मुख्य मन्त्री जी से यह कहना चाहता हूं कि देहलवी जी पर बहुत नाराज होने की आवश्यकता नहीं है । उन्होंने जो कुछ कहा है, उससे आपकी कुछ मदद ही हो जायगी ।" फिर देहलवी जी बोले हैं "लेकिन आप मांगने गये तो आपको भगा दिया ।" इस पर मुख्य मंत्री ने कहा "मैं उनका जवाब नहीं दे सकता हूं, मेरी बदकिस्मती है मैं उनका जवाब दे रहा हूं । " इसके बाद कुछ नहीं है । यह उस दिन की कार्यवाही है । देहलवी जी [उसी वक्त खड़े हो जाते कि उनका अपमान हुआ है । मैं इसे अस्वीकृत करता हूं ।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)---

आपको क्रोध भी होता है [लेकिन सात्विक होता है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने कल जो क्रोध किया वह अकारण था ।

श्री अध्यक्ष---

मैं क्रोध थोड़े ही करता हूं ।

श्री मोतीलाल देहलवी---

यह सदन अब भी केन्द्रीय सरकार से अपेक्षा करता है कि बाढ़ पीड़ित इलाके की वह मदद करें । अब भी मैं यह जानना चाहता हूं माननीय वित्त मंत्री तथा केन्द्रीय वित्त मंत्री की क्या बातचीत हुई, किस तरह से वह असफल हुए जिससे वह वहां से सहायता नहीं पा सके । एक तरफ तो मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि उनके पास मदद करने के लिये साधन नहीं हैं, तो यह स्वाभाविक है कि केन्द्रीय सरकार से सहायता ली जाय और माननीय मुख्य मंत्री जी सदन को अवगत कराने जा रहे थे कि केन्द्रीय वित्त मंत्री से क्या बातचीत हुई (व्यवधान) लेकिन अकारण वह आवेश तथा तैश में आ गये । आपने कार्यवाही में जो पढ़ा है वही अवमान का प्रश्न बनता है ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

वह जो आपने कार्यवाही से पढ़ा वह तो मुख्य मंत्री जी ने देहलवी साहब की तारीफ की है।

(शोरगुल)

श्री मोतीलाल देहलवी--

अगर इस तरह से सदन में मुख्य मंत्री जी क्रोधित हो जायंगे तो सदन में माननीय सदस्य अपने दायित्व को पूरा करने से वंचित रह जायंगे। सदन अब भी यह जानना चाहता है कि आखिर केन्द्रीय वित्त मंत्री से हमारे वित्त मंत्री की क्या बातचीत हुई ?

श्री अध्यक्ष--

यह दूसरा सवाल है। इसे आप विशेषाधिकार के माध्यम से नहीं पूंछ सकते।

श्री मोतीलाल देहलवी--

हम तो उनकी मदद करना चाहते थे कि केन्द्रीय सरकार यहां के बाढ़ग्रस्त इलाके की मदद करे लेकिन माननीय मुख्य मंत्री क्रोधित हो गये और वह अपने प्रयास में असफल हुए।

श्री अध्यक्ष--

अब काफी हो गया और आप काफी कह चुके।

श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)--

एक सूचना मैंने दी थी। मुझे आप बोलने न दें लेकिन उसे सदन में पढ़कर सुना दें।

श्री अध्यक्ष--

आपकी नहीं है।

(व्यवधान)

इटावा जिले के विरोधी दल के सदस्य की कथित हत्या के षड़यंत्र के सम्बन्ध में श्री मुंशीलाल द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री अध्यक्ष--

अब श्री मुंशीलाल जी अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देंगे।

श्री मुंशीलाल (जिला मैनपुरी)--

अध्यक्ष महोदय, मैं कल सदन में उपस्थित नहीं था। मेरे ऊपर हमारे कुछ भाइयों ने आरोप लगाये हैं। इससे पहले मैं आपके द्वारा यह बता देना चाहता हूं कि जिला इटावा हरिजन भाइयों के कई पत्र वहां के पुलिस अधीक्षक के प्रति प्राप्त हुये हैं। यहां तक कि हरिजन महिलाओं के साथ दिन में बलात्कार करके उनके स्तनों को. . .

(सदन में बहुत शोर और व्यवधान हो गया।)

श्री अध्यक्ष--

आप व्यक्तिगत स्पष्टीकरण ही दे सकते हैं जो आपके बारे में कहा गया हो उसी की सफाई आप कर सकते हैं। नया आरोप कोई न लगायें।

श्री मुंशीलाल--

मान्यवर, यहां तक कि जाती हुई महिलाओं और एक १७ वर्ष की लड़की के साथ ऐसा व्यवहार किया गया है. . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप आरोप न लगायें। किसी माननीय सदस्य ने आपके बारे में कुछ कहा तो उसी की सफाई हो सकती है।

श्री मुंशीलाल--

मैंने एक लेटर पुलिस अधीक्षक को लिखा था १-७-७४ को, जिसमें मैंने यह मांग की थी कि वहां पर इतने अत्याचार हरिजन महिलाओं के साथ हो रहे हैं इसलिये उनकी जांच करायी जाय। मेरे प्रति पुलिस अधीक्षक ने बयान दिया होता तो मैं मान लेता। किन्तु यह बताया गया है कि मेरी उनके साथ सांठ-गांठ है। सन् ६७ से मैं चौधरी साहब के सम्पर्क में हूं। चौधरी साहब मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। वे इस बात की जांच करा लें और जिस व्यक्ति ने ऐसा कहा है कि मेरी सांठ-गांठ है, अगर यह बात साबित हो जाय तो मैं यहां की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा।

मेरे बारे में यह कहा गया कि मुंशीलाल कत्ल करवाना चाहता है। तो यह जो लांछन मेरे ऊपर लगाया गया है, मैं इसे केवल चौधरी साहब पर छोड़ देना चाहता हूं कि वे जांच करवा लें। जिन लोगों ने ऐसा कहा है उनके चरित्र की भी जांच करवा ली जाय और मेरी, मेरे रिश्तेदारों, मेरे पिता और परिवारवालों के चरित्र की जांच भी करवा ली जाय और तब देखा जाये कि उनका चरित्र क्या है और मेरा चरित्र क्या है। मैं आपके सामने बता देना चाहता हूं कि एस०पी० इटावा ने हरिजनों के लिये यह आदेश दे रखे थे कि यदि कोई भी हरिजन आवे तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जायेगी....

(व्यवधान)

एक सदस्य--

इनको बोलने दिया जाय।

श्री मुंशीलाल--

मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है लेकिन जो यह बताया कि भाई नत्थूसिंह की हत्या करने के लिये मेरी सांठ-गांठ है यह गलत है। मेरे ऊपर भी तीन गोलियां चलाई गईं। मई में मैंने भी मुख्य मंत्री जी को लिखकर दिया कि मेरे ऊपर गोली चलाई गई इसका प्रबन्ध किया जाय। जिन भाइयों ने यह बताया कि मेरी सांठ-गांठ है, मैं फिर दुहराना चाहता हूं कि चौधरी साहब की राय मुझे मंजूर है, वे एक बुजुर्ग आदमी हैं, पहले मुख्य मंत्री भी रह चुके हैं, उनकी बात मानने के लिये मैं तैयार हूं इसकी जांच करवा ली जाय। मेरे ऊपर जो लांछन लगाया गया है वह झूठ है और असत्य है। मैं उस आदमी को जानता भी नहीं हूं और जांच के बाद यदि यह सिद्ध हो जाय कि मैं उसे जानता हूं तो मैं सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा और फिर दुबारा यहां नहीं आऊंगा।

जहां तक भारत सिंह चौहान जी का सवाल है मैंने इसी सम्बन्ध में यहां पर एक व्यक्तिगत सवाल भी किया था। जब से पुलिस अधीक्षक सुरेश चन्द्र चौबे इटावा में आये तभी से २१६ की नोटिस दी गई। और उन्हीं की सारी बन्दूकें जमा कराकर जेल भेजा गया। मान्यवर, हर कौम में डाकू और चोर लुटेरे होते हैं, हुआ करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यदि किसी कौम में कोई डाकू है तो उस कौम के सभी आदमी डाकू हैं या उनके साथी हैं। ब्राह्मण, ठाकुर सभी कौमों में डाकू हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि ठाकुर या ब्राह्मण कौम के सभी व्यक्ति डाकू हैं। जब मेरे ऊपर इतना बड़ा लांछन लगाया गया, उस समय मैं सदन में नहीं था, अब इस वक्त उस पर अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री रामअधार (जिला आजमगढ़)---

आप अपनी इस पर व्यवस्था दें। जो यह स्पष्टीकरण हो रहा है वह किस नियम के अधीन हो रहा है?

श्री मुंशीलाल---

एक बात साथ-साथ और बताना चाहता हूं, अभी हाल ही में वहां ३ आदमी मार डाले गये, किन्तु उनकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई।

श्री अध्यक्ष---

अब आप समाप्त करें और बैठें। आपने अपनी निजी सफाई दे दी है। और आगे कहने का आपको ऐसा अधिकार नहीं है।

श्री मुंशीलाल---

चौधरी साहब या बिजीलेंस द्वारा इंक्वायरी करा ली जाए, जो दोषी पाया जाए, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए। मैं चौधरी साहब को ही इसके लिए नियुक्त करता हूं, वह स्वयं इसकी जांच कर लें।

श्री गौरी शंकर (जिला इटावा)---

[× × × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

आप कल बोल चुके हैं, आपको इस तरह से इजाजत नहीं है। यह कुछ लिखा नहीं जाएगा, आपको इजाजत नहीं है, आप बैठिए। कल निजी स्पष्टीकरण दे चुके हैं। यह उचित नहीं है, आप बैठिए।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)---

अध्यक्ष महोदय, मैंने कल देखा पहली बार और आज भी देखा कि माननीय गौरीशंकर जी बहुत आवेश में आ जाते हैं और इशारा करके मेरी तरफ आज कुछ कह रहे थे, जिसे मैंने कुछ सुना नहीं। तो मैं चाहूंगा कि यदि आप इजाजत दे दें तो वह फिर से कह दें और मैं शान्ति के साथ सुन लूं जो उन्होंने कहा है।

श्री अध्यक्ष---

नहीं। मैंने कह दिया वह लिखा नहीं जाएगा, मैंने उनको रोक दिया है। असल में व्यक्तिगत स्पष्टीकरण जो है, उसके खिलाफ यह पड़ता है। कल उन्होंने व्यक्तिगत सफाई दे दी है, अब मैं उनको कतई इसका मौका नहीं देता हूं।

श्री गौरीशंकर---

[× × × ×]

(व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)---

कार्यवाई में नहीं लिखा गया, लेकिन सदन ने तो सुना, इसलिए जिन पर आरोप लगाया गया है, उनको सफाई का मौका मिलना चाहिए।

[× × × ×] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

(श्री गौरीशंकर के खड़े होने पर) आप कोई सवाल उठाना चाहते हैं तो उसका दूसरा ढंग है, इस तरह से नहीं, आप बैठिए।

श्री गौरीशंकर--

[× × × ×]

श्री अध्यक्ष--

यह बिना किसी इजाजत के बोल रहे हैं, यह नहीं लिखा जाएगा, न कार्यवाही का अंग होगा।

(व्यवधान)

विविध विषय

श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)--

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का सवाल है, वह इस तरह से खड़े हुए और आपने उनको रोका नहीं। मैं इस सदन का एक सदस्य हूं, मेरा कत्ल होते-होते बचा और आपके शासन के अधिकारियों . . .

श्री अध्यक्ष--

आपने लिख कर कुछ दिया है ?

माननीय भगौती प्रसाद आपने समय से लिख कर नहीं दिया। अभी आप एक कागज दे गये। अभी मैंने उसको देखा नहीं है। आप कल उठाइयेगा। जो कागज आप देंगे, उसको हम देख लेंगे तब उसके बाद उठाने की इजाजत देंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)--

व्यवस्था का प्रश्न है। हमारी व्यवस्था यह है कि जैसे कोई माननीय सदस्य इस सदन के अन्दर किसी अधिकारी पर, बजट सेशन में भी आरोप लगाये, और उन आरोपों के बाद मंत्री जी से कहा जाय, सरकार से कहा जाय कि उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई, तो वह यह कह देते हैं कि लिख कर दीजिये। मैं आपसे यह रूलिंग चाहूंगा कि जो सदन में कहा जाता है, जैसे मैंने अभी सहकारिता के कटौती के प्रस्ताव पर आरोप लगाया . . .

श्री अध्यक्ष--

यह काल्पनिक प्रश्न कर रहे हैं। रूलिंग दी जायगी जब सवाल उठेगा तब। आप बैठें कृपा करके। इजाजत नहीं है। रूलिंग दी जायगी जब कोई सवाल आ जायगा। किसी के कहने पर रूलिंग दी जाती है ? यह काल्पनिक प्रश्न है।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

अखबार में सत्यपाल मलिक का नाम निकला, हमेशा टाल देते हैं, हम लोगों को. . .

श्री अध्यक्ष--

अखबार को स्वाधीनता नहीं है हमेशा सही छापने की, स्वतन्त्रता सिर्फ यह है कि स्वतन्त्र होंगे छापने के लिए।

[× × × ×] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

कानपुर नगर महापालिका के अन्तर्गत हजारों एकड़ भूमि अधिकारियों, व्यापारियों तथा संसद सदस्यों द्वारा हड़प लिए जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्रम मंत्री (श्री राजमंगल पाँडेय)--

प्राप्त सूचना के अनुसार १ फरवरी, १९६० को कानपुर नगर महापालिका की स्थापना के समय तथा बाद में ८५ गाँव की ग्राम समाज भूमि महापालिका में निहित हुई थी, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग २१,२०६ बीघा, ९ बिस्वा था। प्रारम्भ में उक्त भूमि के अभिलेख महापालिका को हस्तांतरित नहीं किए गए थे। काफी प्रयास के बाद ८२ गाँवों के अभिलेख १९६४ में प्राप्त हुए और शेष २ गाँवों के अभि लेख अप्रैल, १९७४ में प्राप्त हुए। किन्तु मौके पर किसी भी गाँव की भूमि का कब्जा महापालिका को नहीं दिया गया। इसके अतिरिक्त जो भू-अभिलेख प्राप्त हुए, वे भी अपूर्ण थे। अतः प्रश्नगत ग्राम समाज की भूमि के आवंटन आदि के सम्बन्ध में जो गड़बड़ियाँ की गयी थीं उनकी विस्तृत जानकारी महापालिका को प्राप्त नहीं हो सकी।

४ साल की अवधि में, राजस्व अभिलेखों में ग्राम समाज की भूमि से सम्बन्धित इन्द्राज में बहुत हेर-फेर किए गए और संभवतः फर्जी इन्द्राज व पट्टे भी दिए गए, जिसका कोई रिकर्ड महापालिका को नहीं दिया गया। यह बताया गया कि फलस्वरूप कुछ लोगों ने फर्जी इन्द्राज के आधार पर मुआवजे की रकमें भी उठा ली थी। महापालिका में निहित प्रश्नगत भूमि को हड़पने की इस सुनियोजित साजिश के प्रकाश में आने पर, मामले की गम्भीरता को देखते हुए शासन ने १९६७ में मामले की जाँच अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी। जाँच अब भी जारी है। चूंकि फर्जी इन्द्राज आदि के सैकड़ों मामले हैं, अतः जाँच पूर्ण होने में समय लगने की संभावना है।

महापालिका द्वारा सन् १९६७ में प्रश्नगत ग्राम समाज की भूमि से सम्बन्धित सारे अभिलेखों की छानबीन की गयी और खतौनी व खसरे की नई सूची तैयार की गयी। तत्पश्चात् सन् १३६३ फसली से रिकर्ड तैयार कराये गए और उसमें तकरीबन २,००० मामले गलत इन्द्राज के पाये गए। १३६५ मामलों में मुकदमें दायर किए गए, जिनमें ९० प्रतिशत मामले महापालिका के पक्ष में निर्णीत हुए हैं। अदालत के फैसले के अनुसार सम्बन्धित अभिलेख तहसील में दुरुस्त कराये जा चुके हैं। २०० मामलों में उच्च न्यायालयों में अपील की गयी। इसके अतिरिक्त लगभग ६०० मुकदमें और दायर किए जाने हैं। कुछ मुकदमें दायर किए जा चुके हैं तथा कुछ मामलों में कागजात की छानबीन की जा रही है।

महापालिका द्वारा न तो किसी ग्राम समाज की भूमि का पट्टा किया गया है और न ही बेची गयी है। केवल लगभग ५,२०६ बीघा ग्राम समाज भूमि जो विभिन्न योजनाओं अन्तर्गत महापालिका भूमि के आस-पास पड़ती थी और ले आउट में शामिल हो सकती थी, उसे महापालिका भूमि के साथ विकसित कर वर्तमान मूल्य पर पट्टे के आधार पर हस्तान्तरित किया गया है।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)--

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि १९६० में ८५ गाँवों की जमीन महापालिका को हस्तान्तरित हुई। लेकिन उससे संबंधित कागजात ६४ में और दो गाँवों के कागजात १९७४ में मिले। तो इतने समय तक महापालिका को कागजात न मिलने के लिये कौन लोग जिम्मेदार थे और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई, क्या जानबूझ कर जमीन को हड़प करने के लिये ये लोग साजिश कर रहे थे ?

श्री राज मंगल पाँडेय--

१९६४—६७ में तो सी० आई० डी० को सारी चीज दे दी गई थीं। यही सही है कि तीन साल तक रिकार्ड्स नहीं मिले। कुछ रिकार्ड्स उपलब्ध नहीं थे और कुछ अधूरे थे। जब जमींदारी का अबालीशन हुआ तो जो सम्पत्ति महापालिका को निहित हुई तो उसके आँकड़े को लेखपाल जो गाँव समाज का सेक्रेटरी होता था उसने मेनटेन नहीं किये। यह चीज सारे प्रदेश में हुई। एक प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया में यह चीज गई। तो रिकार्ड इसमें नहीं आ सके। इसके लिये गाँव समाज जिम्मेदार है। इसके लिये कोई एक व्यक्ति दोषी नहीं है। अब तो सारे कागजात सी० आई० डी० के पास चले गये हैं कागजात अधूरे रह गये इसलिये सी० आई० डी० के सामने भी समस्या पैदा हुई। इसीलिये देरी हुई।

श्री रामसेवक यादव--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किस सी० आई० डी० के अधिकारी द्वारा जाँच हो रही है और सात वर्ष हो चुके हैं तो जाँच की प्रगति क्या है और कौन-कौन से मुद्दे उनके सुपुर्द किये गये हैं और किन लोगों के खिलाफ जमीन हड़पने की शिकायत थी और कौन जाँच कर रहा है ?

श्री राजमंगल पाँडेय--

मान्यवर, शिकायत तो उनको मालूम है कि ग्राम समाज की जमीन हड़प ली है और चूंकि कई हजार एकड़ जमीन थी और फर्जी पट्टे हुए इसलिये मामले की गम्भीरता को देखते हुये मामले को सी० आई० डी० को दिया गया। इसमें कई जगह हैंड्स चेंज हुये। अब इसकी जाँच सी० आई० डी० एक वरिष्ट अधिकारी कर रहा है। अब कौन अधिकारी कर रहा है यह नहीं कहा जा सकता है। कई जगह सब-इन्सपेक्टर और इंसपेक्टर अलग-अलग जाँच कर रहे हैं। यह नहीं है कि एक आध अधिकारी जाँच कर रहा हो।

श्री राम सेवक यादव--

जाँच की प्रगति क्या है ?

श्री राजमंगल पाँडेय--

मान्यवर, जाँच की प्रगति तो इसी से देखी जा सकती है कि १३६५ मुकदमे कोर्ट्स में दाखिल हुये जिनमें से ९० परसेंट कामयाब हो चुके हैं और कब्जा मिल चुका है। २०० मुकदमे उच्च न्यायालय में हैं और ६०० मुकदमे दायर होने हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

सी० आई० डी० जाँच कर रही है तो क्रिमिनल औफेंस बना है या नहीं ?

श्री राजमंगल पाँडेय--

सैकड़ों मुकदमे दाखिल करने के लिये उसने रिपोर्ट दी है।

श्री जगदीश अवस्थी (जिला कानपुर)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इसमें काफी अनियमिततायें हुई हैं और सी० आई० डी० जाँच कर रही है, तो क्या जाँच परिणाम में ऐसी बात आई है कई जिम्मेदार लोग हैं जो विधान मण्डल के सदस्य रहे हैं और संविद सरकार के मंत्रि-परिषद में भी सदस्य रहे हैं,उनके विरुद्ध भी आरोप आये हैं, यदि हाँ, तो वे क्या हैं ?

श्री राजमंगल पाँडेय--

मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूं कि वे लोग संविद सरकार के हैं क्या किसके हैं, लेकिन बड़ी गड़बड़ी हुई है और कुछ फर्जी पट्टे भी हुये हैं।

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)--

अध्यक्ष महोदय, कानपुर में महापालिका की और नजूल की लाखों रुपये की जमीन पर लोगों ने अनअथोराइज्ड कब्जा कर लिया है। इसके अलावा बड़े-बड़े लोगों ने मकान बनाने के लिये चार आने गज पर जमीन ली और अब उसको १५० रुपये गज के हिसाब से बेच रहे हैं और एक हजार रुपये की दुकान बना कर किराये पर दे रहे हैं। इसलिये मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि इसके लिये एक कमीशन मुकर्रर किया जाय। कानपुर में जो लाखों रुपयों की लूट हुई है उसकी बाकायदा जाँच हो जानी चाहिये। कानपुर में बहुत लूट हुई है, अध्यक्ष महोदय, आप उसका अन्दाजा नहीं कर सकते हैं।

श्री राजमंगल पाँडेय--

जाँच हो रही है आवश्यकता पड़ेगी तो उच्च अधिकारियों से जाँच करा लेंगे।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा (जिला कानपुर)--

वहाँ चकबन्दी हो रही थी ६२-६७ के कार्यकाल में। वहाँ पर कुछ संगठित गिरोह ने जिले के अधिकारियों और चकबन्दी अधिकारियों की साँठ-गाँठ से मिला कर जो परती और बंजर जमीन पड़ी हुई थी उसको जिमन ४, लेखपाल के कागज में एक साल का कब्जा दर्ज करा दिया और अदालत में दरख्वास्त दी कि हमारा कब्जा है और हमें सीरदार के अधिकार दिए जायें। एस० ओ० सी० ने उनको अधिकार दे दिया और इस तरह से उन लोगों ने हजारों-हजारो एकड़ जमीन हड़प लिया। इसमें जिले के प्रमुख अधिकारी और उस वक्त के एक मिनिस्टर के दामाद और बड़े-बड़े नेता सम्मिलित थे।

श्री राजमंगल पाँडेय--

उन लोगों के खिलाफ ४२० और ४६८ के अन्तर्गत कार्यवाही कर रहे हैं एक तो वह जमीन से हाथ धोयेंगे और जेल अलग जायेंगे।

श्री रामसेवक यादव--

मैंने जो सूचना दी थी उसमें मैंने एक दैनिक पत्र नेशनल हेराल्ड को सत्तारूढ़ दल का प्रमुख पत्र है उसकी ओर मैंने ध्यान आकर्षित किया था। इसमें जो कहा गया है वह कहाँ तक सही है। इसमें २ एम० पी० शामिल हैं जो कभी यहाँ सदस्य थे। इसमें एस० डी० एम० शामिल हैं कारपोरेटर और यहाँ के नगर प्रमुख भी शामिल हैं और बड़े-बड़े विजनेसमैन शामिल हैं और उन्होंने कौड़ी के दाम पर उस जमीन को लेकर अपने इस्तेमाल में उन पर इमारतें बनवायीं और भारी दामों पर बेंची। सी० आई० डी० ६७ से जाँच कर रही है। ५ वर्ष में सरकारें बदलती हैं अब तो जल्दी-जल्दी बदलती हैं और ७ वर्ष हो गये अभी उसकी जाँच चल रही है, तो कितने दिनों तक और जाँच चलेगी। विधान परिषद् के अध्यक्ष जिनके खिलाफ इतने आरोप लग चुके हैं, सैकड़ों एकड़ जमीन पर कब्जा जमाये हुए बैठे हैं। ये लोग उसमें शामिल हैं।

श्री अध्यक्ष--

नाम आप नहीं कह सकते हैं। उस हैसियत से नहीं किया होगा।

श्री रामसेवक यादव--

तो यह सब आरोप है इसमें। इसके सम्बन्ध में मैं जानना चाहूंगा कि कौन सही हैं?

श्री राजमंगल पाँडेय--

अभी तक जो तथ्य आये हैं उसके आधार पर जो भी गजटेड आफिसर्स या नान-गजटेड आफिसर्स हैं, जिसमें डिप्टी कलेक्टर्स, कानूनगो, नायब तहसीलदार भी है, जिनके खिलाफ तथ्य आ रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दाखिल कर रहे हैं। मैं यह भी इस सदन को यकीन दिलाना चाहता हूं चाहे ७ वर्ष बीते या १० वर्ष बीते लेकिन मुकदमें की गम्भीरता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह सही है कि जस्टिस डिलेज इज जस्टिस डिनाइड। लेकिन जितना भी समय लगे परन्तु जिसके खिलाफ शिकायत है तथा तथ्य मौजूद हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही होगी।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

मान्यवर, आदमी को मार डालेंगे तो फिर कैसे मामला चलेगा? तब तो इन्क्वायरी बेकार हो जायगी?

श्री राजमंगल पाँडेय--

मान्यवर, जिसके खिलाफ मुकदमा हो, वह स्वयं खत्म हो जाय तभी मुकदमा खत्म हो सकता है वरना मुकदमा खत्म नहीं होगा समय जो भी लगे। हमने स्टाफ बढ़ाया है ताकि जाँच जितनी जल्दी हो सके वह पूरी हो जाय। इसमें चूंकि बहुत बड़ा फ्राड हुआ है इसलिए इसमें समय लगगा। लेकिन मैं पूरे सदन को आश्वास्त करना चाहता हूं कि सरकार इसके बारे में पूरी कार्यवाही करेगी। कोई भी अधिकारी, चाहे जिस पद पर हो, किसी के लिए कोई भी मुरव्वत नहीं की जावेगी।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

माननीय मंत्री जी इन ८५ गाँवों की रिपोर्ट एक साथ न देकर, १-१ गाँव की या दो-दो गाँव की अन्तिम रिपोर्ट मंगा लें। क्या ये ८५ गाँव एक ही स्थान पर मिल जायेंगे? यह तो बड़ी अच्छी बात हुई कि कोई मर गया है तो मुकदमा खत्म हो जायगा और नहीं मरा तो मुकदमा खत्म नहीं होगा, मुकदमा कहीं जाने वाला नहीं है, चाहे जो भी समय लगे। गालिबन यह संविद सरकार के जमाने का आर्डर है, तब से सात साल हुए।

श्री राजमंगल पाँडेय--

मान्यवर, मैंने यह कहा कि सी० आई० डी० ५२ गाँव में जाँच कर रही है। कुछ मुकदमों में चार्जशीट लग गई है और वे अदालत भेज दिये गये हैं। मैंने स्टाफ बढ़ाने की बात कही है और दूसरी बात मैंने यह कही कि यदि कोई व्यक्ति, जिसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है वह यदि मर जाता है, तब तो मुकदमा खत्म हो सकता है वरना समय जो भी लगे मुकदमा खत्म नहीं होगा जब तक मुलजिम मर नहीं जाता है।

चौधरी चरण सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि पहले कितना स्टाफ था और फिर स्टाफ कब बढ़ाया गया है और स्टाफ बढ़ाया गया है तो कितना स्टाफ बढ़ाया गया है?

श्री राजमंगल पाँडेय--

मान्यवर, मेरे पास तो पूरे आँकड़े नहीं हैं। दिनाँक ९-४-७४ को इस जाँच के लिए ४ सी० आई० डी० इन्सपेक्टर्स की नियुक्ति की गई थी। यदि जाँच में विलम्ब होता है तो स्टाफ में और बढ़ोत्तरी कर दी जायगी?

चौधरी चरण सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, डी० आई० जी० (सी० आई० डी०)को बुलाकर इस बात की जानकारी क्यों नहीं कर ली जाती है कि कितने स्टाफ की जरूरत है ?

श्री राजमंडल पाँडेय--

चौधरी साहब को यह मालूम है कि क्या स्थिति है। अगर यह मालूम हो जायगा कि काम काफी विलम्ब से होगा तो कुछ और प्रयत्न करने के बाद, तब हम शीघ्र काम करने के लिए दबाव डालेंगे।

श्री काशी नाथ (जिला बलिया)--

जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने और माननीय मंत्री जी ने मंजूर किया है कि यह बहुत अहमियत का मामला है। सी० आई० डी० का जांच करने का जो प्रोसेस है, उसमें वर्षों लग सकते हैं। इस मामले में फर्जी कागजात बने हुऐ हैं इस प्रकार की बातें, श्रीमन्, कानपुर ही नहीं लखनऊ में भी हुई हैं जहां पर बड़े-बड़े लोगों ने जमीनें हड़पने के लिये प्रयास किये हैं, और राष्ट्र के हित में इनको जल्द से जल्द रोकने की जरूरत है तो जो तरीका जांच कराने का सरकार का है, इससे मसला हल नहीं होगा। मेरी प्रार्थना है कि किसी स्पेशल तरीके से साक्ष्य के तरीके से ३ महीने का टाइम देकर, लोगों की गवाहियां लेकर, कमीशन मुकर्रर करके उसके द्वारा जितने फर्जी कब्जे हैं, उसके लिये स्पेशल कानून बनाकर, उन सबको बेदखल कराने की व्यवस्था करें ?

श्री राजमंगल पांडेय--

कमीशन बनाने से इस समस्या का समाधान नहीं हो पायेगा क्योंकि जहां पर हजारों इस प्रकार के फर्जी ट्रान्जैक्शन हुये हों, इससे जल्दी होने के बजाय और देर हो जायगी, सरकार का लाखों रुपया खर्च होगा और जो कमीशन की फाइडिंग्स होंगी, प्रोसिक्युशन होगा। वह भी पुलिस एजेन्सी के द्वारा ही प्रोसिक्युशन करेगी। तो इस समय जहां पर पी० आई० डी० को मालूम हो रहा है, वे चार्ज शीट सबमिट करने और सजा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं।

(श्री ऊदल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री केशरी लाल (जिला कानपुर)--

* * * *

[श्री केशरी लाल सदन त्याग कर चले गये]

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

जिमन ४ में लोगों ने अपने नाम दर्ज करा लिए और सीरदारी के राइट ले लेकर उस जमीन को लाखों रुपये में लेकर बेच दिया है। इसका निराकरण आप कैसे करेंगे ? दूसरे आपने जो ६०० और मुकदमे चलाने की बात कही है, वे अब तक दाखिल क्यों नहीं हुए हैं ?

श्री अध्यक्ष--

आपसे पहले जो माननीय सदस्य बोल रहे थे वे बिना इजाजत के बोल रहे थे। जो उन्होंने कहा वह नहीं लिखा जायगा। उनके बाहर जाने को मैं मान्यता नहीं देता हूं।

श्री राजमंगल पांडेय--

मैंने कहा कि ६०० केसेज दायर किए जाने हैं। २०० मामले में उच्च न्यायालय में हैं। मैंने कहा कि इसमें सरकार के उच्च अधिकारियों की साजिश भी मालूम होती है और कोई भी

[* * *] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

इससे बचेगा नहीं। मैंने कहा है कि इसमें गजेटेड और नान गजेटेड अफसर शामिल हैं और उनके खिलाफ भी कार्यवाही, जो संभव होगी, अवश्य होगी। इसलिए एडिशनल स्टाफ लगाया गया है कि जितनी जल्दी हो सके इसकी जांच करायी जाय। जो जिमन ४ में जिन लोगों ने नाम लिखा लिए हैं, उसका लीगल एसपैक्टस हम देख रहे हैं कि हम उन्हें बेदखल करा सकते हैं या नहीं। हम इसके लिए भी लीगल ओपीनियन लेंगे कि जिन लोगों की जमीन धोखे से निकाली है, उसका भी निस्तारण होना चाहिए।

श्री रामसेवक यादव--

आपने अपने बयान में लिखा है कि महापालिका द्वारा न तो किसी ग्राम समाज की भूमि का पट्टा किया गया है और न ही बेची गयी है। केवल लगभग ५,२०६ बीघा ग्राम समाज की भूमि जो विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत महापालिका भूमि के आस-पास पड़ती है थी और ले आउट में शामिल हो सकती थी, उसे महापालिका भूमि के साथ विकसित कर वर्तमान मूल्य पर पट्टे के आधार पर हस्तान्तरित किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह जमीन जे० के० ग्रुप, बी० आर० ग्रुप, रतन लाल शर्मा आदि को उनके मजदूरों के निवास स्थान हेतु बनाने दी गई थी। लेकिन इन लोगों ने इस पर सिनेमाघर और निजी इमारत बना कर के हजारों रुपया किराये का फायदा उठा रहे हैं और मजदूरों के लिए कालोनी नहीं बनाई ?

श्री राजमंगल पांडेय--

इस किस्म की कोई इत्तिला नहीं है। कानपुर के समीप गांव समाज ने उस जमीन को डेवलप किया और उस रेट पर बेचा। अब उसका इस्तेमाल किस रूप में कर रहे हैं यह मुझे पता नहीं है।

चौधरी चरण सिंह--

जहां तक क्रिमिनल केसेज की बात है, उसमें मियाद का सवाल नहीं होता, लेकिन यहां रेवेन्यु राइट्स का सवाल है जिसमें मियाद का सवाल होता है। तो क्या माननीय मंत्री जी रेवेन्यु डिपार्टमेंट और ला डिपार्टमेंट से इस सिलसिले में मश्विरा करेंगे कि जो जमीन इस तरीके से चली गयी है, उसमें चीटिंग के केस तो चल जायेंगे, लेकिन वह जमीन फिर से वापस आ जाय जो कि आनी चाहिए गवर्नमेंट के पास या गांव समान के पास, तो कोई कदम उठाने का विचार कर रहे हैं। सिविल राइट्स का सवाल है।

श्री राजमंगल पांडेय--

यह प्रश्न तो जैसा मैंने कहा बड़े महत्व का है और मैं स्वतः इस सम्बन्ध में लीगल एक्सपर्ट्स से राय लूंगा कि अगर फ़ाडुलेटली इस प्रकार से जमीन निकाली गयी है तो उसको हम कैसे ले सकते हैं।

ग्राम चोरहा, थाना राजापुर, जिला बांदा के सवर्णों द्वारा कथित अत्याचार तथा अमानुषिक व्यवहार किए जाने के परिणाम स्वरूप हरिजनों के गांव छोड़कर भाग जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्रम मंत्री (श्री राजमंगल पांडेय)--

प्राप्त सूचना के अनुसार नेशनल हेराल्ड, दिनांक ३-८-७४ में प्रकाशित सवर्णों द्वारा ग्राम चोरहा, जिला बांदा में हरिजनों के प्रति अत्याचार आदि की शिकायतें सही नहीं प्रतीत होतीं। समाचार-पत्र में प्रकाशित उक्त समाचार के सम्बन्ध में पुलिस उपाधीक्षक, बांदा,....

[श्री राजमंगल पाण्डेय]

द्वारा जांच कराई गई पुलिस उपाधीक्षक बांदा, की जांच अभी पूरी नहीं हो सकी है क्योंकि कुछ लोग, जो दूसरी जगहों में रह रहे हैं, के बयान लेने शेष हैं। अब तक की जांच से ज्ञात हुआ है कि ग्राम चोरहा के २०–२२ हरिजन परिवार तीन वर्ष से भी अधिक पहले अपनी जीविका उपार्जन हेतु गांव छोड़कर अपनी इच्छा से अन्य स्थानों को चले गये थे। गांव छोड़कर अन्य जगह जाने वाले हरिजनों में अधिकांश के पास कोई जमीन नहीं थी और जिन लोगों के पास थोड़ी बहुत जमीन थी भी उनमें से दो व्यक्तियों के अतिरिक्त सभी लोग अपनी जमीन बेचकर दूसरी जगहों को गये थे। उक्त दो व्यक्तियों में से एक शिव प्रसाद नामक हरिजन १० साल पूर्व जबलपुर चला गया था जहां वह स्टेशन पर कुलीगीरी का काम करता है। गांव में उसके पास ८–१० बीघा खेत तथा तीन मवेशी थे जिनकी देखभाल उसकी पत्नी गांव में रह कर किया करती थी। वह भी २०–२५ रोज पहले अपने पति के पास जबलपुर चली गई है। शिव प्रसाद के खेत खाली पड़े हैं और उस पर किसी ने कब्जा नहीं किया है। उसके तीन मवेशी कन्हैया लाल ब्राह्मण के यहां हैं। बताया जाता है कि जबलपुर जाते समय शिव प्रसाद की स्त्री वे मवेशी उसके सुपुर्द कर गई है। एक अन्य हरिजन भी, जिसकी ४–५ बीघा जमीन गांव में है, गांव छोड़ कर कहीं चला गया है। उसकी जमीन पर किसी ने कब्जा नहीं किया है। गांव में इस समय रह रहे ९–१० हरिजनों के साथ किसी प्रकार के अत्याचार किये जाने की शिकायत नहीं मिली है।

ग्राम चौरहा में कन्हैयालाल नामक ब्राह्मण के ५ भाई हैं जिनमें तीन भाई पुलिस कान्सटेबिल एक भाई पुलिस हेड कान्सटेबिल तथा एक भाई अध्यापक है। ये पांचों भाई बाहर रहते हैं और कभी-कभी गांव आते हैं। किसी हरिजन ने उनके विरुद्ध अत्याचार करने की कोई शिकायत नहीं की है। कन्हैयालाल अविवाहित है और २–३ वर्ष पूर्व गांव की एक विवाहित हरिजन महिला का कुछ समय के लिए उसके साथ अपनी तथा अपने पिता की रजामन्दी से बाहर रहना बताया जाता है। उक्त हरिजन महिला अब अपने पति के साथ रह रही है और उसका पिता गांव में काम न मिलने के कारण दूसरे गांव चला गया है।

जिला मजिस्ट्रेट, बांदा से हरिजनों की ओर से किसी प्रतिनिधि मण्डल के मिलने तथा उनको प्रार्थना-पत्र देने के बारे में पुष्टि नहीं हो सकी है।

गांव में स्थिति सामान्य है। फिर भी उधर गश्त का प्रबन्ध कर दिया गया है।

हरिजनों के प्रति अत्याचार के सम्बन्ध में जब कभी भी कोई शिकायत सामने आती है तो उनके सम्बन्ध में समुचित जांच करा कर आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

*श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा (जिला बांदा)––

यह सरकार जो हरिजनों की हिमायती बनती है, मैं राजापुर का रहने वाला हूं और यह गांव मेरे घर से करीब दो मील है। यह जो स्टेटमेंट दिया गया है बिल्कुल गलत है। उस गांव में सवर्णों द्वारा हरिजनों पर अत्याचार चार, पांच साल पहले से, जब मैं एम० एल०ए० नहीं था तभी से सुन रहा हूं। वहां जो एक शुक्ल परिवार है उनके सभी भाई जमींदार खान्दान के हैं। उनका एक भाई अध्यापक है और कुछ सिपाही हैं। वह इतने अत्याचारी हैं कि जो यह स्टेटमेंट दिया गया है कि हरिजन लोग काम की तलाश में दूसरी जगह जा रहे हैं, तो उनको मार-मार कर निकाल दिया गया है। इनके पास जो जमीन चोरहा की है वैसी जमीन आसपास की है। वे बेचारे डर के मारे दो, तीन मील दूर गांवों में रह रहे हैं। यह जो कहा गया है कि कन्हैयालाल अविवाहित हैं, वह एक हरिजन महिला को जबर्दस्ती पकड़ कर ले गया। चूंकि सामन्त शाही परिवार है इसलिये हरिजन बेचारा जिसके घर में खाने को नहीं है वह डरेगा ही और जो यह स्टेटमेंट दिया गया है कि पिता की रजामन्दी थी यह बिल्कुल गलत है। वहां पर जो हरिजन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहते हैं वह जबर्दस्ती खेतों में ले जाये जाते हैं, उनको मारा पीटा जाता है और वे बाध्य होकर गांव छोड़ कर चले गये हैं। यह रिपोर्ट बिल्कुल गलत है। क्या माननीय मंत्री जी इसकी सी० आई० डी० द्वारा जांच कराने की कृपा करेंगे ?

*श्री राजमगल पांडेय--

मेरे पास एक ऐसे अधिकारी की रिपोर्ट है जिसकी व्यक्तिगत ईमानदारी के बारे में चौधरी साहब भी जानते हैं--घमन्डी सिंह आर्य शायद वह नागालैण्ड में आई० जी० होकर जा रहे हैं। ऐसे अधिकारी ने भी लिखा है कि अब तक ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली सिवाय एक के जो दो, तीन साल पहले की गयी थी और दूसरी यह जो ४९८ की थी। और दूसरे एक शिवप्रसाद और एक और हरिजन के बारे में रिपोर्ट नहीं है जो आज से कुछ साल पहले जबलपुर चला गया था। उसकी पत्नी भी चली गयी थी। दूसरे हरिजन का खेत भी किसी ने जोता नहीं है। लेकिन अब तक जिनके बयान लिये गये हैं उनके पास जमीन नहीं है और जिनके पास थी वह बेच कर चले गये। इसलिये यह साफ जाहिर है कि इन शिकायतों में कुछ तथ्य नहीं है।

श्री जमुना प्रसाद बोस (जिला बांदा)--

जो बयान दिया गया है यह एक प्रतिशत भी सही नहीं है और बिल्कुल असत्य है। घमन्डी सिंह आर्य वहां पहुंचे ही नहीं। न कप्तान गये, न डिप्टी कप्तान गये। यह मैं अपनी जानकारी से कह रहा हूं और जो यह कहा गया है कि वह औरत अपनी रजामन्दी से रहने लगी थी और फिर अपने पति के पास चली गयी, तो आज तक तो कहीं ऐसा सुना नहीं गया। तो क्या हाईकोर्ट के किसी जज के द्वारा माननीय मंत्री जी इसकी इन्क्वायरी करायेंगे और इन्क्वायरी में यह सारा जवाब जो आज मंत्री जी ने पढ़ कर सुनाया है अगर झूठा साबित हो तो क्या मुख्य मंत्री जी इस्तीफा देंगे ?

श्री राजमंगल पाँडेय--

इस्तीफा देने की बात मुख्य मंत्री की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपनी कह सकता हूं कि जो तथ्य मेरे पास आये मैंने बता दिये . . . (व्यवधान) लक्ष्मी प्रसाद जी से भी पूछ लीजिये, वह जिस अधिकारी से चाहें जाँच करा दूं। अब हर चीज में हाई कोर्ट के जज कहाँ मिलेंगे ?

(व्यवधान)

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मैं लखनऊ के डी० आई० जी० श्री राम दुलारे पाँडेय का नाम प्रस्तावित कर रहा हूं, आप उनसे जाँच करा लें।

श्री राजमंगल पाँडेय--

ठीक है, मैं उनसे जाँच करा लूंगा, लेकिन फिर तो कोई सवाल नहीं उठेगा ? उनसे तो पूछ लीजिये।

श्री अध्यक्ष--

इसमें शक इस बात से पैदा होता है कि ३ भाई पुलिस कान्सटेबिल हैं और एक भाई हेड कान्सटेबिल है। तो डी० आई० जी० की रिपोर्ट की जगह अन्य किसी डिप्टी कलक्टर या कलेक्टर आदि की रिपोर्ट होती तो बेहतर था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजमंगल पाँडेय--

मान्यवर, उन्होंने श्री रामदुलारे के लिये कहा, अगर माननीय सदस्य तैयार हों, तो मैं उनसे करा लूंगा।

श्री अध्यक्ष--

इसको आप देख लें। अन्य किसी से जाँच करवा लें।

श्री राजमंगल पाँडेय--

जिसके लिये आप कह उसी से जाँच करवा लूं।

श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)--

रिपोर्ट बिल्कुल झूठी है, कोई हरिजन खुशी से नहीं जायेगा।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

रामदुलारे जी से ही करवा दें, हमें एतराज नहीं है।

श्री राजमंगल पाँडेय--

मैं रामदुलारे जी को ही जाँच दे दूंगा।

उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) विधेयक, १९७४

श्रम मंत्री (श्री राजमंगल पाँडेय)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) विधेयक, १९७४ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) विधेयक, १९७४ को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राजमंगल पाँडेय--

मैं उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) विधेयक, १९७४ को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १३९८-१४०० पर)

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन) विधेयक, १९७४

वन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)--

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन) विधेयक, १९७४ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन) विधेयक, १९७४ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :--

पक्ष में--६४,

विपक्ष में--५१।)

श्री अजीत प्रताप सिंह--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधित) विधेयक, १९७४ को पुरः स्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ १४०१-१४०२ पर)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर इतनी भागदौड़ होने के बाद आप लोग ६४ हो गये। विपक्ष में ५१ और पक्ष में ६४ यह स्थिति है।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर, जिस प्रकार से बाहर लापरवाही ये लोग बरत रहे हैं उसी तरीके से सदन में भी लापरवाही हो रही है।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक १४ अगस्त, १९७४ को नियम ५६ के अन्तर्गत ८ सूचनायें प्राप्त हुयी हैं। इनमें से श्री शारदा प्रसाद रावत, श्री अब्दुल रऊफ लारी, श्री फिरंगी प्रसाद विशारद ने ग्राम मटियरा, थाना सहजनवां, जिला गोरखपुर के गरीब हरिजनों को ग्राम पाली के सवर्णों द्वारा मारे पीटे जाने की सूचना दी है।

यह नियम ५१ का विषय है। यह कार्य-स्थगन वाला नहीं है। इसको आप नियम ५१ में लिखकर दे दीजियेगा।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, अत्याचार से कई गाँव हरिजनों से खाली हो चुके हैं। छोटे-छोटे लोग भाग रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

यह नियम ५१ का विषय है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

मान्यवर, इसको इसी में मंजूर कर लीजिये।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, कल इसको नियम ५१ में दे देंगे जब आप स्वीकार कर लेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यहाँ सब ५६ में ही देते हैं। जरूरी भी देते हैं और जो जरूरी नहीं हैं उसको भी देते हैं। यहाँ पर एक परम्परा बना ली है।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर, इतने बड़े-बड़े अत्याचार हरिजनों पर होते हैं। इसको कार्य-स्थगन के लिये न देंगे तो किस बात के लिये देंगे।

श्री अध्यक्ष--

दूसरी सूचना श्री मोहनलाल कपूर ने विद्यार्थियों को निर्धारित मूल्य पर पुस्तकों एवं कापियों के उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में दी है। पुस्तकों और कापियों की समस्या के बारे में चर्चा स्वीकृत हो चुकी है.....

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)--

पिछले कई महीनों से यह समस्या चल रही है। पुस्तकें और कापियाँ नहीं मिल रही हैं इस प्रश्न को अनेकों बार ५६ में दिया है।

श्री अध्यक्ष--

१ घंटे के लिये विचार के लिये मंजूर किया है।

श्री मोहन लाल कपूर--

कक्षा ६-८ और ८-१२ इन सब कक्षाओं के स्कूल पहली अगस्त से पहले ही खुल गये हैं। कापियाँ और पुस्तकें उपलब्ध नहीं है....

श्री अध्यक्ष--

इस पर एक घंटे का समय दिया है, इस पर होगा। इनका नाम जोड़ दिया जाय।

श्री श्रीनारायण, श्री हरिकेवल प्रसाद, चौधरी रामपाल सिंह यादव, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा ने देवरिया में खाद्य संकट के बारे में सूचना दी है।

श्री हरि केवल (जिला देवरिया)--

श्रीमन् आज जो देवरिया के स्थिति है, वहाँ अनाज नहीं मिल रहा है। देवरिया की स्थिति बड़ी खराब है। खासतौर से वहां के केन आयुक्त ने एक निर्देश जारी कर दिया है, अधिकारी ने और बातें कही हैं....

श्री अध्यक्ष--

कल इस पर हुआ। आप लोगों से मुख्य मन्त्री जी की बात इतवार को करेंगे जिसमें बाढ़ की समस्या तथा खाद्य की समस्या पर बात होगी। उसके बाद यहाँ उनका बयान होगा।

अब श्री जमुना प्रसाद बोस की सूचना जो बाँदा जिले में प्रेस स्वतंत्रता की खतरा के बारे में है, तो इस पर आप अल्पसूचित प्रश्न कर सकते हैं। जो आपने लिखकर दिया है वह यह है कि बाँदा जिले में प्रेस स्वतंत्रता खतरे में है। यह भाषण की तरह लिखा हुआ है। अतः आप अल्पसूचित प्रश्न करें। नियम ५६ में अस्वीकार है।

श्री ऊदल तथा श्री भीखालाल की जो सूचना है उसको आप लोग ५१ में दे सकते हैं। यह ५६ का विषय नहीं है।

श्री कमला प्रसाद वर्मा की सूचना जो साम्प्रदायिक तनाव की है उसको हमने अस्वीकार किया।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी की सूचना राष्ट्रपति पद का चुनाव अभियान के बारे में है...

(व्यवधान)

खाद्य, औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४†

श्री अध्यक्ष--

कार्य सूची १२, माननीय स्वास्थ्य मन्त्री।

श्रम मन्त्री (श्री राजमंगल पांडेय)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खाद्य, औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ पर विचार किया जाय।

(श्री त्रिवेणी सहाय, श्री मोहम्मद असरार अहमद, श्री नजीर अहमद, श्री काली चरन, श्री नन्हे लाल, श्री शिवपाल सिंह तथा श्री शारदा प्रसाद रावत के नाम पुकारने पर कोई खड़ा नहीं हुआ)।

श्री अध्यक्ष--

आप संशोधन रखें।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से एक प्रश्न करना चाहता हूं और वह यह है कि १७ तारीख को इलेक्शन और वह चुनाव राष्ट्रपति का है। हमारे दो विधायक डी० आई० आर० और १४४ में बहराइच जिले में बन्द कर दिये गये हैं। मान्यवर, मैं आपके द्वारा यह प्रार्थना करना चाहता था मन्त्री जी से कि अपने दो विधायक बहराइच की जेल में बन्द हैं डी० आई० आर० के अन्तर्गत, उन पर १४४ तोड़ने के सम्बन्ध में तथा ऐसे कई दफा लगाई गई हैं। यह बड़े महत्व का समय है। जानबूझकर, मान्यवर, उन्हें पकड़ा गया है ताकि १७ तारीख को वह वोट न देने पाये। सरकारी तंत्र का वैसे ही दुरुपयोग हो रहा है क्योंकि वह आज यहाँ आये हुए हैं। आप उन्हें छोड़िये। मैं कोई दया की प्रार्थना नहीं कर रहा हूं बल्कि अपने अधिकार का प्रयोग कर रहा हूं। क्या यही मौका मिला बदला लेने का? फिर कभी आप उन्हें बन्द कीजियेगा।

श्री अध्यक्ष--

श्री सुखद राज और श्री बाबू लाल वर्मा के सम्बन्ध में आया है।

श्रम मन्त्री (श्री राजमंगल पांडेय)--

मैं माधो बाबू की बात समझ न सका....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

यह अब नहीं समझ पायेंगे .....

---

†१८ जून, १९७४ की कार्यवाही में छपा है।

एक सदस्य--

बाँदा के पत्रकार लखनऊ में हैं और उनके जीवन को खतरा है। कम से कम अगर आप स्वीकार न करें तो मुख्य मन्त्री जी से वक्तव्य दिलवा दें।

श्री जमुना प्रसाद बोस (जिला बाँदा)--

अगर पत्रकार का आर्डर हो जायगा तब आप काम रोको प्रस्ताव लाने देंगे?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, पहले मैंने प्रश्न का उत्तर दिलवा दें।

श्री राजमंगल पाँडेय--

मैं कह रहा था कि माधो बाबू क्या चाहते हैं मैं समझ नहीं पाया। क्या उन्हें छोड़ दिया जाय अथवा वोट देने के लिये उन्हें बुला लिया जाय ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

सीधी सी बात है अगर आपने उन्हें नेकनियती से बन्द किया है तो उनको कीजिये, लेकिन ऐसे अवसर पर जब कि वोट देने की बात है आपकी बदनियती जाहिर होती है। आप उन्हें छोड़िये।

श्री राजमंगल पाँडेय--

बन्द तो नेकनियती से किया गया है। वोट देने की उनको फैसिलिटी दे दी जायगी।

श्री अध्यक्ष--

कार्य-स्थगन वाले जो प्रस्ताव है वह अग्राह्य है। वह लोक-महत्व के और अवलम्बनीय महत्व के नहीं हैं। हर सवाल पर कार्य-स्थगन करना ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

उनके जान माल को खतरा है....

श्री अध्यक्ष--

मैं इजाजत नहीं दे सकता। रोज-रोज की बात। मैंने कह दिया कि यह लोक महत्व का, अवलम्बनीय महत्व का नहीं है। इसलिये मैं खारिज करता हूं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

[× × × ×]

श्री अध्यक्ष--

यह कुछ नहीं लिखा जायगा क्योंकि बिना इजाजत बोल रहे हैं। आप नियम ५१ में दे सकते हैं, लेकिन ५६ में नहीं है। इस तरह से आप नहीं बोल सकते हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

[× × × ×]

[×××] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

बिला इजाजत बोल रहे हैं, इसलिये यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

(कई सदस्य एक साथ बोलते रहे)

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मैं आपसे इजाजत चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

मैं अभी आपको इजाजत नहीं देता। मैंने स्वास्थ्य मन्त्री को बुलाया हूं।

खाद्य, औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ (क्रमागत)

*श्रम मन्त्री (श्री राजमंगल पांडेय)--

मान्यवर, बहुत दिनों से सदन में खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण या दवाओं में अपमिश्रण की बातें कही जाती रही हैं और समय-समय पर शासन की आलोचना की जाती रही है कि दंड प्रक्रिया संहिता के माध्यम से ऐसे लोगों को उतनी सजा नहीं मिल पाती जिसके कि वे भागीदार हैं। इस सम्बन्ध में मान्यवर, वेस्ट बंगाल ने एक निर्णय लिया कि ऐसे मामलों में आजीवन कारावास की सजा देनी चाहिए। उसी पैटर्न पर हमने भी अपनी दंड प्रक्रिया संहिता और आई० पी० सी० में २७२ से २७६ तक के सेक्शंस में एमेन्डमेन्ट किया है। इसको कागनीजिबुल आफेन्स भी बना दिया। इनका सेशंस कोर्ट में ट्रायल होगा। यह भी किया है कि आजीवन कारावास या जुर्माने की सजा में जब तक कोई औचित्य न हो या उचित कारण न हो मजिस्ट्रेट कभी नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि अब तक जुर्म साबित करने की जिम्मेदारी मुद्दई पर हुआ करती थी लेकिन अब यह जिम्मेदारी मुलजिम पर होगी कि वह स्थापित करेगा कि अपमिश्रण नहीं किया है। अपमिश्रण और मिलवाट को रोकने के लिये एवं इसलिये कि जन जीवन सुरक्षित रह सके और समाज में जो अनियमितताएं हो रही हैं वह रुक सकें यह संशोधन विधेयक ला रहे हैं। मेरा ख्याल है कि सदन इसका समर्थन करेगा।

(इस समय १ बजकर ३७ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायण राय, पीठासीन हुए।)

*श्री कालीचरन यादव (जिला गाजीपुर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि खाद्य, औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ को जनमत जानने के लिये ३० दिन तक परिचालित किया जाय। माननीय मन्त्री जी ने एक संशोधन विधेयक रखा है जिसमें इन्होंने २७२ से २७६ तक की धाराओं में पहले जो दंड या जुर्माना किया जाता था उसको बढ़ाकर आजीवन कारावास तक का दंड कर दिया है। मान्यवर, यह मिलावट आज के जन जीवन में इतनी बढ़ गयी है कि हमारे पूरे राष्ट्र, देश और स्वास्थ्य के लिए इससे खतरा उत्पन्न हो गया है।

श्री अधिष्ठाता--

मैं यह जानना चाहता हूं कि दोनों संशोधनों पर आपका नाम लिखा हुआ है। आप पहला ३० दिन वाले को पेश कर रहे हैं।

श्री कालीचरन यादव--

पहले वाले को पेश कर रहा हूं, दूसरे को नहीं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)--

परम्परा यह बन गयी है कि जो संशोधन दिये जाते हैं उन पर बोलने का अवसर नहीं मिलता। मेरा निवेदन है कि खण्डों पर जो संशोधन दिये गये हैं उन पर एक-दो मिनट सदस्य बोलना चाहते हैं। लिहाजा आप उसी तरह से टाइम एडजस्ट करें।

श्री अधिष्ठाता--

इसके लिये जनरल डिस्कशन में कम समय अगर लिया जाय तो जब समय बचेगा तो खंडों पर आप बोल सकते हैं।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

जनरल डिस्कशन पर कितना समय मिलेगा यह निश्चित नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने इसलिये कहा कि जनरल डिसकशन पर कम समय दिया जाय तो खंडों पर समय मिल जायगा।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

इसके लिये तो आप ही व्यवस्था करेंगे?

श्री अधिष्ठाता--

आप के सहयोग से ही कोई व्यवस्था चलेगी।

श्री कालीचरन यादव--

अधिष्ठाता महोदय, इस सरकार से यह आशा करना कि कोई अपमिश्रण निवारण के विधेयक पास करने से वह मिलावट रोक सकेगी, व्यर्थ है। मेरा तो यह आरोप है कि मिश्रण करने की छूट इससे मिलती है चाहे वह खाद्य हो, औषधि हो अथवा प्रसाधन सामग्री हो। यह सरकार इतनी निष्क्रिय है, ईमानदारी से इतनी परे है कि अपमिश्रण को रोकना सम्भव प्रतीत नहीं होता। अगर आजन्म कारावास कर दिया जाय अथवा और कठोर दंड दे दिया जाय उससे प्रशासनिक अधिकारी अपमिश्रण को रोक सकेंगे, इसकी उम्मीद मैं नहीं कर सकता।

अब तक जो कानून बने हुए थे थोड़ी सजा वाले उनके अन्तर्गत मैं जानना चाहता हूं कितने आदमियों को दंडित किया गया? पता यही लगेगा कि गरीब व छोटे दूकानदार को तो दंडित कर दिया, लेकिन जो बड़े-बड़े दूकानदार हैं उनको छोड़ दिया गया। जैसे ३०२, ३९६ की धारायें ऐसी हैं जिनमें फांसी की सजा दिये जाने का विधान है, लेकिन कोई भी डकैत या कातिल इन धाराओं में जल्दी सजा नहीं पाता है, वरन् ३२३ के साधारण जुर्म में सजा पा जाता है। यह जो कानून बन रहा है यह प्रश्रय दे रहा है बड़े-बड़े व्यापारियों से आसानी से पैसा वसूल करने के लिये यानी इस कानून की रू से हम आजीवन कारावास दे देंगे यह धमकी दी जा रही है। बड़े बड़े व्यापारियों और दूकानदारों को उनसे पैसा वसूल करने के लिये और जो साधारण तथा गरीब दूकानदार होगा वह फांस लिया जायगा और उसे जरूर सजा दे दी जायगी। यह इस तरह से बराबर होता रहा है और होता रहेगा।

मेरा इस सम्बन्ध में यह निवेदन है माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी से कि जब से उन्होंने यह विभाग संभाला है तब से एक दिन को छोड़कर उनके दर्शन नहीं हुए और हमारे स्वास्थ्य मन्त्री जी जो स्वयं अस्वस्थ और बीमार हैं तथा अपमिश्रण के शिकार बने हुए हैं उनसे यह उम्मीद हम करें कि वह अपमिश्रण को हटा सकेंगे गलत होगा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, मुख्य मन्त्री जी से कि वह इस विभाग को ऐसे आदमी को दे दें जो कुछ कर सके वर्ना कानपुर वाली हालत बढ़ेगी।

इसी तरह को न जाने कितनी चीजें हो जाती हैं गाँव में जिनका कहीं शासन और प्रशासन को पता तक नहीं लगता है। अपमिश्रण के कारण बहुत से लोग मारे जाते हैं और उसकी किसी को जानकारी तक नहीं हो पाती है, प्रशासन तक को नहीं हो पाती है।

इसी सम्बन्ध में मान्यवर, मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूं। इलाहाबाद की एक मिलिंग कम्पनी के बारे में यहाँ पर प्रश्न भी पूछा गया। वह कम्पनी मैदा और सूजी आदि चीजें बनाती है, किन्तु उसके बारे में आज तक सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है और न ही कोई कार्यवाही की है। ऐसे जितने भी बड़े-बड़े लोग हैं वे मिलावट करते जायेंगे, सरकारी अधिकारियों को रुपया देते जायेंगे और हमारा जन-स्वास्थ्य नीचे गिरता चला जायगा और लोगों की जिन्दगी खतरे में पड़ती चली जायगी तथा आपके ये कानून किसी को दंडित नहीं कर सकते हैं। इसीलिये जो यह प्रस्ताव किया गया है कि इसको ३० दिन के लिये जनता की राय जानने हेतु भेज दिया जाय, उसका मैं समर्थन करता हूं।

*डाक्टर राजेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खाद्य, औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ को एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो अपनी रिपोर्ट १५ दिन में दे दे। समिति को विधेयक की परिधि भी बढ़ाने का अधिकार हो।

मान्यवर, मैं इस विधेयक का सिद्धांततः स्वागत करता हूं। अभी कानपुर में जो ग्लूकोस ट्रेजडी की घटना घटी और उसने जनमानस को जितना आन्दोलित किया शायद उसी के परिणाम स्वरूप ही यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि घटनायें बढ़ती जा रही हैं और अपमिश्रण एक आम बात हो गई है। हमें यह देखना पड़ेगा कि अपमिश्रण के जो कारण हैं जब तक उन कारणों को रोक-थाम के विषय में कदम नहीं उठाये जायेंगे तब तक केवल सजा बढ़ा देने से ही काम नहीं चलेगा। ये एडल्ट्रेटेड दवायें कहाँ से आती हैं इसके बनाने वाले कौन हैं? ज्यादातर ऐसी कम्पनियाँ हैं जिनके पास लाइसेन्सेज नहीं हैं। ये कम्पनियाँ इस तरह की दवाइयाँ बनाने की जिम्मेदार हैं साथ ही जिम्मेदार वे फर्में भी हैं जिनके पास दवाइयों का स्टैंडर्ड और उनकी जाँच करने का कोई सवाल नहीं है। ऐसी घटिया किस्म की कंपनियों को भी सरकार ने दवा बनाने के लाइसेन्सेज दे रखे हैं। इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर ही आती है कि आखिर क्यों ये सब-स्टैंडर्ड और घटिया किस्म की दवाइयाँ बाजार में जायं?

हमारा जो ड्रग इन्सपेक्टोरेट और ड्रग कंट्रोल का विभाग है वह अगर सचेत हो कि जो लाइसेन्स शुदा फर्में नहीं हैं उन्हें यह काम करने से रोका जाय, ऐसी कम्पनियों को लाइसेन्स न दिये जायें, अगर दिया गया है तो वह जब्त कर लिये जायें। साथ ही उनको भी लाइसेन्स न दिये जायं जिनके पास कि दवाओं को एनालिसिस करने की सुविधायें न हों। यदि यह किया जाय तो काफी हद तक समस्या का समाधान हो जायगा और खराब दवाइयाँ बाजार में नहीं आयेंगी।

जहाँ हमें इस बात की चिन्ता है कि आज सामाजिक स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन अपमिश्रण के कारण खतरे में पड़ गया है वहाँ जब हम कानून बनाने बैठते हैं तो हमें ठंडे दिमाग से सारे पहलू पर विचार करना पड़ेगा। अगर जल्दबाजी में या भावावेश में हमने हर अपमिश्रण की सजा केवल आजीवन कारावास कर दी तो इसके कितने भयंकर परिणाम निकलेंगे। मैं आपको उदाहरण दूं यदि दूध में पानी मिलाया जाए तो वह भी अपमिश्रण होगा और उसकी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डा० राजेन्द्र कुमार अग्रवाल]

भी सजा आजीवन-कारावास की सजा दी जाएगी, नतीजा यह होगा कि लोगों को दूध मिलना बन्द हो जाएगा। अपराध की गुरुता को देखते हुए उसकी गंभीरता को देखते हुए सजा की अवधि निश्चित करनी चाहिये। यह सही है कि ऐसा अपमिश्रण जिससे लोगों की जान जा सकती है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर बड़ सकता है, उसकी सजा सबसे ज्यादा कठोर हो सकती है--आजीवन कारावास अवश्य होनी चाहिये। परन्तु जो ऐसे अपमिश्रण हैं जिनसे क्षति न पहुंचती हो अथवा बहुत कम पहुंचती हो, उस स्थिति में जज को यह अधिकार देना चाहिये कि वह अपने स्वविवेक से आजीवन कारावास तक कर सके न कि केवल आजीवन-कारावास। जहाँ तक मुझे याद आता है, एक महीने के अन्दर केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने अपनी एक बैठक में खाद के अपमिश्रण के विषय में एक राय कायम की है, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि अपमिश्रण की सजा आजीवन कारावास तक दी जायगी और इस सम्बन्ध में यह जो विधेयक केन्द्रीय सरकार द्वारा पास होगा वह प्रादेशिक सरकारों द्वारा पारित हर विधेयक को निरस्त करके सारे देश में लागू होगा। मेरा ख्याल है कि केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने भी इसी विचार से इसकी सजा सिर्फ लाइफ इम्प्रिजनमेंट न करके अप टू लाईफ इम्प्रिजनमेंट की बात कही है। तो अपराध की गुरुता को देखकर....

श्री राजमंगल पाँडेय--

खंड ३ (१) में आप यह देख लें, उसमें यह लिखा है। जहाँ-जहाँ है, वहाँ-वहाँ आपको कुछ चीज मिलेगी। इसमें यह दिया है कि--"परन्तु न्यायालय, निर्णय में वर्णनीय पर्याप्त तथा विशेष कारणों के लिये, ऐसे कारावास से दण्डित कर सकेगा जो आजीवन कारावास से कम हो।" फिर ३ (४) में दिया हुआ है:--"आजीवन कारावास से दण्डित किया जायगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा : परन्तु न्यायालय, निर्णय में वर्णनीय पर्याप्त तथा विशेष कारणों के लिये, ऐसे कारावास से दण्डित कर सकेगा जो आजीवन कारावास से कम हो।" तो जहाँ-जहाँ पर उन्होंने लिखा है, वहाँ पर यह अधिकार दिया है हमने।

डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल---

मैंने उसे पढ़ा है, लेकिन वह छोड़कर, केवल काम में आएगा एक्शेप्शन में। जबकि खाद की मिलावट के बारे में यदि हम देखें तो अधिकतर केसेज इस तरह के मिलेंगे, जिसमें कोई बहुत भारी क्षति मनुष्य के स्वास्थ्य को नहीं पहुंचेगी। केवल क्वान्टिटी में फर्क आएगा। जैसे हल्दी, मिर्च और धनिया है, उसमें अक्सर पर मिलावट होती है, किन्तु वह स्वास्थ्य के लिए इतना भयंकर नहीं होता है। इस व्यवस्था से न्यायाधीश के मन में यह बात आएगी कि मिलावट की सजा केवल आजीवन कारावास ही है, लेकिन उससे कम की सजा एक्शेप्शन के तौर पर प्रयुक्त होगी। शायद इसका परिणाम यह भी निकल सकता है, जैसा हमारे यहाँ करप्ट ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी है, यह किसी से छिपा नहीं है। आज इस्पेक्टर्स किसी भी क्षेत्र के अन्दर महीना बांध करके ज्यादातर लोग काम करते हैं, उनकी रिश्वत तुरन्त बढ़ जायेंगी। लोग परेशान होंगे, विशेषकर छोटे व्यापारी। मैं यह नहीं कहता हूं कि किसी भी तरह की लीनिएंसी किसी प्रकार के अपमिश्रण करने वाले वर्ग के साथ की जाय। लेकिन यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा न हो कि लोगों को साधारण बात पर इतना बरबाद कर दिया जाय कि चीजें मिलना इस प्रदेश के अन्दर दुष्कर हो जाय।

दूसरी चीज में यह कहूंगा कि दवाओं के मसले में बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैनुफैक्चरर्स की होती है, अगर वह खराब दवा है। लेकिन जो आज लेबिलिंग की पद्धति है, कागज पर प्रिंट करके शीशी पर चिपका दिया जाता है उसको जो चाहे निकाल ले और दूसरा लेबिल चिपका दे, इसमें जब छोटा दूकानदार पकड़ा जाता है, तो मैनुफैक्चरर यह कह कर निकल जाता है कि हमारी जेन्युइन चीज थी, शीशी हमारी होगी, लेबिल उन्होंने दूसरा लगा लिया होगा या लेबिल दूसरा शीशी पर चिपका लिया होगा। ऐसी व्यवस्था की जाय, कंटेनर के ऊपर ऐसी प्रिंटिंग

करने के आदेश मैनुफैक्चरर्स को हों जिसमें दूकानदार उसमें हेरफेर न कर सके। उसको सील करने की पद्धति इस प्रकार की हो जिसे छोटा दूकानदार बदल न सकता हो। क्योंकि जहां एक तरफ अपमिश्रण को कठोरता से रोकना है वहां यह भी देखना है कि उपभोक्ताओं को चीजें आसानी से मिल जायं।

एक ओर मुद्दा अपमिश्रण के सम्बन्ध में आता है, प्रोफेशनल हैजार्ड का। कई दवाएं इस प्रकार की होती हैं जिनसे रिएक्शंस होते हैं। उनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता है कि कौन-सा व्यक्ति सेंसिटिव होगा, कौन नहीं होगा। सेंसिटीविटी की जांच करने के कई दिन के बाद रिएक्शन हो सकता है। आज मेडिकल प्रोफेशन के अन्दर लोगों में ऐसा भय व्याप्त हो गया है कि उनके दिमाग में धारणा हो रही है कि अगर केस सीरियस है, वहां पहले जहां डाक्टर हर तरह से जान बचाने की कोशिश करता था, क्योंकि हर सीरियस मरीज बच जाय ऐसी बात नहीं है वहां धारणा यह बन रही है कि बिना दवा के कोई रोगी नहीं बचता है तो डाक्टर के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं आयेगी लेकिन अपने प्रयास में कोई दवा देता है और दवा के कारण नहीं बल्कि बीमारी की प्रक्रिया में मर जाता है तो उसको धारा ३०२ और ३०७ में जमानत करानी पड़ती है। इसके विषय में भी सरकार को सोचना पड़ेगा। प्राइमाफेशी कैस एस्टेब्लिश करने के लिये कोई एक्सपर्ट कमेटी जिले में बनायी जाय जो सही जांच करें। अगर प्राइमाफेशी-केस एस्टैब्लिश होता है, डाक्टर की बदनीयती है या लापरवाही साबित होती है तब जरूर उसको प्रासीक्यूट किया जाय।

दूसरे जो सबूत देने की जिम्मेदारी मुद्दई पर न हो कर मुद्दाअलहे पर की गयी है, इसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि एक दवा की शीशी उठा लें। कोई ड्रग इंस्पेक्टर या बड़े से बड़ा विशेषज्ञ उस शीशी को देख कर कैसे यह कहेगा कि दवा सब स्टैंडर्ड है या इसके लेबिल पर जो लिखा है वह नहीं है। ऐसी हालत में जिसकी भी शीशी को उठा कर दुकानदार का चालान कर सकते हैं। एनालिसिस की फैसिलिटीज भी जो सरकार के पास होती है उसको होनी चाहिये। जब तक प्राइमाफेसी केस एस्टैब्लिश न हो जाय उस वक्त तक कोई भी प्रासीक्यूशन नहीं होना चाहिये। इमर्जेंसी की बात कुछ और हो सकती है, जैसे ग्लुकोज कांड में, २५, ३०, ३५ जाने गयीं, ऊपर से दिखायी पड़ता है कि इसके अन्दर यह चीज हो सकती है। लेकिन साधारणतया शीशी को देख कर कोई भी बड़ा से बड़ा विशेषज्ञ यह नहीं कह सकता है कि इसके अन्दर अपमिश्रण है या नहीं है। इसलिये इसको साबित करने की जिम्मेदारी मुद्दई पर होनी चाहिये, और अगर मुद्दई के ऊपर नहीं होगी तो वह अनालिसिस की सुविधा साधारण आदमी के पास न होने के कारण वह दिक्कत में पड़ जायगा। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इन सब बातों पर डिटेल से बिचार करने के लिये इसको एक प्रवर समिति को सौंपने का जो मेरा संशोधन है उसको स्वीकार करें।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, मंत्री जी ने जो यह बिल पेश किया है...

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सदस्यों को मैं यह बताना चाहता हूं कि चूंकि समय कम है इसलिये १० मिनट से अधिक न लेने की कृपा करें।

श्री ऊदल---

मान्यवर, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। आज हर चीज में अपमिश्रण की बहुत हालत खराब है। इससे सभी लोग अच्छी तरह से परिचित हैं। साथ में आज कल अच्छी चीज मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। तेल को देखिये सरकार ने ऐसा कर दिया है कि तमाम साइन बोर्ड अखाद्य तेल के लगे हुये हैं। लेकिन उसी को लोग खाते हैं।

[श्री ऊदल]

अखाद्य तेल के क्या माने हैं। आजकल आटे में मिलावट, दूध में मिलावट, मक्खन में मिलावट और खाद्य सामग्री में सब में मिलावट है। जांचने का क्या तरीका है? अगर किसी चीज का नमूना लिया जाता है तो उसको जांचने के लिये आगरा भेजते हैं जिसमे काफी समय लग जाता है। इन सब प्रश्नों के ऊपर काफी गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

, दूसरे श्रीमन्, दवाओं में खूब मिलावट हो रही है। आपने ऐसी प्राइवेट कम्पनियों का लाइसेन्स छीन कर बड़ा अच्छा काम किया है जो मिलावट करती हैं। आज बड़े पैमाने पर नकली और फर्जी दवायें बन रही हैं। उसी का नतीजा है कि कानपुर में ग्लूकोज कांड हमारे सामने आया। ऐसे कितने ही कांड हो रहे हैं और लोग जाने अनजाने उनका शिकार हो रहे हैं।

यही हालत प्रसाधन सामग्री की है। महकदार तेलों को मिट्टी के तेल के से बनाकर बेंच रहे हैं। मैं चाहता यह था कि जो लोग इन्सान की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करते हैं उनको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिये। हमारे पास न इसकी सर्वे कराने की कोई मशीनरी है और जांच करने का बहुत अच्छा तरीका है। कितने ही लोग मर रहे हैं इसका कोई लेखा-जोखा नहीं है। अभी जनसंघ के एक डाक्टर साहब बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आपने अपमिश्रण करने में सबकी काले पानी की सजा कर दी है। मैं समझता हूं कि काले पानी की सजा ऐसे लोगों के लिये बहुत कम है जो इमान की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिये। काले पानी भेजने की सजा कम है। इनको फांसी की सजा होनी चाहिये। दवाओं से और खाने की चीजों में मिलाकर मिलावट कर किसी आदमी को मार दें तो ३०२ से कम का जुर्म नहीं बनता है। यह काले पानी की सजा बहुत कम है। इन्सान की जिन्दगी को मुनाफाखोर आज तबाह कर रहे हैं और गलत दवाओं के कारण तथा मिलावट के कारण लोग मौत के मुंह में चले जा रहे हैं। ऐसा करने वालों के साथ सख्त से सख्त बरताव करना चाहिये।

प्रोडक्शन करने वालों से व्यापारी वर्ग भी मिला रहता है। ये लोग मुनाफा और व्यक्तिगत सम्पति के बनाने के लिये सभी मिलावट की चीजें करते हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसा करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शने की आवश्यकता नहीं है। सभी के ऊपर सख्त कार्यवाही करने की जरूरत है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आज नकली लेबिल लगा दिये जाते हैं और असली के दाम पर बेचा जाता है। लेबिल दूसरा लगा दिया जाता है और रद्दी सामान रख दिया जाता है और उसे अधिक दाम पर बेचने की आदत बढ़ती जा रही है। इसकी भी चेकिंग होनी चाहिये। माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक पेश किया है उसका मैं स्वागत करता हूं और यह आशा करता हूं कि अपनी मशीनरी को चस्त और दुरुस्त बनायेंगे ताकि हमारे प्रदेश का जन जीवन सुरक्षित रह सके और मैं इसका समर्थन करता हूं।

बाबा राम नाथ (जिला मैनपुरी)--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से इतना ही कहना चाहता हूं कि यह जो अपमिश्रण का सवाल है, यह अन्य उद्योगों की तरह पूरे उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहा है। चाहे दवायें हों या गेहूं का आटा हो या अन्य कोई चीज हों मिलावट हो रही है। मैन्यूफैक्चर से लेकर रिटेलर तक इनकी पूरी एक एजेन्सी है। जहां तक इनको रोकने का सवाल है, यह बिल्कुल दुरुस्त है कि ऐसे लोगों को सजायें मौत दी जानी चाहिये जो जनता की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। इसके साथ ही साथ यह भी देखना पड़ेगा कि आपकी क्षमता कितनी है। आपके पास ७१ लेबोरेटरीज हैं। कचेहरियों में देखे कि महीनों हो जाते हैं, ६-६ महीने बीत जाते हैं उनका कोई नतीजा नहीं आता है। जो लेबोरेटरीज है उनकी संख्या बढ़ानी चाहिये। मैं तो चाहता कि जिला स्तर पर एक फूड लेबोरेटरीज का इन्तजाम होना चाहिये। कई कान्ड हुये जैसे जीरा कान्ड, ग्लूकोज कान्ड इसके अलावा बेसन कान्ड

इसी तरह के कई हीनस कान्ड हुए। मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग जो पकड़े जाय उनको चौराहे पर ही फांसी दे दी जानी चाहिये। न इसको प्रवर समिति में भेजने की जरूरत है न और कोई बात की जरूरत है।

पहला मैंने सुझाव दिया कि यहां पर फूड लेबोरेटरीज की संख्या अधिक होनी चाहिये। इसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे सूबे में जांच के तरीके इनएफीसिएन्ट हैं। इस पर भी ध्यान दिया जाय। जब हमने उत्तरी भारत का दौरा किया तो वहाँ पर जितनी भी स्टैन्डर्ड कम्पनियाँ हमको मिलीं, वहाँ से कोई भी चीज ठीक से नही मिलती है। हमारे यहाँ जो इंडियन स्टेन्डर्ड इस्टीट्यूट है, उनकी एक मोहर होनी चाहिये। जो भी खाद्य सामग्री हो उस पर उस इन्स्टीट्यूट की मोहर होना लाजिम है। मान लीजिये कि हम कोई चीज खरीदने गये, तो हमने फौरन देख लें कि उस पर इंडियन इंस्टीट्यूट की मोहर है कि नहीं। उसका एक तरीका है कि उसकी सील-मोहर मिल जाय। चाहे जो भी चीज हो, जब भी हम उसे लें उसमें आई० एस० आई० की मोहर लगी होनी चाहिये जिससे हमको कोई दिक्कत न हो और न कोई हमको धोखा ही दे सके। चाहे मैन्यफैक्चरर हो, या रिटेलर हो ऐसा होना चाहिये।

मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश में और होल उड़ीसा में यह हालत है। इस एडल्टरेशन का जो उत्तर प्रदेश में सैंपुल दिया गया ६८ में २४.९ प्रतिशत था। ६९ में २१.९ प्रतिशत हो गया। फिर ७० में ३० परसेंट हो गया। इस तरह से परसेंटेज २४ से ३० हुआ, जो कि घटना चाहिये, वह बढ़ा। सन् १९७० में फिर गिरा और जाकर ७१ में फिर घटा और जहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं तामिलनाडू में परसेंटेज कम हुआ। उड़ीसा में सन् ६८ में परसेंटेज ४४.३ था और ६९ में ७१.२ प्रतिशत। यानि जो सैंपुल्स थे उनमें ७१.२ प्रतिशत एडल्टरेशन था। माननीय मंत्री जी इस पर गौर फरमायें जिससे ये कांड ग्लुकोस की भांति न होने पायें।

*श्री मोहम्मद शकील अहमद (जिला लखनऊ)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जो बिल माननीय मंत्री जी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। एडल्टरेशन की जो प्राब्लम आज कितनी गंभीर हो चुकी है, उससे आप सब भली प्रकार से परिचित हैं। आज कल जिस प्रकार से एडल्टरेशन चल रहा है, उसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं बची है जिसमें एडल्टरेशन न हो रहा हो। काली मिर्च के अन्दर आम शिकायत है कि पपीता के बीज इस्तेमाल किये जाते हैं। दालों के अन्दर ऐसे कारखाने कायम किये गये हैं जो अरहर की दाल से मिली हुई, पत्थर या मूंग की दाल से मिली हुई, पत्थर या दूसरी चीजें बनाते हैं और उन्हें खाने-पीने की चीजों में मिलाते हैं। यह जो बिल पेश किया गया है यह एक भारी कदम है। आज जो मिलावट हमारे देश में हो रही है, इसकी रोकथाम के लिये यह हमारी सरकार का एक प्रशंसनीय कदम है।

इस मिलावट के बारे में सरकार ने जो सजा तजबीज की है यह बहुत ही अच्छी सजा है। मेरा तो यह सुझाव है कि यह मिलावट की ऐसी चीज हैं जिसमें सब लोगों को एक मत होकर विचार करना चाहिये और अगर कोई और ज्यादा कड़ी सजा इसके लिये हो सकती है, तो वह होनी चाहिये। क्योंकि यदि कोई डाकू किसी व्यक्ति को मार डालता है, तो उसे फांसी की सजा दी जाती है, जो यह एडल्टरेशन जो है यह तो हमारे खाने की वस्तु पर असर डालता है। इस एडल्टरेशन का असर जल्द भी पड़ता है और दर में भी पड़ता है। इसका असर ५ साल और १० सालों के बाद भी पड़ता है।

अभी समाचार पत्रों में छपा है कि जो मटर आ रही है, उसमें खास प्रकार से रंग कर मटर बनायी आ रही है और केसरी दाल का प्रयोग किया जा रहा है। इसी प्रकार का कोई दाना है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मो० सकील अहमद]

जिसको रंग कर दाल बनायी गयी है। दिल्ली में तो आम तौर से ऐसा हुआ है कि लोगों को लकवे की बीमारी मार गई है। श्रीमन्, यह बहुत गंभीर मसला है और यह संशोधन विधेयक लाकर सरकार ने तजवीज की और पूरी कोशिश की कि इस प्रकार की मिलावटों को रोका जाय और जिस प्रकार की खुली हुई छूट अभी तक प्रान्त के अन्दर रही है वह न रहे और रुक पाये। इस बिल के पास हो जानेके उपरान्त जो लोग इस प्रकार के जरायम करते हैं, एक ऐसी स्थिति आ सकती है, जब वे ऐसा करने से गुरेज करेंगे। इसलिये मैं समझता हूं कि यह बहुत ही अच्छा बिल है। इस विधेयक का विरोध पक्ष के किसी भी माननीय सदस्य ने नहीं किया है बल्कि जो लोग बोले हैं, उन्होंने अपने-अपने कुछ सुझाव अवश्य दिये हैं। उन सुझावों पर भी सरकार की ओर से विचार किया जायगा। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इसे शीघ्र से शीघ्र पास किया जाय ताकि प्रदेश में भविष्य में इस प्रकार की मिलावटें न होने पायें।

*श्री सोहन लाल लाठ (जिला रामपुर)---

मान्यवर, यह जो मिलावट संबंधी बिल आज सदन में आया है, बहुत छोटा-सा बिल है, लेकिन सरकार के जो इन्सपेक्टर्स होंगे, जो चेकिंग करने वाले लोग होंगे, उनकी रिश्वत बढ़ जायेगी। मेरा इसमें यही सुझाव है कि जो आपके इन्सपेक्टर्स हों, उनकी संपत्ति का आप ब्योरा लीजिये और हर ५ साल के बाद उनसे अपनी-अपनी संपत्ति की घोषणा कराइये और सरकार की विशेष निगाह उन इन्सपेक्टर्स पर होना चाहिये। जहाँ वे दवाइयों आदि की चेकिंग करेंगे, उनकी भी चेकिंग कमोबेश होती रहे और दवाइयों वगैरह की चेकिंग में वे बेहोश न हो जायं चूंकि हम देखते हैं छोटे-छोटी बातों में रिश्वत चलती है और आज भी पूरी तरह से चल रही है। इस बिल के लागू होने से जहाँ बहुत लोग डरेंगे, वहाँ रिश्वतों का अम्बार भी लग जायगा और बहुत ज्यादा बढ़ जायगी। इस पर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है।

श्री धीरेन्द्र सहाय (जिला पीलीभीत)---

आज जो सदन में संशोधन विधेयक पेश किया गया है उसके संबंध में मुझे कहना है कि आज जो नीति स्वयं सरकार की चल रही है उसमें उसका वे प्रयोग नहीं कर रहे हैं, और जितनी सजायें आप बढ़ाते जा रहे हैं, उससे जो भ्रष्टाचार है, उसको बढ़ावा मिलेगा। जो इन्सपेक्टर पहले ५० रुपये लेता था अब ८० और १०० रु० लेने लगेगा और जो बड़े अधिकारी जाँच करते हैं उनकी दर भी बढ़ जायगी। इस संबंध में एक-दो उदाहरण मैं देना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पूर्व आपकी सरकार का एक ड्राइव चला एडल्ट्रेशन के खिलाफ। उसमें जब कुछ लोगों के सामान की चेकिंग हुई तेल वगैरह की। तो दुकानदार ने कहा कि आप इस तेल का नमूना ले लें और जो फैक्ट्री से आया है, उसका भी नमूना ले लें, जो सील होकर आया है। लेकिन आपके इन्सपेक्टर आदि इस बात के लिये तैयार नहीं हुये। दूकानदार का यह कहना था कि अगर इन दोनों नमूनों में एक सी चीज है तो उनकी कोई गलती नहीं है।

आज होता क्या है कि जो बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, या बड़े-बड़े पूंजीपति लोग हैं, एडल्ट्रेशन करते हैं, घोटाला करते हैं, उन पर सरकार की कोई चेकिंग नहीं है। अभी हाल में बनस्पति के ६ ट्रक पकड़े गये। फैक्ट्री से फर्जी लाइसेंस बनाकर उनको ब्लेक में बिकवाया जा रहा था। आज तक भी प्राग लिमिटेड कम्पनी और शुद्ध जैन लिमिटेड, गाजियाबाद जिनके ये ट्रक्स थे, उनके खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं लिया गया। सुना है कि डी० वाई० एस० पी० ने पचास हजार रुपया फैक्ट्री वालों से ले लिया है, नीचे के कुछ लोग गिरफ्तार कर लिये गये हैं. . .तो कहने का तात्पर्य यह है कि सजायें भले ही बढ़ती चली जायं लेकिन अगर उसका इम्पलीमेंटेशन इसी तरह रहा जैसा कि तरीका चल रहा है, अगर पूंजीपतियों के साथ यही सांठ-गांठ चलती रही तो सारा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसका दुरुपयोग होगा और छोटे लोगों पर ही प्रभाव पड़ेगा। कर्मचारी लोगों का भ्रष्टाचार का पैसा जरूर बढ़ेगा। अगर आप ऊपरी स्तर पर एक रोक लगा सकें तो छोटी सजा भी बहुत बड़ा असर रखेगी। यह मौलिक बात मैं चाहता हूं।

जहाँ तक सोहनलाल जी ने कहा, यह जो संपत्ति है उसकी जाँच अवश्य रखी जाय, यह अच्छा है। यह तो पता चलना मुश्किल है, यह जो छोटे वर्ग पर इससे अत्याचार होगा इसमें दो रायें नहीं हैं, उसकी रोक-थाम जरूर की जानी चाहिये। जो प्रवर समिति के लिये संशोधन रखा गया मैं उसका अनुमोदन करता हूँ।

श्री आशाराम यादव (जिला मिर्जापुर)--

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या यह जो विधेयक लाया गया है उसमें सजा बढ़ाने से अपमिश्रण खत्म हो जायगा, नहीं होगा। अपमिश्रण बहुत बुरी चीज है जीवन खतरे में उससे पड़ सकता है। मंत्री महोदय स्वयं जानते हैं कि कैसे अपराध हैं जिनमें फांसी की सजा मिलती है। २८ वर्ष इस सरकार को होने को है, तब से लेकर आज तक जिस अपराध में फांसी जैसी सजा दी जाती है उसमें क्या कमी आयी है या बढ़ोत्तरी हुई है? बढ़ोत्तरी हुई है, मुझे तो यही जानकारी है और तेजी से बढ़ रहे हैं ऐसे अपराध। तो क्या सजा बढ़ाने से अपमिश्रण का तरीका खत्म हो सकता है और क्या जनता को यह आश्वासन मिल सकता है कि मिलावट नहीं होगी? निश्चित रूप से वह खत्म नहीं होगी और निरंतर बढ़ती जायगी, रुक नहीं सकती, क्योंकि अपमिश्रण करने वाला बच जाता है और नहीं करने वाले को सजा मिलती है। इससे तो जिलों में मैजिस्ट्रेट और अन्य लोग वकीलों के माध्यम से रुपया ले रहे हैं और जिसका मुकदमा है वह स्वयं रुपया दे रहा है। तो इससे मैजिस्ट्रेटों का भ्रष्टाचार बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। इसमें तो गरीब लोग पीसे जायेंगे। जैसे धान की तस्करी हो रही है। एक बोरा, दो बोरा कोई धान ले जाय तो रोक दिया जायगा, लेकिन ट्रक के ट्रक पास हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वह पैसा देते हैं। जैसे कि डाल्डा फैक्टरी, मिर्जापुर में डाल्डा में मोबिलआइल या कोई ऐसी चीज मिलाया जा रहा था और छोटे व्यापारी बेचते थे। वह मैजिस्ट्रेटों और एस०डी०ओ० के सामने खोला गया। उसमें मोबिलआइल निकला। लेकिन उसमें उसका क्या दोष है? क्योंकि फैक्टरी में ही मिश्रण करके भेजा गया था। छोटा दूकानदार लाकर सिर्फ बेचता है। लेकिन कानून जो बना है वह यह है कि जिसके पास सामान पाया जायगा उसी को सजा होगी। तो बड़ी-बड़ी जो फैक्टरी वाले हैं वह माल का उत्पादन करेंगे, बड़े-बड़े कर्मचारी जाँच करने वालों को वह रुपया देकर पास करा लेंगे और माल मार्केट में आ जायगा तो छोटा दूकानदार फंस जायगा। छोटे व्यापारियों पर मुकदमा चलेगा, मैजिस्ट्रेटों को अधिक पैसा मिलेगा और छोटे आदमियों को ज्यादा सजा होगी। तो इस विधेयक से अप-मिश्रण बन्द होने वाला नहीं है, और बढ़ेगा और इसमें कोई रुकावट आ नहीं सकती। दूसरे, देहात में एक कहावत है कि ककरी का चोर कटारी से मारा जाय। मान लीजिये दूध में किसी तरह से थोड़ा सा पानी मिला दिया तो उसको आजीवन कारावास दिया जा सकता है और मैजिस्ट्रेट निश्चित उसको आजीवन कारावास देगा क्योंकि गरीब होने के नाते वह पैरवी नहीं कर सकेगा और पैसा भी नहीं दे सकेगा। जो अधिक से अधिक पैसा देगा उसको आजीवन कारावास नहीं मिलगा।

श्री अधिष्ठाता--

यादव जी, आप अपना स्थान ग्रहण करें।

*श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

अधिष्ठाता जी, आज पूरे देश के अन्दर, चाहे वह खाद्य संबंधी पदार्थों में मिलावट की बात हो या दवाओं में मिलावट की बात हो, यह एक गम्भीर सवाल है और इससे हजारों मौतें प्रदेश और देश

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम अधार]

के अन्दर होती हैं। बंगाल में भी कई सौ मौतें हो चुकी हैं और हमारे प्रदेश में भी ग्लकोज काँड हो चुका है। सरकार एसेन्शल कमोडिटीज ऐक्ट, १९५७ बना कर भी इसमें सफलता नहीं पा सकी क्योंकि कोई भी कानून हो जब तक वह बड़े लोगों पर लागू नहीं होगा सफल नहीं हो सकता। हम लोग गाँवों में देखते हैं कि छोटे-छोटे दूकानों पर इंस्पेक्टर जाते हैं। वह इलाहाबाद और कानपुर से कड़ुवा तेल मंगाता है। लेकिन चूंकि मिल का पूंजीपति सरकार को चन्दा देता है इसलिये यह सरकार मिल के एडल्ट्रेशन को नहीं पकड़ेगी बल्कि इंस्पेक्टर उस छोटे दूकानदार को पकड़ता है। मैं तो सरकार को चुनौती देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि पूरे उत्तर प्रदेश के अन्दर जाँच करालें कि किस तरह के लोगों पर आज इस तरह के मुकदमें चल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि एडलट्रेशन बन्द हो तो आप बड़े बड़े पूंजीपतियों के यह भी अपने इंस्पेक्टर को ताकीद करें कि वह जायं और उनको पकड़ें।

शिन्दे साहब ने दिल्ली में स्वीकार किया कि अनाज में भी मिलावट होती है। एफ० सी० आई० के माध्यम से जितना गल्ला बंटता है वह मिलावट कर के किसानों को दिया जाता है। इसी तरह से जहाँ तक दवाओं का सम्बन्ध है, पूरे देश में ३५० करोड़ रुपये की दवायें बनती हैं और पाँचवीं योजना में ६०० करोड़ रुपये की दवायें बनाने की सरकार की योजना है। लेकिन उसकी मिलावट को पकड़ने के लिये हिन्दुस्तान की सरकार केवल ३ करोड़ रुपया खर्च करती है। अगर आप मिलावट को पकड़ना चाहते हैं तो इस पैसे को बढ़ायें।

श्री अधिष्ठाता--

अब समय नहीं है, आप कृपा करके अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री राज मंगल पाँडेय--

मैं पहले ही कह चुका हूं कि जनमत का आदर करते हुये इसी सदन में हमारे माननीय सदस्यों ने समय-समय पर चाहे वह कानपुर ग्लूकोज काँड से संबंधित मसला हो या दवाओं के और अपमिश्रण के मसले हों या खाद्य पदार्थों में मिलावट की बात हो सरकार की काफी आलोचना की कि सजा कम होने के वजह से जरायम बढ़ते चले जा रहे हैं। आज जब हमने काफी सजा की बात रखी और बर्डेन आफ प्रूफ मुल्जिम के ऊपर ही रखा कि यह उसका उत्तरदायित्व होगा कि वह बताये कि अपमिश्रण उसके माध्यम से नहीं हुआ है उसके बाद भी इस तरह से लम्बी-चौड़ी बातें कही जायं तो ऐसा मालूम होता है कि पहले जो कुछ कहा गया था उसमें कुछ तथ्य या सार नहीं था।

यह कहा गया कि छोटे-मोटे अपराधों में ऐसी सजा नहीं होनी चाहिये। मैं भी इसी का कायल हूं। जो प्रक्रिया हमने बनायी है उसी में यह है कि अगर जज को इस बात का आभास हो जाय कि किसी विशेष परिस्थिति में यह चीज हुई है तो उसको दंड कम करने का अधिकार है। इतना ही नहीं, मैजिस्ट्रेट से ऊपर जज की अदालत तक में केस जा सकता है। कम से कम वहाँ पर अभी इतनी गिरावट नहीं आयी है, लोगों का विश्वास जजों में है। अगर गलत फैसला हुआ है तो वहाँ से वह छूट सकता है। एक आदमी जो किसी फैक्टरी से सामान खरीदता है और उस फैक्टरी के सामान में मिलावट पायी जाती है तो उसके लिये फैक्टरी वाले को पकड़ना चाहिये, यह बात जो माननीय सदस्यों ने कही है यह ठीक है। अगर एक व्यापारी पकड़ा जाता है और मिलावट फैक्टरी वाले ने की है तो उसमें तो वह व्यापारी स्वतः छूट जायगा। दूसरी बात यह है कि कानून के अन्तर्गत जो भी मिलावट करेगा किसी को बख्शा नहीं जायगा।

राय साहब ने कहा कि बड़े-बड़े आदमी चन्दा देते हैं हमें। अब अगर उनको यह विश्वास हो गया हो कि उनको कभी इस तरफ आना ही नहीं है, तब तो बात दूसरी है, वरना जब वे इधर थे तो उनको भी चन्दा मिलता था, कल को अगर फिर इधर आयेंगे तो उनको भी

मिलेगा। इसलिये इस तरह की बात करना कोई ठीक बात नहीं है। चन्दा उन्हें भी मिलता है। इसकी शिकायत नहीं होनी चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं आशा करूंगा कि यह सदन इस विधेयक को पास करेगा क्योंकि जो भी संशोधन हम लाये हैं वे सदन के माननीय सदस्यों की भावना को ध्यान में रख कर ही लाये हैं, इसमें सब का सहयोग मिलना चाहिये। मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, अगर मिलावट करता है तो उसे छोड़ा नहीं जायगा।

श्री रामअधार--

मेरी चुनौती है कि एक भी केस आप ऐसा बतायें जिसमें डाल्डा मिल वाले को आपने प्रदेश में पकड़ा हो ?

श्री राजमंगल पाँडेय--

मिलावट के संबंध में कितने लोगों को पकड़ा है उसके पेपर्स हैं। अभी ग्लूकोज काँड में आपने देखा कि हमने कितने ही अधिकारियों तक को जेल भेजा है। (व्यवधान) जब तक चीज ठीक चलती रहती है, यह मनुष्य का प्राकृतिक स्वभाव है कि वह सतर्क नहीं रहता। जब कोई झटका लगता है तभी सतर्क होता है। इसमें किसी का दोष नहीं है। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खाद्य, औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ को जनमत जानने के लिये ३० दिन तक परिचालित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खाद्य, औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ को एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो अपनी रिपोर्ट १५ दिन में दे दे। समिति को विधेयक की परिधि भी बढ़ाने का अधिकार हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खाद्य, औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

२--भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३, दि ड्रग्स ऐण्ड कास्मेटिक्स ऐक्ट, १९४० और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, १९५४ को उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में एतद्पश्चात् व्यवस्थित रीति से संशोधित किया जायगा। अधिनियम का लागू होना

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३

१८६० के अधिनियम ४५ का संशोधन

३--भारतीय दण्ड संहिता में--

(१) धारा २७२ में, शब्द "दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जायगा।" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्'--

"आजीवन कारावास से दण्डित किया जायगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा :

परन्तु न्यायालय, निर्णय में वर्णनीय पर्याप्त तथा विशेष कारणों के लिये, ऐसे कारावास से दण्डित कर सकेगा जो आजीवन कारावास से कम हो।"

(२) धारा २७३ में, शब्द "दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जायगा।" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्:--

"आजीवन कारावास से दण्डित किया जायगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा :

परन्तु न्यायालय, निर्णय में वर्णनीय पर्याप्त तथा विशेष कारणों के लिये, ऐसे कारावास से दण्डित कर सकेगा जो आजीवन कारावास से कम हो।";

(३) धारा २७४, में शब्द "दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जायगा।" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्--

"आजीवन कारावास से दण्डित किया जायगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा :

परन्तु न्यायालय, निर्णय में वर्णनीय पर्याप्त तथा विशेष कारणों के लिये, ऐसे कारावास से दण्डित कर सकेगा जो आजीवन कारावास से कम हो।"

(४) धारा २७५ में, शब्द "दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जायगा।" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात् :--

"आजीवन कारावास से दण्डित किया जायगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा :

परन्तु न्यायालय, निर्णय में वर्णनीय पर्याप्त तथा विशेष कारणों के लिये, ऐसे कारावास से दण्डित कर सकेगा जो आजीवन कारावास से कम हो।";

(५) धारा २७६ में, शब्द "दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने में से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायगा।" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात् :--

"आजीवन कारावास से दण्डित किया जायगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा :

परन्तु न्यायालय, निर्णय में वर्णनीय पर्याप्त तथा विशेष कारणों के लिये, ऐसे कारावास से दण्डित कर सकेगा जो आजीवन कारावास से कम हो।"

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ (१) भारतीय दंड संहिता की धारा २७२ में प्रस्तावित अंश में "आजीवन कारावास" तथा "से" के बीच में "तक" लिख दिया जाय।

मान्यवर, यह संशोधन मैंने इसलिये दिया है कि यह प्रश्न जैसा कि डाक्टर साहब ने कहा—दूध में पानी मिलाने का हो सकता है लेकिन मैं समझता हूं कि चाहे सरकार हो या मंत्रिमंडल के सदस्य हों, चाहे आफिसर हों सब प्रदेश के सारे के सारे दूध तो पानी में मिलाते हैं। तो सारा का सारा दूध पानी में न मिल जाय, इससे छोटे लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सकें, इसलिये यह संशोधन है।

श्री राजमंगल पाँडेय--

यह स्वीकार नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड ३ (१) में भारतीय दंड संहिता की धारा २७२ में प्रस्तावित अंश में "आजीवन कारावास" तथा "से" के बीच में "तक" लिख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री आशा राम यादव--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ (१) में भारतीय दंड संहिता की धारा २७२ में प्रस्तावित अंश की प्रथम पंक्ति में शब्द "और" के बाद निम्नलिखित लिख दिया जाय :--

"एक हजार रुपया।"

श्री राजमंगल पाँडेय--

यह स्वीकार नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड ३ (१) में भारतीय दंड संहिता की धारा २७२ म प्रस्तावित अंश की प्रथम पंक्ति में शब्द "और" के बाद निम्नलिखित लिख दिया जाय।

"एक हजार रुपया।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ४

४--दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ में प्रथम अनुसूची में धारा २७२, २७३, २७४, २७५ और २७६ के सामने वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः स्तम्भ २,३,४,५ और ६ में निम्नलिखित प्रविष्टियां रख दी जांय, अर्थात् :-- १९७४ के अधिनियम २ की प्रथम अनुसूची का संशोधन

"२७२--विक्रय के लिये आशयित खाद्य या पेय का ऐसा अपमिश्रण	जुर्माने सहित या रहित आजीवन कारावास	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय।

जिससे कि वह अपायकर बन जाये ।	कारावास			
२७३—खाद्य और पेय के रूप में किसी खाद्य या पेय को, यह जानते हुए कि वह अपायकर है, बेचना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
२७४—विक्रय के लिये आशयित किसी औषधि या भेषजीय निर्मिति का ऐसा अपमिश्रण जिससे उसकी प्रभावकारिता कम हो जाय या उसकी क्रिया बदल जाए या वह अपायकर हो जाय ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
२७५—किसी औषधि या भेषजीय निर्मिति को जिसके बारे में ज्ञात है कि वह अपमिश्रित है बेचने की प्रस्थापना करना या औषधालय से देना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
२७६—किसी औषधि या भेषजीय निर्मिति को भिन्न औषधि या भेषजीय निर्मिति के रूप में जानते हुए बेचना या औषधालय से देना ।	जुर्माने सहित या रहित आजीवन कारावास	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ में दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ में प्रथम अनुसूची की प्रस्तावित प्रविष्टयों की पहली प्रविष्टि में "जुर्माने सहित" के बाद तथा "आजीवन" के बीच में से "या रहित" हटा दिया जाय ।

मान्यवर, जो मेरे संशोधन की मंशा थी, वह यहाँ स्पष्ट हो जाती है ।

कानून यह है कि जो चीज ऐसी हो कि उससे शरीर को बहुत अधिक नुकसान पहुंचे उसमें जुर्माना सहित या जुर्माना रहित कारावास होगा । मेरे कहने की मंशा है कि अधिक नुकसान पहुंचाने वाले अपराध जुर्माना सहित कारावास किया जाय । तभी इस संशोधन की मंशा भी पूरी होगी । जैसे दूध में पानी मिलाया जाता है । यह अपराध तो है । लेकिन पानी मिलाने से बहुत अधिक नुकसान नहीं पहुंचता है, इस तरफ ध्यान दिया जाय और जो इस प्रस्ताव की मंशा है कि रहित हटा दिया जाय उसको माना जाय । यह नहीं कि सभी धान २२ पसेरी । सभी जुर्म में बराबर जैसी कार्यवाही हो रही है और जैसा सरकार का रुख है, वैसी कार्यवाही नहीं होनी चाहिये । अपराध के अनुसार दंड दिया जाना चाहिये ।

श्री राज मंगल पांडेय—

यह स्वीकार नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड ४ में दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ में प्रथम अनुसूची की प्रस्तावित प्रविष्टियों की पहली प्रविष्टि में "जुर्माना सहित" के बाद तथा "आजीवन" के बीच में से 'या रहित' हटा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ में दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ में प्रथम अनुसूची की प्रस्तावित प्रविष्टियों की पहली प्रविष्टि में 'कारावास' के बाद 'तक' लिख दिया जाय। यह निवेदन करना है।

श्री राज मंगल पाडेय--

स्वीकार नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ में प्रथम अनुसूची की प्रस्तावित प्रविष्टियों की पहली प्रविष्टि में 'कारावास' के बाद 'तक' लिख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ५

५--दि ड्रग्स ऐण्ड कास्मेटिक्स ऐक्ट, १९४० में-- १९४० का ऐक्ट २३ का संशोधन

(१) धारा ६ में उपधारा (१) में, वर्तमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित अतिरिक्त परन्तुक बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :--

"परन्तु यह और कि राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से यह निदेश दे सकेगी कि केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला और निदेशक के कृत्य उत्तर प्रदेश में क्रमशः ऐसे प्राधिकारी तथा ऐसे अधिकारी द्वारा जिन्हें राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, किये जा सकेंगे और तब इस अधिनियम में केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला या निदेशक के प्रति किसी निर्देश, यथास्थिति, ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी के प्रति निर्देश समझा जायगा।"

(२) धारा १९ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :--

"१९--क जब कोई औषधि या प्रसाधन सामग्री धारा २२ के खण्ड (ग) के अधीन किसी निरीक्षक द्वारा किसी व्यक्ति से इस युक्तियुक्त का विश्वास से अभिगृहीत की जाय कि ऐसी औषधि या प्रसाधन सामग्री मिथ्या छाप वाली अथवा अपमिश्रित है तो इस बात को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जिसके कब्जे से ऐसी औषधि या प्रसाधन सामग्री अभिगृहीत की गई थी।"

सबूत का भार

(३) धारा २७ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् :—

इस अध्याय के उल्लंघन में औषधियों के निर्माण, उसकी बिक्री आदि के लिये शास्ति

"२७—जो कोई भी स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा:—

(क) किसी औषधि का—

(१) जो धारा १७ के खण्ड (क), खण्ड (ग), खण्ड (घ), खण्ड (च), या खण्ड (छ) के अधीन मिथ्या छाप वाली अथवा धारा १७—ख के अधीन अपमिश्रित समझी गयी हो ; या

(२) धारा १८ के खण्ड (ग) का अपेक्षानुसार किसी विधिमान्य अनुज्ञप्ति के बिना, या

(ख) इस अध्याय या तद्धीन बनाये गये किसी नियम के किन्हीं उपबन्धों के उल्लंघन में खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी औषधि से भिन्न किसी औषधि का विक्रय के लिये विनिर्माण, विक्रय करता है, विक्रय के लिये उसका स्टाक या प्रदर्शन करता है अथवा उसका वितरण करता है तो वह आजीवन कारावास से दण्डित किया जायेगा :

परन्तु न्यायालय निर्णय में वर्णनीय किन्हीं विशेष कारणों के लिये, ऐसे कारावास से दण्डित कर सकेगा जो आजीवन कारावास से कम हो ।"

(४) धारा २७—क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् :—

इस अध्याय के उल्लंघन में प्रसाधन सामग्रियों के विनिर्माण, विक्रय आदि के लिये शास्ति

"२७—क जो कोई भी स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस अध्याय अथवा तद्धीन बनाये गये किसी नियम के, किन्हीं उपबन्धों के उल्लंघन में किसी प्रसाधन सामग्री का विक्रय के लिये विनिर्माण, विक्रय करता है, विक्रय के लिये उसका स्टाक या प्रदर्शन करता है अथवा उसका वितरण करता है तो वह आजीवन कारावस से दण्डनीय होग। और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा :

परन्तु न्यायालय, निर्णय में वर्णनीय पर्याप्त तथा विशेष कारणों के लिये, ऐसे कारावास से दण्डित कर सकेगा जो आजीवन कारावास से कम हो ।" ;

(५) धारा ३० निकाल दी जाय ।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ की मद (२) को निकाल दिया जाय ।

मान्यवर, इसकी मंशा मात्र इतनी है कि जब सरकार किसी भी अपमिश्रण को तत्काल डिटेक्ट करने के लिये पकड़ती है तो उसका पता लगाने के लिये प्रापर मशीनरी हमारे शहरों में या बड़े बाजारों में प्रोवाइड नहीं करती। जो लोग इस प्रकार की चीजें बेंचते हैं उनको तब तक सजा नहीं मिलनी चाहिये जब तक उनका जुर्म साबित न हो जाय। मान्यवर, यह तो नेचुरल ला है। जो पकड़ा गया है उसके खिलाफ जुर्म साबित करने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिये या उस अधिकारी की होनी चाहिये जिसने पकड़ा है। यह मेरी मंशा है।

श्री राज मंगल पांडेय—

स्वीकार नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड ५ की मद (२) को निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री आशा राम यादव---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५(४) में प्रस्तावित धारा २७-क के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:---

"फुटकर बिक्रेता पर आरोप होने की दशा में प्रतिबन्ध यह है कि दण्डाधिकारी को दंड देने के पूर्व यह समाधान होना आवश्यक है कि मिलावट निर्माण स्थल पर ही तो नहीं की गयी है।"

मान्यवर, मेरी इस बात से तो मंत्री जी सहमत होंगे। मेरा कहना है कि जो यह मिलावट की जाती है उसको पूंजीपति और बड़ी-बड़ी फैक्टरियों में यह की जाती है। मान्यवर, इसकी सजा उस फुटकर व्यापारी को नही मिलनी चाहिये जिसने माल कहीं से खरीद कर बेचा है। मान्यवर, मन्त्री जी मेरीइस बात से तो सहमत ही होंगे और इसे स्वीकार कर ही लेंगे।

श्री राजमंगल पाँडेय--

मान्यवर, इसके लिये कानून में प्राविधान है। जब भी इस तरह से कोई पकड़ा जाता है और वह यह कहता है कि फलाँ जगह से हमने यह माल खरीदा है तो बोनाफाइड बिलोफ में कानून उसको इम्जेम्प्शन देता है। यह स्वीकार नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड ५(४) में प्रस्तावित धारा २७-क के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:

"फुटकर विक्रेता पर आरोप होने की दशा में प्रतिबन्ध यह है कि दंडाधिकारी को दंड देने के पूर्व यह समाधान होना आवश्यक है कि मिलावट निर्माण के स्थल पर ही तो नहीं की गई है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६, १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

६---खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, १९५४ में--- १९५४ के अधिनियम ३७ का संशोधन

(१) धारा ४ में, उपधारा (२) में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:---

"परन्तु राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से यह निदेश दे सकेगी कि केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला और निदेशक के कृत्य उत्तर प्रदेश में क्रमशः ऐसे प्राधिकारी तथा अधिकारी द्वारा जिन्हें राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, किये जा सकेंगे और तब इस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अधिनियम में केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला या निदेशक के प्रति किसी निर्देश को यथास्थिति, ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी के प्रति निर्देश समझा जायगा";

(२) धारा १६ में—

(क) उपधारा (१) में, शब्द "इतनी अवधि के लिये, जो छः मास से कम की न होगी किन्तु जो छः वर्ष तक की हो सकती है, कारावास से और जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा दण्डनीय होगा" के स्थान पर शब्द "आजीवन कारावास से दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा" रख दिये जायें;

(ख) उपधारा (१) के परन्तुक (२) में, शब्द "तो न्यायालय निर्णय में वर्णनीय किन्हीं पर्याप्त और विशेष कारणों के लिये छः मास से कम की अवधि के लिये कारावास या एक हजार रुपये से कम के जुर्माने अथवा छः मास से कम की अवधि के लिये कारावास और एक हजार रुपये से कम के जुर्माने, दोनों से दण्डित कर सकेगा" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायें, अर्थात्:—

"न्यायालय निर्णय में वर्णनीय किन्हीं पर्याप्त और विशेष कारणों के लिये ऐसे दण्ड से दण्डित कर सकेगा जो आजीवन कारावास के दण्ड से कम हो।";

(३) उपधारा (१—ख) में, शब्द "छः वर्ष की अवधि के लिये कारावास से और जुर्माने से जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा, दण्डनीय होगा" के स्थान पर शब्द "आजीवन कारावास से दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा" रख दिये जायें;

(४) धारा १९ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"१९—क जब खाद्य के लिये आशयित कोई पदार्थ धारा १० की उपधारा (४) के अधीन खाद्य निरीक्षक द्वारा किसी व्यक्ति से सबूत का भार इस युक्तियुक्त विश्वास से अभिगृहीत किय जाय कि वह अपमिश्रित या मिथ्या छाप वाला है तो यह साबित करने का भार कि खाद्य के लिये आशयित ऐसा पदार्थ अपमिश्रित या मिथ्या छाप वाला नहीं है, उस व्यक्ति पर होगा जिसके कब्जे से खाद्य के लिये आशयित ऐसा पदार्थ अभिगृहीत किया गया था।"

(५) धारा २१ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

अपराध संज्ञेय तथा जमानतीय होंगे "२१—क इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय सभी अपराध संज्ञेय तथा अजमानतीय होंगे।"

खाद्य, औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४

खाद्य, औषधि तथा प्रसाधन सामग्री के विरुद्ध और अधिक प्रभावी कार्यवाही करने के उद्देश्य से और उनके सम्बन्ध में अपराधों के लिये प्रतिरोधक दण्ड देने के निमित्त भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३, दि ड्रग्स ऐण्ड कास्मेटिक्स ऐक्ट, १९४० और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, १९५४ का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम खाद्य, औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९७४ कहलायेगा।

डाक्टर जीतेन्द्र कुमार अग्रवाल—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ की मद (४) को निकाल दिया जाय।

मान्यवर, जैसा कि ओम प्रकाश सिंह जी ने कहा है उसका मैं समर्थन करता हूं और उसके साथ ही यह जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिये साबित करने के लिये कि अपमिश्रण किया गया है।

श्री राज मंगल पाँडेय—

मान्यवर, मुझे स्वीकार नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड ६ की मद (४) को निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड ६, खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राज मंगल पाँडेय—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खाद्य, औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खाद्य औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७४†

*राजस्व मन्त्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७४, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, इस विधेयक द्वारा जो कई अधिनियम है जैसे उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५०, उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था

---

†४ जुलाई, १९७४ की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री स्वामी प्रसाद सिंह]

अधिनियम, १९५६, कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९६०, उत्तर प्रदेश चकबन्दी अधिनियम, १९५३ तथा यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ इन पाँचों अधिनियमों में जो संशोधन किये गये हैं उसका एक विधेयक इस सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है।

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५०, उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५६, कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९६०। इन तीनों अधिनियमों की धारा २ में केवल इतना संशोधन विधेयक के खंड २, खंड १९ और खंड २० द्वारा यह किया जा रहा है कि यदि केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाले किसी आस्थान में इन तीनों अधिनियमों को लागू करने का निर्णय लिया जाय तो उसके सम्बन्ध में विज्ञप्ति बिना केन्द्रीय सरकार के परामर्श द्वारा नहीं होनी चाहिये। हालाँकि अभी तक कोई बिना केन्द्र के परामर्श से नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी यह स्पष्ट नहीं था इसलिये खंडों में संशोधन किया गया है भारत सरकार की आज्ञा के बिना कोई कार्य न किया जाय।

खण्ड ३ में केवल जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा ३ में 'कलेक्टर' शब्द की परिभाषा पुनः की जा रही है। अन्य स्थानों पर जो शब्द कलेक्टर आये हैं उनको निरस्त कर दिया गया है।

खण्ड ४ के द्वारा अन्य व्यक्तियों की जोत पर अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के खेतिहर मजदूर या ग्रामीण शिल्पकार और अन्य खेतिहर मजदूरों और ग्रामीण शिल्पकारों द्वारा बनाये गये मकानों की भूमि पर उनका अधिकार न था, वह मालिक न थे। इस विधेयक के द्वारा संशोधन करके उनको मालिक बना दिया गया है।

वर्तमान खण्ड ५ में जो मियाद २५ मार्च, १९७४ थी उसको १५ मार्च, १९७४ कर दिया गया है। ऐसा सर्वे के बाद किया गया है। खण्ड ५ की धारा १५, को इस प्रकार संशोधित किया जा रहा है कि दानोत्तर संस्थाओं को किये जाने वाले संक्रमणों को भी इस धारा की परिधि में लाया जा सके। यह इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि वयस्क व्यक्तियों के नाम किये जाने वाले संक्रमण वर्तमान स्पष्टीकरण के अनुसार इस धारा के प्रतिबन्ध से बच जाते थे, यदि उनके माता-पिता के नाम भी भूमि पहले से मौजूद थी। संशोधित स्पष्टीकरण से यह दुरुपयोग समाप्त हो जायगा।

खण्ड ६ के द्वारा धारा १५६ का स्पष्टीकरण निकाला जा रहा है जिसका फल यह होगा कि साझेदारी की प्रथा का वैधानिक अस्तित्व समाप्त हो जायगा। यह इसलिये किया जा रहा है कि इस समय साझेदारी सम्बन्धी प्राविधान का दुरुपयोग करके लोग साझेदारी के रूप में अपनी जमीन सिकमियों को उठा रहे हैं, जो राज्य की स्वीकृत भूमि-नीति के विरुद्ध है।

खण्ड ७ के द्वारा १५७—क को संशोधित करके अनुसूचित जातियों पर भी यह प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है कि वे अपनी जमीन का हस्तान्तरण अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी अन्य को बिना कलेक्टर की अनुमति के नहीं कर सकेंगे। यह संशोधन अनुसूचित जातियों के हितों की सुरक्षा की दृष्टि से किया जा रहा है।

खण्ड ८ में खण्ड ७ में किये जा रहे संशोधन के फलस्वरूप धारा १६९ में संशोधन आवश्यक हो गया है। उसे खण्ड से निकाला जा रहा है।

खण्ड ९ के द्वारा जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा १९८ के स्थान पर नई धारा रखी जा रही है जिसमें उनकी जो पट्टे की प्रायरिटी थी वह उसमें रख दी गई है। पहले शत्रु की कार्यवाही से पूर्णतः विकलांग सैनिकों के लिये वरीयता अन्य व्यक्तियों के ऊपर दी जा रही है....

श्री अधिष्ठाता--

पहले तो शिक्षा के सम्बन्ध में है। आप बिल में देख लीजिये अगर आपके पास न हो तो भिजवा दूं।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जी हाँ, ठीक है। पर मैं तो पुरानी प्रायरिटी बतला रहा हूं। इसमें पहले शिक्षण संस्थाओं को है। इस विधेयक में जो पुरानी प्रायरिटी थी वह तब्दील की गयी है।

श्रीमन्, इसके बाद खंड १० के द्वारा धारा २४१ में मालगुजारी का जो भाग पूरे गाँव पर रखा गया है, उसको हटाया जा रहा है और मालगुजारी का भार किसी खाते की भूमि पर ही रखा जा रहा है। इसी तरह से श्रीमन् खंड ११ के द्वारा खंड १० द्वारा किये जाने वाले संशोधन के फलस्वरूप धारा २४३ में संशोधन किया जा रहा है। खंड १२ द्वारा धारा २५७ में संशोधन इस उद्देश्य से किया जा रहा हैकि वर्तमान अधिनियम में जो प्रतिबन्ध एहतमाली प्रदेशों के विषय में बन्दोबस्त की अवधि कम नियत करने के सम्बन्ध में है, उसे हटाया जावे। उद्देश्य यह है कि एहतमाली प्रदेशों में कम अवधि की बन्दोबस्त की जो प्रक्रिया है, उसे समाप्त किया जाय। यह इसलिये किया जा रहा है क्योंकि एहतमाली प्रदेशों में नदियों के कटाव से अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती थी और जो सेटिलमेंट होता था उसके हिसाब से बड़े-बड़े लोग जबरदस्ती जमीन को एलाट करवा लेते थे। इसलिये एहतमाली प्रदेशों में कम अवधि की बन्दोबस्त की जो प्रक्रिया है उसे समाप्त किया जाय क्योंकि अनुभव यह हुआ है कि ऐसे बन्दोबस्त द्वारा बजाय सुविधा मिलने के लोगों को जोतों में अनावश्यक परिवर्तन हो जाता है और नदी से निकली हुई भूमि के आबन्टन में आपसी झगड़े बढ़ते हैं। बड़े लोग ज्यादा जमीन पर अतिक्रमण कर लेते हैं। इसलिये खंड १३ द्वारा धारा २५८, खंड १४ के द्वारा धारा २५९ तथा खंड १५ के द्वारा धारा २७४, जो सभी एहतमाली क्षेत्रों के बन्दोबस्त से सम्बन्धित हैं, हटाई जा रही हैं। एहतमाली क्षेत्रों में कम अवधि के बन्दोबस्त करने से न शासन को कोई हानि होगी और न सम्बन्धित व्यक्तियों को, क्योंकि इस समय जो अनिश्चितता व्याप्त है, वह समाप्त हो जायगी। पर रेकर्ड की दुरुस्ती जहाँ आवश्यक होगी रेकर्ड आपरेशन करके की जा सकेगी। खंड १६ के द्वारा अधिनियम की धारा २८६-क में मालगुजारी की वसूली के सिलसिले में रिसीवर की नियुक्ति का जो प्राविधान है और उसे हाल ही में उच्च न्यायालय के निर्णयों के फलस्वरूप और स्पष्ट किया जा रहा है। यह निर्णय चीनी मिलों के लिये रिसीवरों की नियुक्ति से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से किये जा रहे हैं। खंड १७ द्वारा एक नई धारा २८७-क इस आशय से जोड़ी जा रही है कि कोई भी व्यक्ति जिसे बकाया मालगुजारी देने में आपत्ति हो, बकाया का भुगतान आपत्ति के साथ कर सकता है और ऐसा व्यक्ति राज्य सरकार के विरुद्ध सिविल न्यायालय में वाद ला सकता है तथा बकाया धनराशि के सम्बन्ध में साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है। इस प्रकार का प्राविधान लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट में पहले से ही मौजूद था, पर जमींदारी विनाश अधिनियम में नहीं था जिसे अब बढ़ाया जा रहा है। खंड १८ के द्वारा जमींदारी विनाश अधिनियम की किन कार्यवाहियों पर दीवानी न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, इसे स्पष्ट किया जा रहा है।

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम १९५३, में भी संशोधन किये गये हैं। खंड २१ द्वारा अधिनियम की धारा ५ के उपधारा (२) की भाषा बदली जा रही है क्योंकि कुछ दिन हुए उच्च न्यायालय के एक निर्णय में वर्तमान प्राविधान का यह अर्थ निकाला गया था कि धारा ५ के अन्तर्गत उसके अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार तभी अनुमति की आवश्यकता होगी, जब जोत का कोई भाग हस्तांतरित किया जा रहा हो। इस शंका को दूर करने के लिये धारा की शब्दावली को बदला जा रहा है। इसी धारा में एक स्पष्टीकरण जोड़ कर यह व्यवस्था भी की जा रही है कि अधिकतम जोत सीमा अधिनियम के अन्तर्गत जो भी कार्यवाहियाँ होंगी, वे धारा ५ के अन्तर्गत अवैध नहीं समझी जायेंगी। खंड २२ के द्वारा एक नई धारा ११-ख बढ़ाकर इस बात की व्यवस्था की जा रही है कि राज्य सरकार या गाँव सभा की ओर से आपत्ति न होने

[श्री स्वामी प्रसाद सिंह]

की दशा में भी चकबन्दी न्यायालय उनके हितों की रक्षा के लिये आदेश दे सकें। खंड २३ के द्वारा चकबन्दी अधिनियम की धारा २७ को और अधिक स्पष्ट करके इस बात की व्यवस्था की जा रही है कि चकबन्दी क्रियाओं के दौरान बने हुए नक्शे, खसरे और अभिलेख लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट के अधीन रखे जा सकें।

इसी तरह से थोड़ा सा संशोधन लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट में भी किया है। खंड २४ के द्वारा लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट की धारा १८२-क में रिसीवर की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्राविधान है। इस तरह से जो संशोधन हैं वे कमजोर वर्ग के हित में हैं। लिहाजा मैं इस विधेयक को समाज के पिछड़े वर्ग के लिये और उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिये पेश कर रहा हूं। यह माननीय सदन इसका अनुमोदन करेगा या यदि यह कोई और सुझाव देना चाहता है तो उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७४ को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जो अपनी रिपोर्ट ९ माह में दे दे।

मान्यवर, जिस उद्देश्य से मन्त्री महोदय ने यह संशोधन विधेयक पेश किया है उस उद्देश्य और मंशा से मैं अपनी सहमति प्रकट करता हूं। आज जो समाज का दलित तथा निम्न वर्ग है, भूमिहीन और खेतिहर मजदूर है उसके रहने के लिये भूमि देना और जो भूमि उसके पास है उसे संरक्षण प्रदान करना अति आवश्यक है। इस लिये सरकार की मंशा बहुत उचित है और इस सदन की भावना के अनुकूल है और उसके लिये मैं अपनी पूर्ण सहमति पुनः प्रकट करना चाहता हूं। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि सरकार जो संशोधन पेश करती है उससे ऐसा लगता है कि दो चार पेपर आ गये अथवा दो चार शिकायतें आ गयीं उनके आधार पर उसने संशोधन कर लिया उन शिकायतों को दूर करने के लिये। जिन विधानों की चर्चा इसमें है अगर देखा जाय तो पता लगेगा कि सन् ५२ से लेकर आज तक बीसियों बार उनमें संशोधन हुए हैं और उन विधेयकों में बारबार संशोधन करना इस बात को सिद्ध करता है कि सरकार जो संशोधन करती है वह व्यापक रूप से विचार करके नहीं करती और जो संशोधन लाती है वह स्वयं में पूर्ण नहीं होता। लैंड के मामले में आज परिस्थितियाँ जिस तरह से बिगड़ रही हैं और जिस अनियोजित ढंग से सरकार उनमें परिवर्तन करती जा रही है उसका नतीजा यह है कि कानून तथा परिस्थितियों में मेल न होने से एक नई समस्या पैदा हो जाती है और जब सरकार पर दबाव पड़ता है तो वह एक संशोधन विधेयक ले आती है।

सर्वप्रथम मेरा कहना यह है कि हमारे प्रदेश में जो जमीन से सम्बन्धित समस्यायें और झगड़े हैं जैसे जमीन के लिये सबल कमजोर को दबा रहा है, उससे जमीन छीनने की प्रवृत्ति रख रहा है उस समस्या के समाधान के लिये जो कानून बारबार बनाये जा रहे हैं वे अक्षम हैं, वे गरीबों को कोई संरक्षण प्रदान नहीं कर पा रहे हैं और सरकार जिस प्रकार प्रत्येक वर्ष इन कानूनों में परिवर्तन लाती है उसी रवैये को अख्तियार करते हुए उसने अनेक कानूनों में संशोधन करके यह एक संशोधन विधेयक पुनः ले आई है जो कि अपर्याप्त है, अक्षम है। आवश्यकता इस बात की थी कि वह भूमि से सम्बन्धित जितने भी कानून हैं उन सभी कानुनों के सम्बन्ध में किसानों, भूमिहीनों तथा गरीबों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों, उनमें रुचि रखने वाले अन्य लोगों के विचारों को आमन्त्रित करती और उन विचारों को ले कर काफी गहन अध्ययन के बाद, जमीन से सम्बन्धित, अधिकारों से सम्बन्धित, जमींदारी से सम्बन्धित कानूनों, ऐक्टों तथा उनमें जो बातें कहीं गई हैं उन पर पुनः व्यापक रूप से विचार करके एक नया कानून बनाया जाता और एक नया विधेयक लाया जाता तो वह अधिक उपयुक्त होता अपेक्षा इसके कि रोज एक ईंट खिसकाओ

और एक ईंट में मसाला लगाकर रख दो, ठीक नहीं। सारी दीवाल नयी हो, पुरानी साड़ी और उसका हर किनारा फटा हो तो उसमें नित्य चित्ती लगायी जाय, यह ठीक नहीं है बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि नई साड़ी ली जाय। तो आज जरूरत इस बात की थी कि यह संशोधन व्यापक रूप से विचार करने के बाद लाया जाता। जैसे जमींदारी ऐक्ट को ही हम ले लें। उसके सेक्शन ३३१ को ही समाप्त कर दिया जाना चाहिये क्योंकि उसमें क्वेश्चन आफ इनहेरिटेंस का है और उसमें बहुत सारे घपले होते हैं। जो वर्तमान कानून है वह आज की समस्याओं को सुलझाने में बिलकुल असक्षम हैं।

इसी तरह से जमीनों से सम्बन्धित अधिकार जो रेवेन्यू कोर्ट को दिये गये हैं वे सिविल कोर्ट को मिलने चाहिये। उसका कारण यह है कि रेवेन्यू कोर्ट को कानून का उतना ज्ञान नहीं होता है जितना कि इस विषय में उनको होना चाहिये। इसलिये मेरा कहना यह है कि यह अधिकार रेवेन्यू कोर्ट से हटाकर सिविल कोर्ट को दे दिये जाने चाहिये। इसके अतिरिक्त जुडीशियल आफीसर्स जितने रेवेन्यू कोर्ट में थे उनको हटाकर क्रिमिनल कोर्ट में लगा दिया गया है इसलिये वे वहाँ पर काम करने के लिये सक्षम नहीं हैं।

इसी तरह से लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट में जो धारा ३३/४४ हैं जिसमें करेक्शन आफ पेपर्स से सम्बन्धित मामले हैं, वर्तमान कानून उन पर नियन्त्रण करने में सक्षम नहीं है। इसलिये मेरा कहना है कि इन सेक्शंस को भी संशोधित किया जाना चाहिये और उन पर पुनर्विचार होना चाहिये। इसके अतिरिक्त न्यूटीशन से सम्बन्धित जितने भी कानून हैं उन पर भी विचार होना चाहिये क्योंकि वे भी आज की समाज की समस्याओं और आवश्कताओं को देखते हुए असक्षम हो गये हैं। इसी तरह से कन्सोलिडेशन ऐक्ट के जो अधिकार हैं जो कि सिंचाई आदि से सम्बन्धित हैं उनका परिणाम यह होता है कि आज वे हर खेत को पानी तथा नाली नहीं पहुंचा पाते और हर खेत को सिंचाई की सुविधा प्राप्त नहीं हो पाती। अधिकारियों को किसी भी जमीन से सिंचाई नाली ले जाने का अधिकार होना चाहिये।

इसके साथ ही साथ में चकबन्दी के बारे में भी कहूंगा। उनमें जो चेक रोड्स निकालने की बात थी, हर खेत को और हर गाँव को मुख्य सड़क से जोड़ दिया जाना था लेकिन कार्य इस मंशा के विपरीत हुआ है। हर खेत और गाँव की दिशा दूसरी तरफ है जिसका परिणाम यह है कि हर खेत मुख्य सड़क से नहीं जुड़ पाया है। इस प्रकार हमारी जो भूमि सम्बन्धी समस्यायें हैं उनको सुधारने में ये सब कानून और संशोधन अपूर्ण, असक्षम हैं और उन पर पुनः व्यापक रूप से सभी वर्गों के विचारों को लेकर नया कानून बनाने की आवश्यकता है। इसलिये मैं सदन से आग्रह करता हूं कि वह इस प्रस्ताव को प्रवर समिति में भेजने के लिये स्वीकार करे और आये दिन जो जमीन सम्बन्धी झगड़े हो रहे हैं, गरीबों को दी जाने वाली भूमि उन्हें नहीं मिल पा रही है वह नहीं हो पाये। अतः यह जरूरी है कि इन समस्याओं का समाधान व्यापक रूप से, शांतिपूर्ण ढंग से और समुचित रूप से हो।

*श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)---

अधिष्ठाता महोदय, मैं मन्त्री जी से इस समय पुनः निवेदन करूंगा कि यह अच्छा होगा कि यदि वह जब तक माल मन्त्री रहें, अपने ही कार्यकाल में जमीन सम्बन्धी सभी कानूनों को एकत्र करके उसे सूक्ष्म और जनता की समझ वाला बना दें एक बार सोचकर, ताकि बारबार पीसमील विधेयक लाने की उनको कोई जरूरत न पड़े और जनता को भी राहत मिल सकें। क्योंकि तरह-तरह के भूमि सम्बन्धी संशोधन विधेयक समय-समय पर आया करते हैं और अभी भूमि सम्बन्धी भूदान के विषय में विधेयक आने वाला है। यदि मेरा अनुरोध सरकार की समझ में आ जाय और इस तरह का निर्णय सरकार ले ले तो इस देश के किसानों का बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम सेवक यादव]

इस निवेदन के साथ में मन्त्री महोदय का ध्यान, उन्होंने जो उद्देश्य और कारण इस विधेयक के बताये हैं उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। इन्होंने 'उद्देश्य और कारण' में यह कहा है--'यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को प्रदेशनार्थ उपलब्ध भूमि का कम से कम ५० प्रतिशत मिले, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा १९८ संशोधित की जा रही है।' यह इनका मकसद है। फिर इसके बाद यह भी है--'अधिनियम की धारा १५६ के उपबन्धों को इस उद्देश्य से संशोधित किया जा रहा है जिससे कि भूमि को चोरी छिपे दुबारा किराये पर दिये जाने से रोका जा सके।' और एक जगह इन्होंने यह भी कहा है--'यह भी देखा गया है कि प्रभावशाली व्यक्ति अनुसूचित जातियों के सदस्यों द्वारा धृत भूमि का संक्रमण अपने नाम में करा लेते हैं, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे सदस्य पुनः भूमिहीन हो जाते हैं।' जिन्हें जमीन मिल जाए, उनसे जमीन न छिने और हरिजन और आदिम जातियों के लोगों को जमीन मिले, ये दो मुख्य उद्देश्य हैं, जिनसे प्रेरित होकर यह विधेयक आया।

श्री अधिष्ठाता--

इस उद्देश्य से तो आप भी सहमत होंगे?

श्री रामसेवक यादव--

निश्चित ही।

श्री अधिष्ठाता--

क्योंकि उद्देश्य से सहमत होने के बाद ही संशोधन ओम प्रकाश जी ने पेश किया।

श्री रामसेवक यादव--

उद्देश्य से मैं सहमत हूं, लेकिन उस उद्देश्य की पूर्ति क्या इस विधेयक द्वारा हो रही है या नहीं--यह मूल प्रश्न है? तब मैं समझता हूं मन्त्री महोदय या सरकार ने जो विधयक तैयार किया है, यह जो मंगलदेव विशारद का प्रतिवेदन आया था, उसको इसकी तैयारी में अवश्य ध्यान में रखा होगा। तब मेरा यह कहना है कि उन सुझावों के बाद जो १९८ धारा को इन्होंने संशोधित किया है और उसको देखते हुए जो इन्होंने संशोधन रखा है, मैं उसके ऊपर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इन्होंने साफ कहा है, उद्देश्य है हरिजन और आदिवासियों को जमीन देना, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को जमीन देना, लेकिन यह जो जमीन देने की प्रायरिटी है, प्राथमिकता तय की गई है, उसे आप देखें। खंड ९ (क) में है, "शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश या किसी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त तथा कृषि, औद्यानिकी अथवा पशुपालन में शिक्षा देने या इनमें अनुसंधान की व्यवस्था करने वाली कोई शिक्षा संस्था," तो इनको पहले प्राथमिकता दी गई है, किन्तु इस तरह के झगड़ों और इन्हीं के नामों पर अब तक तमाम जमीन हड़पी गई है, यह हमारा पुराना अनुभव है। जो मंगलदेव विशारद ने अपना प्रतिवेदन दिया, उसमें भी ऐसी बातें कहीं गई हैं। विधेयक में जब इसको प्राथमिकता पाते हैं तो उद्देश्य और कारण का उससे कहाँ ताल-मेल रहता है, यह मैं समझने में असमर्थ हो जाता हूं।

फिर खण्ड १ (ख) है--'किसी ऐसे व्यक्ति की, जिसकी संघ के सशस्त्र बल में सक्रिय सेवा में रहते हुए शत्रु की कार्यवाही से मृत्यु हुई हो, मंडल में निवास करने वाली भूमिहीन विधवा, पुत्र, अविवाहित पुत्रियाँ तथा माता-पिता,' तो गांव में एक न्याय-पंचायत अदालत में नहीं--

पूरे मंडल में, इतना सिर्फ अधिकार मिल जाता है, लोगों को खेलने का, मनमानी करने का और इस तरह से नम्बर दो प्राथमिकता दी गयी है। यहां भूमिहीन खेतिहर मजदूर, हरिजन, आदिवासियों का प्रश्न नहीं उठता है।

फिर इसी तरह से नम्बर तीन देखिए--"(ग) मंडल में निवास करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति जो शत्रु की कार्यवाही से उस समय पूर्णतः विकलांग हो गया हो जब वह संघ के सशस्त्र दल में सक्रिय सेवा में था,"। (ग) में कोई भी नहीं है।

फिर (घ) चौथे नम्बर में है, "(घ) मंडल में निवास करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति जो भूमि अर्जन से सम्बन्धित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन अपनी भूमि अनिवार्यतः अर्जित किये जाने के परिणामस्वरूप निहित दिनांक को या उसके पश्चात् भूमिहीन हो गया हो,"। (क) से (घ) तक पढ़ें इसमें कहीं उसका नाम नहीं है। मैं नहीं समझ पाता हूं, उद्देश्य है कि हरिजन, आदिवासियों, खेतिहर मजदूरों को पचास प्रतिशत भूमि देने का और जो प्राथमिकता दी गई है (क) से (घ) तक उसमें कहीं नहीं आता है।

मैं पहले अपनी सफाई दे दूं। कह देंगे कि जो अपनी जान सेना में लड़ कर दे देते हैं, उनकी विधवा पत्नी और उनके बच्चों के बारे मे क्या ध्यान नहीं देंगे? फिर यह प्रश्न होगा, कि कोई सेना में रहा होगा, वह विकलांग हो गया उसके लिये हमारी कोई नीति नहीं होगी। निश्चित होगी। उनके पालन-पोषण, उनकी जीविका की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। लेकिन उनको इस लड़ाई में न घसीटा जाय। हरिजन, आदिवासियों से उनको लड़ाने का प्रयास न किया जाये। इस झगड़े को पूरी कमिश्नरी के अन्दर फैलाने की कोशिश न हो जो इससे साफ जाहिर होती है।

पांचवें नम्बर पर क्या-क्या करिश्मे होते हैं? पता नहीं मंत्री लोग क्या कर रहे हैं, एक दल की नीति होती है, जो दल की नीति निर्धारित करता है वह कभी देखा करता है या नहीं कि उस पर कितना अमल हो रहा है, उसमें क्या खामी है। (ङ) में है--"खंड (ग) में अभिदिष्ट व्यक्ति से भिन्न मंडल में निवास करने वाला कोई ऐसा भूमिहीन व्यक्ति--

"(१) जो खतिहर मजदूर हो और जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति का हो,"। इतना करने के बाद, "(२) जो संघ के सशस्त्र दल में किसी अधिकारी के रूप में सेवा से भिन्न सेवा से निवृत्त, विमुक्त अथवा उन्मुक्त हो,' नम्बर १ पर लाकर छोड़ देते, प्रथमिकता मिलती हरिजन, आदिवासी, और वह गांव का बसने वाला जो सचमुच खेतिहर मजदूर है। फिर है--"(३) जो स्वतंत्रता सेनानी हो और जिसे राजनीतिक पेंशन स्वीकृत न की गयी हो।" स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन मिलती है, मान लेता हूं कि बहुतों को नहीं मिली होगी तो उनको मिलनी चाहिए, दीजिये। लेकिन उनको इसमें क्यों घसीटा जा रहा है? फिर घसीट कर राजनीतिक पीड़ित लोगों को भूमिहीनों के बीच में क्यों खड़ा कर दिया जाता है, मेरी समझ में नहीं आता है। फिर मंडल के खेतिहर मजदूर के ऊपर मनमानी करने और खेलने का मौका दिया गया है और अगर कलक्टर न पसन्द करता हो तो मंडल के बाहर से ले आकर खड़ा कर दिया जाय। यह सब, सारी चीजें धारा १९८ में कर दी हैं। जो उस उद्देश्य में बिल्कुल विपरीत जाते हैं। मैं आरोप लगाता हूं, चाहे यह अनजान में ही हो रहा हो, लेकिन अनजान में होना सरकार के लिए बहुत खराब बात है। अनजान में इस तरह का कानून नहीं बनाना चाहिए। इसलिए माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है, उनसे अनुनय विनय के साथ, अनुरोध के साथ मेरा कहना है कि इसको प्रवर समिति को सौंप दें जो सारे प्राविजन्स को देख कर परिवर्तन करे जिससे आपके उद्देश्य की पूर्ति हो जाय, नहीं तो यह दस्तावेज राजनीतिक प्रचार मात्र रह जायगा, उनके अभीष्ट की प्राप्ति नहीं होगी।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मंत्री जी ने जो विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है उसके लिये मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। इसके द्वारा गरीबों को, खास तौर से ऐसे हरिजन जो बहुत दिनों से किसी जमीन पर आबाद हैं लेकिन वह जमीन उनके नाम से नहीं है और वहां जिन्होंने घर बना रखे हैं, उसके वे मालिक हो जायेंगे। यह मांग बहुत दिनों से चली आ रही थी, आज मंत्री जी उसको पूरा कर रहे हैं। इसके लिये मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। सरकार ने इसमें १५ मार्च, १९७४ तक का समय रखा है कि जिन लोगों ने इस अवधि में मकान बना लिये हैं, वे उसके मालिक हो जायंगे। मैं समझ नहीं पाता हूं कि १५ मार्च कौन सी तिथि है। हमेशा फसली वर्ष एक जुलाई से शुरू होता है इसलिये मैं चाहता हूं कि जो लोग ३० जून तक मकान बनाये हैं उसके वे मालिक हो जायं। यह उचित सुझाव है, इसको मान लेना चाहिये।

दूसरे सरकार अनुसूचित जातियों के लोगों को जो पट्टे दिये गये हैं, उनके हस्तान्तरण पर रोक लगा रही है। जिस समय मूल अधिनियम में यह संशोधन किया जा रहा था उस समय मैंने संशोधन रखा था कि अनुसूचित जनजातियों के साथ अनुसूचित जातियों के साथ भी यही बर्ताव होना चाहिये। लेकिन उस समय के रेवेन्यू मंत्री जी ने कहा कि इसमें संवैधानिक अड़चन होगी। लेकिन आज खुशी की बात है कि सरकार ने उस चीज को मान लिया है। गांवों में बहुत से लोग अनुसूचित जाति के नाम पर पट्टा ले लेते थे और तरमीम हो जाने के बाद उन लोगों से अपने नाम बयनामा करा लेते थे। इस तरह से भूमि वालों के पास ही वह भूमि पहुंच जाती थी, गरीब तथा हरिजनों के पास नहीं रह पाती थी। इसलिये जिस जमीन का पट्टा उनके नाम हुआ है वह उनके पास न रह कर दूसरे लोगों के पास पहुंच गई है। इसलिये जो संशोधन कर रहे हैं वह बड़ा उपयोगी है।

माननीय रामसेवक जी ने जो धारा १९८ के बारे में कहा है मैं उससे सहमत हूं मंत्री जी जो चार प्राथमिकतायें दे रहे हैं वह पहले से ही हमारे अधिनियम में मौजूद हैं। दूसरी ओर मंत्री जी ५० परसेंट हरिजनों को जमीन देना चाहते हैं जब वे प्राथमिकतायें पहले से ही मौजूद हैं तो जमीन कहां से मिल जायेगी। अगर मंत्री जी चाहते हैं कि हरिजनों को जमीन मिले तो मंगलदेव विशारद समिति ने जो सिफारिश की है उसको कर दें तो जमीन मिल पायेगी। मैंने भी संशोधन दिया है।

जोत चकबन्दी अधिनियम में यह संशोधन किया जा रहा है कि जिसका चक है वह उसको, उसके अंश को या पूरे चक को बेच सकता है। इसके द्वारा यह रुकावट लगाई जा रही है। मैं समझता हूं कि छोटे काश्तकार जो ५ बीघे के हैं या ३ १/८ एकड़ तक प्रतिबन्ध लगा दिया जाय कि वह हस्तान्तरण न करें। लेकिन यदि ज्यादा जमीन वाला हस्तान्तरण करना चाहता है तो मैं समझता हूं कि उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगना चाहिये। मंत्री जी यदि यह संशोधन कर दें तो गरीबों और हरिजनों का बहुत ज्यादा हित होगा और उस उद्देश्य की पूर्ति होगी जो इसके उद्देश्य और कारणों में दिया है।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)--

माननीय मंत्री जी जिस उद्देश्य से इस विधेयक को लाये हैं मैं उसका स्वागत करता हूं। मान्यवर, एक बात जरूर है जैसा श्री रामसेवक यादव ने संकेत किया, मेरी भी वही धारणा है। जमींदारी एबोलिशन और लैंड रेवेन्यू ऐक्ट के कानून बने हुए हैं। दोनों में जो प्राविजन हैं वह एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। मेरा विचार है उनको इसलिए मिला कर एक ऐक्ट बना दिया जाये। जमींदारी विनाश कानून में जो शब्दावली है उसमें भी भ्रम होता है। जैसे मंडल शब्द है। मंडल शब्द का प्रयोग गांव सभा से है। मेरा ऐसा विचार है कि श्री रामसेवक यादव जी इसे कमिश्नरी समझ कर बोल रहे थे। तो शब्दावली के कारण भ्रम पदा हो जाय ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और उनको बदलना चाहिये। मान्यवर, एक बात

की तरफ और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इसमें जो प्राविजन किए गये हैं कि निर्बल वर्ग को भी जमीन मिले, उनको रहने के लिये जमीन मिले, मकान बनाने के लिए जमीन दी जाय और उसके लिए प्राविजन किया गया है।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं कि जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट में मंडल यानी सर्किल का तात्पर्य गांव सभा से है।

"4-(3-A) Circle means, any area for which a Gaon Sabha has been established under the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947."

श्री भीखालाल--

एक चीज की तरफ आपका ध्यान और दिलाना चाहता हूं कि गांव समाज की जो जमीन है, जो हरिजनों को मिलनी चाहिए, उन पर अवैधानिक कब्जा है और उनको हटाने की कार्यवाही ११५-डी में होती है और जुर्माना किया जाता है। मालूम यह हुआ है कि जुर्माना हो जाता है और वह वसूल भी नहीं हो पाता है और कब्जा भी नहीं हटता है। जिला अधिकारी भी ऐसे कब्जे हटाने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं। रेन्ट कंट्रोल ऐक्ट में प्राविजन है कि अगर किसी मकान को एलाट किया गया है और उसमे कोई अवैधानिक रूप से रह रहा है तो पुलिस के जरिये उसको खाली कराया जा सकता है। उसी प्रकार से इसमें भी व्यवस्था होनी चाहिये कि किसी जमीन पर कोई अवैधानिक कब्जा है और वह कब्जा नहीं छोड़ता है तो अदालत के जरिये से कोई आदेश पुलिस को जाना चाहिये कि मौके पर जाकर कब्जा दिलाये। मैं समझता हूं कि किसी का अवैधानिक रूप से कब्जा है तो उस पर दफा ४४७ का जुर्म बनता है। तो जिले के पुलिस के जो उच्च अधिकारी होते हैं उनको प्रार्थना-पत्र देने के बाद उन पर तफतीश करने व सरकारी मुकदमा चलाने का आदेश जिला कप्तान देते हैं। इस तरह से अगर कोई ४४७ का जुर्म करता है, अगर किसी हरिजन की जमीन पर कोई अवधानिक कब्जा कर लता है तो ४४७ की इत्तला देने पर वह काग्निजेबिल अफेंस बना कर सरकार उन पर मुकदमा चलाये ताकि उन निर्बल लोगों की रक्षा हो सके और उनको कब्जा मिल सके। इसलिए मैं समझता हूं कि सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिये और कोई प्राविधान इस विधेयक में जहां कहीं भी उपयुक्त हो वह करें ताकि उनको सहायता मिल सके।

श्री रुद्र प्रसाद (जिला मिर्जापुर)--

अधिष्ठाता महोदय, यह जो विधेयक माल मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करते हुए मैं कुछ सुझाव माननीय माल मन्त्री जी के समक्ष रखना चाहूंगा। वह सुझाव जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि कुछ रेवन्यू लाज इतने हिस्सों में बंटे हुए हैं कि वह कहीं-कहीं एक दूसरे के कन्ट्राडिक्टरी होते हैं। लैन्ड रेवन्यू ऐक्ट, सीलिंग ऐक्ट, जमींदारी एबालीशन ऐक्ट और इस तरह से जितने रेवेन्यू लाज बने हैं और जब उन्हें पुरानी टेनेंसी ऐक्ट के सम्बन्ध में देखते हैं उनमें एक दूसरे के बीच असंगतियाँ हैं, जैसा कि माननीय सदस्य चुनार ने कहा है कि बार-बार संशोधन होने के कारण ऐक्ट में एक कन्फ्यूजन सा बन जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि बार-बार संशोधन करने से यह स्थिति हो गई है कि लगता है कि सरकार किसी एक नियत स्थान पर पहुंचने में या अपना माइंड बनाने में समर्थ नहीं हो पाई है, संशोधन तो होते रहते हैं।

आप देखेंगे कि यही लेजिस्लेचर है जहाँ पर लोगों के हितों की रक्षा के लिए एक कानून बनता है, वहाँ पर समाज में कुछ लोग उससे बचने के लिए उसका नाना प्रकार का अर्थ लगाते हैं और न्यायालय द्वारा बीच-बीच में इन्टरप्रेटेशन्स हुआ करते हैं, लिहाजा बार-बार संशोधन का आना इस बात का प्रतीक है कि हमारी सरकार बहुत सजग है। विधायिका जनता के अधिकारों की रक्षा करने के लिए है जैसा कि माननीय सदस्य, चुनार

[श्री रुद्र प्रसाद]

ने इस बात का सुझाव रखा कि जमींदारी विनाश ऐक्ट के ३३१ सेक्शन को हटाने की आवश्यकता है और उसमें संशोधन की आवश्यकता है। मैं उससे सहमत हूं, उसका कारण यह है कि बहुत से मुद्दे ऐसे होते हैं जो सिविल कोर्ट्स से तय होते हैं, बहुत से मुद्दे ऐसे होते हैं जो माल न्यायालय से तय होते हैं। तो नतीजा यह होता है कि ८ साल, १० साल माल के न्यायालयों से मुकदमा लड़ने के पश्चात् फिर सिविल कोर्ट में जाना ही पड़ता है, या उन्हीं बातों को लेकर रिट में हाई कोर्ट में जाना पड़ता है। इसके डालीशन में देर होने का यह मसला हल हो सकता है।

इसके साथ-साथ हाई कोर्ट ने अभी हाल में एक फैसला दिया है। उसके पहले भी फैसले हो चुके हैं, जिनमें उन्होंने कैंसिलेशन के और इजेक्टमेंट के सूट को कहा है कि यह सिविल के न्यायालय ही तय करेंगे और माल के न्यायालय को अधिकार नहीं दिया है। इसी तरह के एजेक्टमेंट के और कंसीलियेशन के तथा टाइटिल के मुकदमें होते हैं जो दीवानी अदालत से ही तय होने चाहिए। अभी हाई कोर्ट ने जुडिशियल अफसरों को वापस ले लिए हैं, अब एस०डी०ओ० को माल के मुकदमें देखने पड़ते हैं और वे ही माल न्यायालय बन गये। उनके पास काम इतना अधिक रहता है, उनको अन्य मामलों में इतना लगा दिया जाता है कि वे माल के मुकदमों को ठीक ढंग से न देख सकें। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि हर माल का मुकदमा सिविल न्यायालय को सौंप दिया जाय।

जिस समय सीलिंग ऐक्ट आ रहा था तो एक साल पहले से समाज में यह हो गया था कि बड़े-बड़े काश्तकारों की जमीन बचाना है। उन्होंने अपने जमीनों को ऐसे लोगों के नाम कर दिया जिन्हें पता भी नहीं कि जमीन उनके नाम है। हमारा जिला मिर्जापुर है जहाँ का इलाका पहाड़ी है। वहाँ पर बड़े-बड़े लोगों ने अपनी जमीनों को ऐसे लोगों के नाम कर दिया है जो खेती नहीं करते और उन्हें उसका कोई पता नहीं है। जमीन बचाने वाले खुद खेत बोते और जोतते हैं, लेकिन कागज में दूसरों के नाम दिखाये जाते हैं। मेरा निवेदन है कि इसकी जाँच के लिए एक ट्रिब्यूनल, जिस प्रकार कन्सेलिडेशन विभाग में है, बनाया जाय, न कि माल के तहसीलदार और जो एस० डी० ओ० हैं, उनके द्वारा पता लगावें कि किन-किन मामलों में ऐसा फ्राड किया गया है। और वह ट्राइब्यूनल सुओ मोटो कार्य करके निर्णय ले। पूरी जाँच करके, पूरे रिकार्ड्स का ओपरेश करके, वह जमीन जो फ्राड करके कानून से बचायी गयी है उनको मिलनी चाहिए जो भूमिहीन हों।

श्री लोकपति (जिला मिर्जापुर)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय राजस्व मन्त्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने यह संशोधन विधेयक सदन के विचार के लिए उपस्थित किया है लेकिन आपके माध्यम से माननीय राजस्व मन्त्री जी से यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि इसमें कुछ और चेंज करें, सुधार लायें। सेक्शन १९८ में भूमि प्रबन्धक समितियों को कुछ अधिक अधिकार १९५२ में दिये गये थे, जब जमींदारी एबालीश हुई। माननीय विशारद जी ने भी अपने प्रतिवेदन में कहा है कि ९० लाख एकड़ भूमि जमींदारी से निकली है और कुछ और भूमि जो वन की संज्ञा में चली गयी, उस से भी आज तक गाँव सभाओं के झगड़े चल रहे हैं और उन गाँवों से भी झगड़े चल रहे हैं, जो वनों के पास हैं। वन वाले कहते हैं कि हमारी जमीन है और गाँव वाले कहते हैं कि हमारी जमीन है। उस समस्या का निदान भी होना है।

सेक्शन १९८ में जब भूमि प्रबन्धक समितियों को अधिकार दिये गए तो उनके पट्टे कर दिए गये लेकिन वे उन लोगों के पक्ष में नहीं हुये जिनके पक्ष में सरकार की मंशा थी करने की और १९६७ में जब उत्तर प्रदेश में सरकार ने एक आदेश निकाला, उस समय संविद

सरकार थी, और १९६४ से १९६७ के बीच में पट्टे दिये गये और विशारद जी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ५ लाख पट्टे हुए और जिस में से १ लाख ८७ हजार नियमित पाये गये और १ लाख २३ हजार, जिनके ऊपर अदालत के द्वारा उनका अधिकार हो गया था। चूंकि अदालत का निर्णय हो चुका है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि अनियमित थे लेकिन इंगित यही होता है कि वे मुनासिब नहीं थे, उसमें मूल सुधार की आवश्यकता है। जब १९६४ से १९६७ के बीच में ५ लाख पट्टों में से ३ लाख के बारे में यह स्थिति है तो ५२ से ७० तक के बीच के पट्टों को खोला जाय तो उसमें कितने घपले निकलेंगे, यह आप सोच लें। जो शासन ने पत्र लिखा है उसके बारे में विशारद जी ने अपने प्रतिवेदन में लिखा है कि शासन को यह अधिकार नहीं है कि ३ साल से अधिक के पट्टे न खोलें, तो वह अधिकार किसका है ? यह इस सम्मानित सदन का है और सम्मानित सदन का कर्तव्य है कि कानून में परिवर्तन करे। १९५२ के बाद जितने पट्टे हैं उनको समाप्त करे।

एक सदस्य--

इस बात को मान लीजिये, मन्त्री जी।

श्री लोकपति--

वह सारी जमीन सरकार की हो गयी। आज होता यह है कि सड़क के किनारे जो मकान ऐसे होते हैं जो ५०-५०, १००-१०० और २००-२०० वर्ष पूर्व के बने हुए होते हैं और सरकार को अधिकार रहता है, उनको गिराकर सड़क चौड़ी कर दी जाती है क्योंकि सड़क के किनारे की जमीन सरकार की है, और जमींदारी अबोलीशन के बाद जब वह जमीन सरकार की हो गयी तो गाँव समाज एक माध्यम था सरकार का जिसके द्वारा जमीन का बटवारा किया जाता था, तो सरकार को उस कानून को बदलने में कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से राजस्व मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि अगर सचमुच इस संशोधन का मंशा है कि अनुसूचित जातियों, जन जातियों, आदिम जातियों को सचमुच कुछ जमीन उपलब्ध हो, तो वह उसी माध्यम से हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं अपने राजस्व मन्त्री जी को पुनः एक बार बधाई देता हूं।

*श्री प्रेम दत्त (जिला फतेहपुर)--

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं राजस्व मन्त्री जी के द्वारा जो संशोधन विधेयक पेश हुआ है उसका समर्थन करता हूं। मैंने विधेयक में देखा है कि किस तरह से जमीन अलाट होगी, उसमें स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, विकलांग और जो युद्ध में मारे जाते हैं, उनकी बिधवायें, हरिजन आदिवासी हैं और उसमें अनुपात भी है कि ५० परसेंट तो हरिजन और ५० में विकलांग और उनकी विधवायें आती हैं उनको मिलेगी। लेकिन जैसा कि और सदस्यों ने भी कहा, मेरी भी राय है कि जितने बिल हैं चाहे सीलिंग ऐक्ट, लैंड रेवेन्यू ऐक्ट या जमींदारी अबालीशन ऐक्ट इनका पूरा एक बिल बनाकर के पूरे संशोधन के साथ रखा जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे मुकदमे होते हैं जिनमें डुप्लीकेशन होता है। ३३/३९ लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, ३४ लैंड रेवेन्यू ऐक्ट जिसमें सक्सेशन होता है उसमें मुकदमें चलते हैं तहसीलदार के यहाँ और तहसीलदार के मुकदमे के खिलाफ रिवीजन होता है। रिवीजन प्वाइंट आफ ला पर होता है। होता यह है कि प्रायः तहसीलदार बेईमानी करते हैं, उनके फैसले फाइनल होते हैं, क्योंकि रिवीजन में जो लोग जाते हैं तो उनको प्वाइंट आफ ला पर बोर्ड तक जाना पड़ता है और बरसों लग जाते हैं, गलत तरीके से लोग मुकदमे चलाते हैं और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रेम दत्त]

फायदा उठाते हैं। इसलिए धारा ३ और ३४ में लैंड रेवन्यू ऐक्ट की अपील का प्रावीजन कर दिया जाय तो प्वाइंट आफ ला और प्वाइंट आफ फैक्ट पर अपीलेट अथारिटी सुन सके, इससे बहुत से लोग सेटिस्फाई हो जायेंगे।

दूसरी बात यह है कि मुकदमे करेक्शन आफ पेपर और सक्सेशन के चलते हैं तहसीलदार के यहाँ। उसके बाद २२९-डी में जाना पड़ता है डिक्लेरेशन कराने के लिए, तो मैं नहीं समझता कि इवीडेंस वही हैं, इवीडेंस ऐक्ट वही और इवीडेंस ऐक्ट के वही रूल्स फालो होते हैं, वही शहादत आती है और जब २२९-डी में जाता है कोई तो फिर वही करना पड़ता है। डिक्लेरेशन होता है। एक तरह से लग्जूरियस सूट हो जाते हैं और गरीब आदमी बड़ा असमर्थ हो जाता है और हार कर बैठ जाता है। तो दोनों प्रावीजन एक में कर दिया जाय और अच्छा हो कि डिक्लेरेटरी सूट में ही फैसला कर दिया जाय तो यह डुप्लीकेशन समाप्त हो जायगा।

इसके साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं कि जो सीलिंग ऐक्ट है इसमें जमुना जी से १६ किलोमीटर उत्तर तक बुन्देलखंड माना गया है। मैं दावे से कह सकता हूं कि मौके में देखा जाय तो मुश्किल से जमुना जी के उत्तर ४ या ५ किलोमीटर जमीन ऐसी है जोकि बुन्देलखंड की डेफिनीशन में आ सकती है यानी ढाई एकड़ बराबर १ एकड़ के। सीलिंग में ज्यादातर बड़े लोगों को फायदा पहुंच रहा है। अगर इसकी सीमा कर दी जाय तो लाखों एकड़ जमीन निकलेगी और वह गरीबों, भूमिहीनों को मिल सकती है। इसलिए इसका भी संशोधन होना बहुत आवश्यक है।

इसी प्रकार १९८ का मुकदमा चलता है। इसमें होता यह है कि आपने एल०एम० सी० को पावर दे दिया है कि प्रधान पट्टे नहीं करेंगे, वह पट्टे करते नहीं। डिप्टी साहब हुक्म देते हैं कि पट्टे नहीं करेंगे। तो मैं यह चाहूंगा कि यह सारी पावर एस०डी०ओ० को दे दी जाय।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

वह तो प्राविजन है कि अगर गांव सभा का कोई प्रधान अनियमितता करता है तो वहां का एस० डी० ओ० पट्टे कर सकता है।

श्री प्रेम दत्त--

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सब खत्म कर दिया जाय, पट्टे एस० डी० ओ० करें और उसके बाद आटोमेटिकली दाखिल खारिज हो जाय। होता यह है कि म्युटेशन प्रोसीडिंग्स में रुपये का बहुत लेनदेन चलता है। तो मैं चाहता हूं कि एस० डी० ओ० पट्टा करे और कब्जा दिला दे और उसके बाद अपने आप रेकार्ड में उसका नाम आ जाय। इस तरह से बहुत कुछ करप्शन समाप्त हो सकता है।

(लाल बत्ती जलने पर)

अब चूंकि समय नहीं है, लाल बत्ती हो गयी है लिहाजा मैं इतना ही कह कर बैठता हूं और चाहूंगा कि सरकार यह सारे कानून एक में कर के फिर से नया कानून लाये तब उसमें संशोधन लाया जाय। इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

(इस समय ३ बजकर ४६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

कामरेड चन्दन सिंह (जिला मथुरा)--

अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल पेश हुआ है मैं इसका समर्थन करते हुए कुछ ऐसी बातें माननीय मन्त्री जी को बता दूं क्योंकि जो इस विधेयक के बाद अधिनियम बनायें उसमें

उन चीजों को रख लें। गांव सभा पर आमतौर से भू-स्वामियों का ही कब्जा होता है और जो नियमानुकूल भूमिहीनों को पट्टे मिलने चाहिए वह मिलने से रह जाते हैं। अब गाँव सभाओं के नए चुनाव हो गये हैं। किसी गाँव सभा में यदि कहीं अच्छा सभापति था और उस गाँव सभा में भूमिहीनों के पक्ष के लोग थे और पट्टा होने में देर हो रही थी और सभापति और सदस्यों ने भूमिहीनों को विश्वास दिलाया कि पट्टा तुमको हो जायगा, तुम खेत पर कब्जा करो, कुंआ खोदो, बंधियाँ डालो और ऐसा अनेक जगह हुआ है कि भूमिहीनों ने कब्जा किया, कुंआ खोद लिया, बंधियाँ डाल लीं, काफी श्रम और पैसा भी लगाया, लेकिन इस चुनाव के बाद उस गाँव सभा पर किसी भू-स्वामी का कब्जा हो गया और उसका रूप बदल गया तो अब आम शिकायतें आ रही हैं कि वह भूमिहीन जो कब्जा किये था उसको पट्टा न करके किसी दूसरे भूमिहीन को पट्टा कर दिया और आपस में लड़ाई करने की स्थिति पैदा कर दी। तो ऐसा कोई प्राविधान हो सके तो वह किया जाय कि जिसने कब्जा किया और जिसे विश्वास दिलाया था उसी को पट्टा हो और नये भूमिहीन को दूसरी जमीन दी जाय या गाँव समाज दूसरी जमीन का तबादला करा के उसको पट्टा करे। गाँव सभा या भूमि व्यवस्था समिति को उसमें हम कहें तो ऐसा हो सकता है।

इसी तरह से कुछ और भूमिहीन लोग कब्जा किये बैठे हैं। कहते हैं कि पहले बेदखली करायी जाय, तब पट्टा हो सकेगा। मेरा निवेदन है कि ऐक्ट में कोई ऐसा प्राविधान किया जाय जिससे कि बेदखली कराना आवश्यक न हो। जिसकी जमीन है उसके नाम उसको रेगुलराइज कर दिया जाय और उसका पट्टा कर दिया जाय, फिर बेदखली की कार्यवाही न हो। ऐसी बहुत सी शिकायतें मिली हैं कि ४–५ साल पहले ऐसे लोगों के नाम से पट्टा हो गया है जिनके भूमि थी, उनका पट्टा नहीं होना चाहिये था। उस समय कोई हल्ला हुआ नहीं, इस लिये लोगों की नोटिस में यह बात नहीं आयी। पटवारी के कागजात में भी दर्ज हो गया। अब जब नोटिस में यह बात आयी तो प्रधान कोई कार्यवाही करने को तैयार नहीं है। तो ऐक्ट में इस तरह का प्राविधान होना चाहिये अगर कोई भूमिहीन यह प्रार्थना करे कि उस नोटिस में अब यह बात आयी है, पहले नहीं थी तो उस पर आवश्यक कार्यवाही बेदखली की होना चाहिये। जमीन भूमिहीन को मिलना चाहिये।

बुन्देलखंड में शिफ्टिंग कल्टीवेशन का कायदा है। २–३ साल तक लोग खेती करते हैं, फिर उसे छोड़ देते हैं। मेरा सुझाव यह है कि ऐक्ट में ऐसा प्राविधान होना चाहिये कि जो काश्तकार जमन ३ के असामी हैं और शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं उनको सीरदार घोषित कर दिया जाय। इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में मंत्री जी ने लिखा है कि हरिजनों के और अनुसूचित जाति के लोगों के लिये व्यवस्था करने के लिये यह विधेयक लाया गया है। श्रीमन्, मंगल देव विशारद कमेटी की रिपोर्ट पर जब बहस हो रही थी तब भी मैंने भूमि सम्बन्धी विषय पर अपने विचारों को जाहिर किया था। जितने भी कानून भूमि संबंधी आज तक पास हुये हैं उनको देखने से ऐसा लगता है कि जैसे सड़े हुये लिहाफ में सड़ा हुआ पैबन्द लगाया जा रहा हो। उस बहस के दौरान मैंने कहा था कि जितने भी भूमि सम्बन्ध कानून हैं उन सभी को निरस्त किया जाय और भूमि के मामले में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने के लिये कोई नया कानून लाया जाय।

इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में यह भी कहा गया है कि जिन लोगों के घर १५ मार्च, १९७४ तक बन गये हैं उनके बन्दोबस्त की व्यवस्था कर रहे हैं। जो गरीब हरिजन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री काशीनाथ मिश्र]

कानून नहीं जानता, वकील को फीस नही दे सकता, मुकदमा नहीं लड़ सकता, वह कैसे मकान में बने रह सकता है ? जब झगड़ा पैदा होगा तो वह कैसे लड़ सकेगा ? ९० प्रतिशत किसान आज जो खेती करता है कानून की पेचीदगियों को नहीं समझता। इसलिये जमींन का कानून सीधा-सादा होना चाहिये ।

पहले ४ तरह के जमींदार थे और जमींदारी अबालिशन के बाद भी सीरदार, भूमिधर, असामी आदि जो हैं, जिनको पढ़े-लिखे लोग भी ठीक से नही कह सकते, फिर जो शिक्षित नही हैं, वे इन सब बातों को कैसे समझ सकते हैं ? जैसा कि पहले भी माननीय मंत्री जी ने कहा है, जमीन का रिश्ता वे जोतनेवाले से जोड़ें और जो जहाँ चाहे अपना घर बना कर रहे। कोई भी व्यक्ति ऐसा न हो जो यह कहे कि हम उत्तर प्रदेश के अधिवासी हैं लेकिन अपना झोपड़ा डालने के लिये पास में एक कट्टा भी जमीन नहीं है। माननीय मंत्री जी को चाहिये कि वे एक ऐसा आदेश निकाल दें कि जहाँ कहीं कोई अपना घर बना ले, लेखपाल उसका इन्दराज दर्ज करे, या उसी को रेगुलराइज कर दे तो मैं समझता हूं कि संशोधन लाने की कोई जरूरत ही नहीं है। चाहे कोई हरिजन हो, खेतिहर मजदूर हो, उसकी मिल्कियत उसे बिल्कुल दे दी जाय जिससे उसका मालिकाना हक उस पर हो जाय। जो भी भूमिहीन हो, चाहे हरिजन हो या अनुसूचित जाति का हो वे सब अपना घर बनाकर उसके मालिक हो जायं ताकि यह कहने को न रहे कि उत्तर प्रदेश में किसी के पास घर नहीं है। यह ठीक है जैसा कि माननीय मंत्री जी का मकसद है कि हरिजनों को, अनुसूचित जातियों को जमींन मिलें, लेकिन जो कानूनी पेचिदगियाँ हैं उससे उनको अपदस्थ करने से कैसे रोक सकेंगे ? मंगल देव बिशारद कमेटी की रिपोर्ट में जिक्र है कि आज भी तीन-तीन और चार-चार हजार एकड़ के लोग मालिक बने हुये हैं। तो सारे के सारे जो बड़े-बड़े फार्म्स हैं उनको तोड़ना होगा और उन सारी जमींन का बन्दोबस्त करेंगे तब जाकर इस प्रदेश के अन्दर कोई समुचित व्यवस्था बन सकेगी। इन शब्दो के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, मैंने यह सोचा था कि मुझे इस विषय पर कुछ बोलना नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है कि यह पहला विधेयक इस सदन में है, जिसके बारे में बहुत दिनों के बाद सरकारी पक्ष के लोग और विपक्ष के लोग एक मत के हैं। और एक मत भी है कि यह संशोधन विधेयक अपूर्ण है, फिर से विचार करके तब लाना चाहिये और एक कंसोलिडेटेड ऐक्ट के रूप में आना चाहिये जिससे सारी भूमि व्यवस्था जो अब तक चली आ रही है, उसका उसमें समावेश हो और हर समस्या का समाधान हो। इसमें दोनों पक्ष एक मत के हैं। इससे यह निष्कर्ष निकला कि चाहे आप इसे प्रवर समिति के सुपुर्द करें या इसको विदड्रा करके फिर कोई दूसरा ऐक्ट लायें जिसमें ऐसी व्यवस्था हो कि जितने भी भूमि सम्बन्धी कानून हैं उन सबको कंसोलिडेट करके एक कानून बने। मैं नहीं जानता कि ऐसा दूसरा अवसर कब आयेगा जब कि दोनों पक्ष एक मत के हों। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी भी इसको मानेंगे और यही कहने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं कि इधर का या उधर का एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जिसने इसके पक्ष में बात न कही हो।

श्री काशीनाथ मिश्र जी ने इसको बहुत अच्छी तरह से रखा, मैं उतनी अच्छी तरह से नहीं रख सकता। एक मर्तबा घोषणा हो चुकी है इसी सदन में, शायद उस वक्त श्रीमती सुचेता कृपालानी जी थीं या त्रिपाठी जी थे-कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि शीघ्र ही एक कंसोलिडेटेड ऐक्ट भूमि सम्बन्धी लावें। रूलिंग हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की एक जनरल ला

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बनाया जाय। हर आदमी को अपना राइट निश्चित करने के लिये कानून की किताब को देखना पड़ता है और एक अच्छा वकील करने पर ही उसको राहत मिलेगी और न्याय मिल सकेगा। तो आखिर वह गरीब बेचारा कहां से उसके लिये पैसा लायेगा ? इसी पहलू पर बल देने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं कि माननीय मंत्री जी अगर सचमुच ग़रीबों को राहत देना चाहते हैं तो या तो इसको प्रवर समिति में भेजिये या स्वयं इसको विदड्रा करके अपने इनीसिएटिव पर एक विधेयक लाइये। मैं आपकी नीयत पर कोई शंका नहीं करता, लेकिन यह ठीक ही कहा गया कि आप हरिजन और अनुसूचित जाति या भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के नाम पर उस कानून में एक पैबन्द लगते जा रहे हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि कठिनाइयां दूर हों, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि आज आप एक कानून बनावें और दूसरे ही दिन आपके मस्तिष्क में आ जाय कि यह चीज बाकी रह गयी और फिर आप दूसरे संशोधन विधेयक लावें। मान्यवर, कोई भी सेशन ऐसा नहीं हुआ जिसमें भूमि-व्यवस्था के संबंध में संशोधन विधेयक न लाया गया हो, कोई सेशन नहीं बचा है। तो मान्यवर, मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि मंत्री जी इस पर बड़ी गम्भीरतापूर्वक विचार करें, फिर जो उचित हो उसको यहां पर लायें।

मान्यवर, मैं वर्किंग की बात कह रहा हूं। जो अपना ग्राम समाज है उसमें भी माननीय सदस्यों ने अभी अपने विचार रखे। इसके लिये आप भी समय लीजिये और विचार करिये और जितनी त्रुटियां हैं उनको दूर कीजिये।

कोर्ट के अधिकार क्षेत्र की बात अभी माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छी तरह से समझायी। मैं भी वकील रह चुका हूं, प्रैक्टिस कर चुका हूं, लेकिन अब छोड़ दिया है। मैं जानता हूं कि कितनी कठिनाइयां आती हैं, राइट्स का डिटरमिनेशन करने में। यह जो स्थिति है, जितने भी कोर्ट हैं वह कोई राहत नहीं दे पाते हैं, यह मेरा विश्वास है। इस दृष्टि से आप इस पर फिर से विचार करें।

माननीय सदस्यों ने मान्यवर, विरासत का जो प्रश्न है वह अभी रखा है। मान्यवर, म्यूटेशन के अनेकों केसेज आज पेंडिंग हैं, तहसीलदारों के यहां। आज रुपये के बल पर म्यूटेशन केसेज डिसाइड होते हैं। कोर्ट में जाकर राहत पायी जा सकती है, लेकिन २ गुना, ३ गुना पैसा खर्च करके। इसलिये इसमें भी संशोधन की जरूरत है। आप पहले विधि विशेषज्ञों से जरूरी राय ले लें और उसके बाद इसमें कोई संशोधन करें।

मान्यवर, अभी यहां पर ३३१ के बारे में माननीय सदस्यों ने कहा है। यहां पर कहा गया है कि इसको डिलीट कर दीजिये या फिर इसमें अमेंडमेंट कर दीजिये। मैं कहता हूं कि निश्चित रूप से आप विचार करें। इसमें संशोधन की आवश्यकता है।

मान्यवर, धूरधारा के बारे में कहता हूं। अभी बलिया में बाढ़ आयी है। यह बाढ़ राप्ती नदी से आयी। इस नदी के किनारे एक गांव डुमरिया है। इसका कुल रकबा १६०० बीघे का है। नदी की बाढ़ आते रहने से कटाव होने से, ९०० धारा के एक तरफ हो गया और ४०० एक तरफ हो गया है। लोग जाते हैं दूसरी तरफ जिधर उनकी जमीन रह गयी है तो उनको जोतने नहीं दिया जाता है। मान्यवर, इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये। आपने शायद कोई नोटिफिकेशन इस बारे में किया है, मुझे याद है। इस झगड़े के बारे धूरधारा के बारे में आप विचार करें।

मान्यवर, एक बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। सीलिंग ऐक्ट को उठा रहे हैं। अभी हाल ही में सीलिंग ऐक्ट पास हुआ है और अब उसम अमेंडमेंट ला रहे हैं। पता नहीं चलता कि आप अपने मस्तिष्क में कुछ निश्चय कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं ?

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

कहां-कहां संशोधन करना चाहिये, सोच नहीं पाते हैं। आपके मन में आया, सेक्रेटरी से बातचीत हुयी। फिर लीगल डिपार्टमेंट को गया, कानून बन गया। यहां पर तो आपका बहुमत है ही और संशोधन के रूप में आप पास तो करा लेते ही हैं। तो मेरा निवेदन है कि बड़ी गम्भीरता से पहले विचार करें फिर संशोधन लायें।

अभी भूमि-व्यवस्था के संबंध में जो कानून हैं उनको कन्सालीडेटेड करने की बात कही गयी है। मुझे याद है, एक सेक्रेटरी थे श्री अतहर हुसैन उन्होंने भी भूमि-व्यवस्था के संबंध में जो कानून हैं उनको कन्सालीडेट करने की बात कही थी। इस पर अमल किया जाय या फिर इसे वापस लेकर प्रवर समिति को भेज दें। इससे सदन की इच्छा की पूर्ति हो जायगी।

*श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

मान्यवर, एक दो मिनट में लूंगा। यह जो राजस्व मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है, मान्यवर, जब तक सरकार इस संबंध में कोई विचार नहीं करती तब तक जो यह कठिनाई है वह हल होने वाली नहीं है। मान्यवर, मैं एक उदाहरण प्रस्तुत कर दूं। मेरे देवरिया जनपद में एक रेवेन्यू आफिसर हैं जिनका नाम श्री ब्रह्मस्वरूप है। उन्होंने भूमिहीनों को गाँव समाज की जमीन नहीं दिया है। उन्होंने ऐसा किया है कि पूरे जनपद में एक तूफान मचा है। जितनी गाँव समाज की जमीन है वह खुले आम घूस लेकर बड़े आदमियों को दिया है। वे ए०डी०एम० (जे) पहले थे और रिटायर होने के बाद एक कत्ल के केस में जमानत ले लिया। ससे उन पर गम्भीर आरोप चल रहा है और जाँच सी०आई०डी० द्वारा की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी उनको एक्सटेन्शन मिल रहा है। हमारे देवरिया जनपद में कोई जमीन नहीं बची है जो कि भूमिहीनों तथा हरिजनों को प्राप्त हो सके। उस आफिसर ने लाखों भूमिहीनों के पेट में और पीठ में छूरा भोंक दिया है। हमारे परिवहन व न्याय मंत्री जी के पास में वह रहते हैं। उस बेइमान आफिसर के खिलाफ सुनने में आया है कि सरकार ने आम प्रशासनिक नीति का उल्लंघन करके फिर से उसको एक्सटेन्शन दिया जा रहा है। यह गम्भीर आरोप-पत्र उसके खिलाफ प्राप्त हुआ है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कितने भी कानून बनाये जायं लेकिन उन पर अमल न हो तो कागजी कानून का कोई प्रभाव नहीं होगा। यह सड़े-गले कानून बनाये जाते हैं। इसीलिये हमारे काशीनाथ जी का ठीक कहना है कि इन पर कब तक पैबन्द लगाते रहेंगे।

मान्यवर, कुछ जमीन नदियों के पेट में चली गई और कुछ जमीन बड़े लोगों के पास चली गई इसलिये मान्यवर, मेरा कहना है कि इसे एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय और जो उसके विशेषज्ञ हैं उनकी कमेटी बनाकर, दलगत भावना से उठकर, निष्पक्ष भाव से होकर उस पर विचार करें नहीं तो महाभारत और एक रक्त क्रांति हो जायेगी! अतः मैं पुनः अपील करता हूं कि इसे एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

*श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

मान्यवर, मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिये। कुछ माननीय सदस्यों ने तो सिर्फ बजट जैसा भाषण दे दिया जैसे कि ब्रह्मस्वरूप पर पहुंच गये और उनका केस बतलाने लगे। दूसरे जो सुझाव हुये वह एक भाषण के रूप में जैसे विशारद कमेटी में ये कमियाँ हैं, तो वह अलग चीज है। माननीय त्रिपाठी जी ने अच्छे सुझाव दिये और मैं उनका जवाब देता हूं। उन्होंने प्रथम यह रखा कि कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय। तो मैं त्रिपाठी जी से अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक से हरिजनों के अत्याचारों को हटाने में जितनी जल्दी से जल्दी ऐक्ट बन जाय तो बहुत अच्छा है। कमेटी को देने में जो हरिजनों के अधिकार आज से शुरू होते हैं बहुत दिनों बाद से शुरू हो सकते हैं। दूसरे जो कमियाँ इस रेवेन्यू ऐक्ट में हैं और पुराना

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उदाहरण दिया कि ऐसा विचार हुआ था। तो आप विश्वास रखें क्योंकि समय और होता है और मेरा विचार है कि जितने रेवेन्यू ऐक्ट हैं उनका एक कंसालीडेटेड ऐक्ट लावें और शायद आप अगले सेशन में उसका इस सदन में विचार कर सकें।

जो जो मूल सुझाव हैं उनके विषय में माननीय सदस्यों के सुझाव के बिना भी अपने विभाग के बारे में बराबर सोचा करता हूं कि रेवेन्यू विभाग में कौन सी क्रान्ति हो जिसकी वजह से हमारे जो दबाये हुये हैं या जो अनुचित लाभ लिये हुये हैं, उनको कैसे अलग किया जाय। बाकी जो हमारे माननीय सदस्य श्री माता प्रसाद जी ने कहा कि ५० प्रतिशत प्रायरिटी कैसे मिलेगी। तो इसके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें लास्ट में लिखा हुआ है कि उसकी सूची बनेगी और उस सूची में नम्बर एक पर हरिजन आते हैं उसमें से दो लिये जायेंगे, सूची नम्बर २ में से एक और सूची न० ३ में से एक। इस प्रकार ५० प्रतिशत हो गया। हमारे माननीय सदस्य श्री लोकपति जी ने कहा कि सन् ५२ से लेकर अभी तक जो पट्टे हुये हैं वह सब निरस्त कर दिये जायं, इस पर कुछ माननीय सदस्यों ने मेजें भी थपथपायीं।

यह मैं मानता हूं कि कुछ पट्टे जब ऐक्ट इन्कम्पलीट था नाजायज हो गये। जैसे सन् ४२ के आन्दोलन के जो स्वतंत्रता सेनानी थे जो भूमिवान होते हुये भी उनके पक्ष में पट्टे हो गये। बहुत से राजनैतिक पीड़ित जमींदार थे जिनके पास भूमि थी, अच्छे कमाने वाले थे, उन्होंने भी पट्टा ले लिया। लेकिन जब आपने प्रायरिटी निश्चित कर ली जो उसके बाद प्रायरिटी के अनुसार पट्टे हुये हैं और जो गलत पट्टे हुये वह हमारे अधिकारियों की अनियमितताओं या भ्रष्टाचार के कारण हुये हैं। आप सोचें कि सन् ६६ से ७१ तक ४,७२,४९४ पट्टे हुये हैं और हरिजनों को जो पट्टे हुये हैं वह शायद ८ या ९ लाख पट्टे हुये हैं। उन पट्टों में कुछ जायज और नाजायज भी हो गये होंगे, कुछ हरिजनों ने पट्टों के लिये अधिकारियों को रिश्वत भी दी होगी, यह भी हो सकता है कि कुछ हरिजनों ने जिन्होंने पट्टे लिये उन्होंने किसी दूसरे को बैनामा कर दिया हो, या लड़कों के नाम विरासत में आ गया हो, तो अगर वह सब पट्टे कैन्सिल कर दिये जायेंगे तो इससे केवल हरिजनों को नुकसान होगा दूसरों को नहीं हो सकता। इसलिये यह सुझाव लोकपति का मान्य न होगा। आपको मालूम होगा कि ऐसी भी व्यवस्था हुई कि सन् ६७ के पट्टे निरस्त हुये थे उसमें जो हरिजनों के पट्टे निरस्त हो गये थे, प्रायरिटी के बाद भी बहुतों को जमीन नहीं मिली ऐसा भी हो सकता है।

एक सुझाव रुद्र प्रसाद जी ने दिया कि एक ट्रिब्युनल बनना चाहिये। अब सवाल यह है कि कौन व्यक्ति उसमें होगा? अगर रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट के कर्मचारी ही शिथिलता करते हैं तो क्या गारन्टी है कि यह ट्रिब्युनल भी काम कर सकेगा? सब लोग तो वही हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम अलग से ट्रिब्युनल बना दें। हमें तो इन्हीं को तंगाई में लाना है और इस बात को करना है कि काम ईमानदारी से हो और जो इस काम में सहयोग न दें उनके साथ सख्ती होनी चाहिये। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्यों ने अच्छे सुझाव दिये हैं लेकिन जो संशोधन दिये हैं उनको वे वापस ले लें। मैं समझता हूं शायद इससे अच्छे संशोधन कमजोर समाज को फायदा पहुंचाने के लिये नहीं हो सकते हैं। अब जो आगे चीज होगी तो आगे उसके अनुसार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७४ को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जो अपनी रिपोर्ट १ माह में दे दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७४, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २ व ३

अध्याय २

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० ई० का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० १, १९५१ की धारा २ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० ई० जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा २ में, उप धारा (१) में, वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे आस्थान या उसके भाग के सम्बन्ध में जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में हो, इस उपधारा के अधीन कोई विज्ञप्ति ऐसी सरकार के परामर्श के बिना जारी नहीं की जायेगी।"

धारा ३ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ३ में —

(१) उपधारा (४) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्—

"(४) 'कलेक्टर' का तात्पर्य यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के उपबन्धों के अधीन कलेक्टर के रूप में नियुक्त अधिकारी से है और इसके अन्तर्गत प्रथम श्रेणी का ऐसा असिस्टेन्ट कलेक्टर भी है जिसे राज्य सरकार ने गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्राप्त कलेक्टर के सभी या किसी कार्य के सम्पादन का अधिकार किया हो,"

(२) उपधारा (२७) में शब्द "कलेक्टर" जहां वह पहली बार आता हो, निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ और ३ इस विधेयक के अंग माने जाँय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ४

धारा १२३ का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा १२३ को पुनः संख्यांकित करके उसकी उपधारा (१) कर दी जाय, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

"(२) यदि धारा १२२-ग की उपधारा (३) में अभिदिष्ट किसी व्यक्ति ने किसी खातेदार द्वारा (जो सरकारी पट्टेदार न हो) धृत किसी भूमि पर गृह निर्माण किया हो, और ऐसा गृह १५ मार्च, १९७४ को विद्यमान हो तो ऐसे गृह के स्थल का, इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, बन्दोबस्त खातेदार द्वारा ऐसे प्रतिबन्धों और खाते पर, जो नियत की जाय, ऐसे गृह के स्वामी के साथ किया गया समझा जायगा।

स्पष्टीकरण—उपधारा (२) के प्रयोजनार्थ, किसी खातेदार द्वारा धृत किसी भूमि पर १५ मार्च १९७४ को विद्यमान किसी गृह को, जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाय, उसके अध्यासी द्वारा, और यदि अध्यासी एक ही

परिवार के सदस्य हों तो उस परिवार के मुखिया द्वारा निर्मित किया गया न मान लिया जायगा ।"

श्री माता प्रसाद--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ में मूल अधिनियम की धारा १२३ की प्रस्तावित उप धारा (२) की पंक्ति दो में "किसी" के आगे शब्द "बाग या" बढ़ा दिया जाय। मान्यवर इसकी मंशा यह है कि इस विधेयक में यह रखा गया है कि धृत किसी भूमि पर गृह निर्माण किया हो। मान्यवर, बाग भी हैं जहां हरिजनों के मकान बने हुये हैं। जैसा इसमें है उससे यह लगता है कि जमीन पर मकान है तो मिल जायगा, लेकिन अगर बाग पर मकान है तो अधिकृत नहीं माना जायगा। इसलिये अगर बाग है और हरिजन का मकान बना हुआ है तो उसको भी अधिकृत माना जाय। मंत्री जी इसको मान लें तो मैं इसको वापस ले लूंगा ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

मैं समझता हूं ऐसा नहीं है। लेकिन अगर किसी बाग या हरिजन का खेत है तो उसका मालिक हो जायेगा ।

श्री माता प्रसाद--

चूंकि माननीय मंत्री जी आश्वाशन दे रहे हैं कि अगर हरिजनों का मकान बाग में बना हुआ है तो मान लिया जायेगा इस आश्वासन के बाद मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री माता प्रसाद--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन रखता हूं कि खंड ४ में मूल अधिनियम की धारा १२३ की प्रस्तावित उपधारा (२) की पंक्ति तीन में "१५ मार्च" के स्थान पर "३० जून" रख दिया जाय। मान्यवर, इसकी मंशा यह है कि फसली वर्ष एक जुलाई से शुरू होता है इसलिये १५ मार्च के स्थान पर ३० जून, १९७४ कर दिया जाय।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

इसकी जाँच हो चुकी है और दुबारा आगे डेट रखना संभव नहीं है। इसलिये यह मंजूर नहीं है।

श्री माता प्रसाद--

मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ४ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ५, ६, ७ तथा ८

धारा १५४ का प्रतिस्थापन

५--मूल अधिनियम की धारा १५४ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय अर्थात्--

"१५४--(१) उपधारा (२) में की गई व्यवस्था के सिवाय किसी, भी भूमिधर को चाय बागान से भिन्न कोई भूमि किसी व्यक्ति को विक्रय या दान द्वारा संक्रमित करने का अधिकार न होगा, यदि संक्रमिती उक्त विक्रय या दान के परिणाम स्वरूप प्राप्त तथा अपने परिवार द्वारा धृत भूमि को, यदि कोई हो, मिलाकर उत्तर प्रदेश में ५.०४ हेक्टर (१२.५० एकड़) से अधिक भूमि का हकदार हो जाय।

(२) भौमिक अधिकारों से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, राज्य सरकार उपधारा (१) में नियत सीमा से अधिक संक्रमण को प्राधिकृत कर सकती है, यदि उसकी यह राय हो, कि ऐसा संक्रमण किसी रजिस्टर्ड सहकारी समिति अथवा दानोत्तर प्रयोजन के लिये स्थापित किसी ऐसी संस्था जिसके पास अपनी आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त भूमि नहीं है,के पक्ष में है, अथवा संक्रमण जन-साधारण के हित में है।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनार्थ, पद "परिवार" का तात्पर्य संक्रमिती, उसकी पत्नी या उसका पति (जैसी भी दशा हो) और उसके अवयस्क बच्चे होंगे, और यदि संक्रमिती अवयस्क हो तो उसके माता-पिता भी होंगे।"

धारा १५६ का संशोधन

६--मूल अधिनियम की धारा १५६ में, उपधारा (२) में, उसका स्पष्टीकरण निकाल दिया जाय।

धारा १५७-क का संशोधन

७--मूल अधिनियम की धारा १५७-क में--

(१) पार्श्व शीर्षक, में शब्द "अनुसूचित आदिम जातियों" के स्थान पर शब्द "अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों" रख दिये जायें;

(२) उपधारा (१) में, जहाँ-कहीं भी शब्द "अनुसूचित आदिम जाति" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति" रख दिये जायें;

(३) उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्--

"प्रतिबन्ध यह है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का कोई भूमिधर, सीरदार या आसामी किसी जोत में अपने स्वत्व को (उत्तर प्रदेश कृषि उधार अधिनियम, १९७३ में यथापरिभाषित) कृषि प्रयोजनों के लिये वित्तीय सहायता के रूप में राज्य सरकार से तकावी के रूप में, या किसी सहकारी भूमि विकास बैंक से, या स्टेट बैंक आफ इंडिया से, या किसी अन्य ऐसे बैंक से जो रिजर्व बैंक आफ इंडिया ऐक्ट, १९३४ की धारा २ के खण्ड (ई) के अर्थान्तर्गत शेड्यूल्ड बैंक हों, या यू० पी० स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड से लिये गये ऋण के लिये प्रतिभूत के रूप में कब्जा रहित बन्धक द्वारा बिना ऐसी स्वीकृति क संक्रमित कर सकता है।"

(४) स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रख दिया जाय, अर्थात् :--

"स्पष्टीकरण--इस अध्याय में, पद 'अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों' का क्रमशः तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद ३४१ और ३४२ के अधीन उत्तर प्रदेश के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों से है।"

धारा १६९ का संशोधन

८--मूल अधिनियम की धारा १६९ में, उपधारा (२-क), में शब्द "अनुसूचित आदिम जाति" के स्थान पर शब्द "अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति" रख दिये जायं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ५,६,७ तथा ८ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ९ से २०

धारा १९८ का प्रतिस्थापन

९--मूल अधिनियम की धारा १९८ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्--

धारा १९५ और १९७ के अधीन व्यक्तियों को भूमि उठाने में अधिमान-क्रम

"१९८--(१) धारा १९५ या धारा १९७ के अधीन सीरदार अथवा असामी के रूप में व्यक्तियों को भूमि उठाने में (जिसे आगे या इस धारा में 'भूमि का प्रादेशन' कहा गया है), भूमि प्रबन्धक समिति, धारा १७८ के अधीन न्यायालय द्वारा दिये गये किसी आदेश के अधीन रहते हुये, निम्नलिखित अधिमान-क्रम का अनुसरण करेगी :--

(क) शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश या किसी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त तथा कृषि, औद्यानिकी अथवा पशुपालन में शिक्षा देने या इनमें अनुसंधान की व्यवस्था करने वाली कोई शिक्षा संस्था,

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति की जिसकी संघ के सशस्त्र दल में सक्रिय सेवा में रहते हुये शत्रु की कार्यवाही से मृत्यु हुई हो, मंडल में निवास करने वाली भूमिहीन विधवा, पुत्र, अविवाहित पुत्रियां तथा माता-पिता,

(ग) मंडल में निवास करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति जो शत्रु की कार्यवाही से उस समय पूर्णतः विकलांग हो गया हो जब वह संघ के सशस्त्र दल में सक्रिय सेवा में था,

(घ) मंडल में निवास करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति जो भूमि अर्जन से संबंधित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन अपनी भूमि अनिवार्यतः अर्जित किये जाने के परिणामस्वरूप निहित दिनांक को या उसके पश्चात् भूमिहीन हो गया हो,

(ङ) खण्ड (ग) में अभिदिष्ट व्यक्ति से भिन्न मण्डल में निवास करने वाला कोई ऐसा भूमिहीन व्यक्ति—

(१) जो खेतिहर मजदूर हो और जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति का हो,

(२) जो संघ के सशस्त्र दल में किसी अधिकारी के रूप में सेवा से भिन्न सेवा से निवृत्त, विमुक्त अथवा उन्मुक्त हो,

(३) जो स्वतंत्रता सेनानी हो और जिसे राजनीतिक पेंशन स्वीकृत न की गयी हो,

(च) मंडल में निवास करने वाला कोई अन्य भूमिहीन खेतिहर मजदूर,

(छ) मंडल में निवास करने वाला और जिसके पास १.२६ हेक्टर (३.१२५ एकड़) से कम भूमि हो, कोई भूमिधर, सीरदार या असामी,

(ज) किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का कोई ऐसा अन्य भूमिहीन खेतिहर मजदूर, जो मंडल में निवास न करता हो किन्तु यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ की धारा ४२ में अभिदिष्ट न्याय पंचायत सर्किल में निवास करता हो,

(झ) कोई अन्य व्यक्ति ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनार्थ—

(१) 'भूमिहीन' का अभिदेश किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास अथवा जिसके पति या जिसकी पत्नी अथवा अवस्यक बच्चों के पास भूमिधर, सीरदार, या असामी के रूप में कोई भूमि न हो, और खण्ड (घ) के सिवाय, प्रदेशन के दिनांक के ठीक पूर्व दो वर्ष की अवधि में भी इस रूप में कोई भूमि न रही हो, और

(२) 'खेतिहर मजदूर' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी जीविका का मुख्य साधन खेती संबंधी मजदूरी हो ।

(३) 'स्वतंत्रता सेनानी' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के ऐसे निवासी से है जिसके सम्बन्ध में कलेक्टर यह प्रमाणित करे कि उसने १९३० से १९४७ की अवधि में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है और उसके इस प्रकार भाग लेने के संबंध में इसी प्रकार का यह प्रमाण-पत्र दे कि:—

(क) उसने कम से कम दो माह की अवधि के लिये कारावास का दण्ड भोगा है, या

(ख) वह निवारक निरोध के अन्तर्गत अथवा विचाराधीन व्यक्ति के रूप में कम से कम तीन माह की अवधि के लिये जेल में रहा है, या

(ग) उसे कोड़ा लगाने के दण्डादेश का निष्पादन करने में दस बेंत लगाये गये हों, या

(घ) उसे फरार अपराधी घोषित किया गया हो, या

(ङ) वह गोली (बुलेट) की चोट से घायल हुआ है,

और इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो पेशावर कांड से सम्बद्ध था अथवा जो इंडियन नेशनल आर्मी या पूर्ववर्ती इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का अभिज्ञात सदस्य था, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे इस प्रकार

भाग लेने पर क्षमा याचना अथवा खेद व्यक्त करने के कारण क्षमा कर दिया गया हो।

(२) यदि उपधारा (१) के खण्ड (ङ) के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों को प्रदिष्ट करने के लिये उपलब्ध भूमि २ हेक्टर (४.९४२१० एकड़) से कम न हो और उक्त खण्ड के एक से अधिक उपखण्ड के अन्तर्गत आने वाले आवेदक उपलब्ध हों तो उक्त खण्ड के उपखण्ड (१), (२) तथा (३) के आवेदकों के लिये अलग-अलग सूची (जिसे आगे क्रमशः सूची एक, सूची दो और सूची तीन कहा गया है) तैयार की जायगी और सूची एक से दो व्यक्ति सूची दो से एक व्यक्ति और सूची तीन से एक व्यक्ति के पक्ष में प्रदेशन किया जायगा, और यह प्रक्रिया तब तक की जाती रहेगी जब तक कि उपलब्ध भूमि निःशेष न हो जाय:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि सूची दो या सूची तीन में एक से अधिक व्यक्ति के नाम हों, अथवा सूची एक में दो से अधिक व्यक्तियों के नाम हों तो ऐसे व्यक्ति जिनके पक्ष में प्रत्येक क्रमिक अवसर पर ऐसा प्रदेशन किया जाना हो पर्ची डाल कर चुने जायेंगे।

(३) उस भूमि, जो—

(१) उपधारा (१) के खण्ड (क) के अधीन किसी शिक्षा संस्था को प्रदिष्ट की जा सकेगी, का क्षेत्रफल प्रदेशन के ठीक पूर्व संस्था द्वारा धृत क्षेत्रफल को मिलाकर ५.०४ हेक्टर (१२.५० एकड़) से,

(२) उपधारा (१) के खण्ड (ख), खण्ड (ग), खण्ड (घ), खण्ड (ङ), खण्ड (च), खण्ड (ज) अथवा खण्ड (झ) के अधीन किसी व्यक्ति को प्रदिष्ट की जा सकेगी, का क्षेत्रफल १.२६ हेक्टर (३.१२५ एकड़) से,

(३) उपधारा (१) के खण्ड (छ) के अधीन किसी व्यक्ति को प्रदिष्ट की जा सकेगी, का क्षेत्रफल प्रदेशन के ठीक पूर्व ऐसे व्यक्ति द्वारा भूमिधर, सीरदार या असामी के रूप में धृत भूमि को मिलाकर १.२६ हेक्टर (३.१२५ एकड़) से, अधिक न होगा।

(४) कलेक्टर स्वप्रेरणा से और भूमि के प्रदेशन से क्षुब्ध किसी व्यक्ति के आवेदन पर ऐसे प्रदेशन के सम्बन्ध में नियत रीति से जाँच कर सकता है और यदि उसका यह समाधान हो जाय कि प्रदेशन अनियमित है तो वह—

(१) प्रदेशन तथा पट्टा, यदि कोई हो, निरस्त कर सकता है और तदुपरान्त प्रदिष्ट या पट्टे पर दी गई भूमि में प्रदेशन ग्रहीता या पट्टेदार अथवा उसके माध्यम से दावा करने वाले व्यक्ति का अधिकार, आगम तथा स्वत्व समाप्त हो जायगा और ऐसी भूमि गाँव सभा को प्रत्यावर्तित हो जायगी, और

(२) निदेश दे सकता है कि ऐसी भूमि पर कब्जा रखने या बनाये रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बेदखल करने के पश्चात् वह भूमि तत्काल गाँव सभा के कब्जे में दे दी जाय और इस प्रयोजनार्थ ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है अथवा करा सकता है जो आवश्यक हो।

(५) उपधारा (४) के अधीन कलेक्टर द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश, धारा ३३३ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा।"

धारा २४१ का प्रतिस्थापन

मूल अधिनियम में, धारा २४१ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्—

"२४१—किसी खाते पर निर्धारित मालगुजारी ऐसे खाते पर और उस पर खड़े वृक्षों या भवनों अथवा उसके लगान, लाभ या उपज पर भी प्रथम भार होगी।"

धारा २४३ का संशोधन

११—मूल अधिनियम की धारा २४३ में—

(क) उपधारा (१) में, शब्द "गाँव" के स्थान पर शब्द "खाते" रख दिया जाय।

(ख) उपधारा (२) निकाल दी जाय।

धारा २५७ का संशोधन

१२—मूल अधिनियम की धारा २५७ में,—

(१) उसका प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिया जाय।

(२) द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द "और यह भी प्रतिबन्ध है" के स्थान पर शब्द "प्रतिबन्ध यह है" रख दिए जायें।

धारा २५८ का निकाला जाना

१३—मूल अधिनियम की धारा २५८ निकाल दी जाय।

धारा २५९ का निकाला जाना

१४—मूल अधिनियम की धारा २५९ निकाल दी जाय।

धारा २७४ का निकाला जाना

१५—मूल अधिनियम की धारा २७४ निकाल दी जाय।

धारा २८६-क का संशोधन

१६—मूल अधिनियम की धारा २८६-क में—

(क) उपधारा (१) में शब्द "मालगुजारी की बकाया" के स्थान पर शब्द 'मालगुजारी की बकाया अथवा मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल की जाने योग्य कोई अन्य धनराशि' रख दिए जायें और सदैव से रखे गए समझे जायें,

(ख) उपधारा (३) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय और सदैव से बढ़ायी गयी समझी जाय, अर्थात्—

"(३-क) उपधारा (१) या उपधारा (३) के अधीन कोई आदेश, बाकीदार को कारण बताने का नोटिस दिये बिना और ऐसी नोटिस के उत्तर में किसी प्रत्यावेदन पर जो कलेक्टर को प्राप्त हो, विचार किये बिना न दिया जायगा:

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (१) या उपधारा (३) के अधीन कोई अन्तरिम आदेश ऐसी नोटिस जारी किये जाने के पूर्व या पश्चात् किसी भी समय किया जा सकता है:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी नोटिस जारी किए जाने के पूर्व कोई अन्तरिम आदेश दिया जाय तो वह आदेश समाप्त हो जायेगा यदि उस अन्तरिम आदेश के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर कोई नोटिस जारी की जाय।"

१७—मूल अधिनियम की धारा २८७ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :

नई धारा २८७-क का बढ़ाया जाना

'२८७-क. — (१) जब कभी किसी बकाया मालगुजारी को वसूल करने के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियाँ की जायें तो वह ऐसी कार्यवाहियाँ करने वाले अधिकारी को अभ्यापित धनराशि का अभ्यापत्ति के साथ भुगतान कर सकता है, और ऐसा भुगतान किये जाने पर कार्यवाहियाँ स्थगित कर दी जायेंगी और ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध ऐसी कार्यवाहियाँ की गई हों, इस प्रकार दत्त धनराशि के लिए राज्य सरकार के विरुद्ध सिविल न्यायालय में वाद ला सकता है, और ऐसे वाद में वादी, धारा २७८ के अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी धनराशि के, यदि कोई हो, जिसे वह देय मानता है, सम्बन्ध में साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है।

अभ्यापत्ति के साथ भुगतान और वसूली के लिए वाद

(२) इस धारा के अधीन किसी अभ्यापत्ति से कोई व्यक्ति किसी सिविल न्यायालय में तब तक वाद नहीं ला सकेगा जब तक अभ्यापत्ति जो लिखित रूप में और ऐसे व्यक्ति अथवा उसकी ओर से सम्यक् रूप से प्राधिकृत एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित हो, भुगतान करते समय न की जाय।"

१८—मूल अधिनियम की धारा ३३० के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्—

धारा ३३० का प्रतिस्थापन

"३३०—इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन की गई व्यवस्था के सिवाय, निम्नलिखित के सम्बन्ध में किसी दीवानी न्यायालय में कोई वाद या अन्य कार्यवाही नहीं की जा सकेगी—

(क) प्रतिकर निर्धारण तालिका में कोई इन्दराज या लोप, या

(ख) इस अधिनियम के भाग १ के अधीन दिया गया कोई आदेश, या

(ग) अध्याय १० के अधीन मालगुजारी का निर्धारण और उसकी वसूली।"

अध्याय ३

उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ का संशोधन

१९—उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ की धारा १ में, उपधारा (३) में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

उ० प्र० अधिनियम संख्या ९, १९५७ की धारा १ का संशोधन

"प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे आस्थान या उसके भाग के सम्बन्ध में जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में हो, इस उपधारा के अधीन कोई विज्ञप्ति ऐसी सरकार के परामर्श के बिना जारी नहीं की जायगी।"

अध्याय ४

कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९६० का संशोधन

उ० प्र० अधिनियम सं०१७, १९६० की धारा २ का संशोध

२०--कुमायूं तथा उत्तराखंड जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९६० की धारा २ में, वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खंड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्--

"अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे आस्थान या उसके भाग के सम्बन्ध में जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में हो, इस उपधारा के अधीन कोई ज्ञप्ति ऐसी सरकार के परामर्श के बिना जारी नहीं की जायेगी।"

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ९, १०, ११ १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २० इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २१

अध्याय ५

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ का संशोधन

उ० प्र० अधिनियम सं० ५, १९५४ की धारा ५ का संशोधन

२१--उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा ५ की--

(i) उपधारा (i) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जाय, अर्थात्

"(ii) चकबन्दी क्षेत्र में सम्मिलित अपनी जोत अथवा उसके किसी भाग का विक्रय, दान अथवा विनिमय द्वारा अन्तरण नहीं करेगा।"

(२) उपधारा (२) के निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय और पूर्व से बढ़ाया गया समझा जाय, अर्थात्--

"स्पष्टीकरण--उपधारा (२) के प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश अधिनियम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० के अधीन कोई कार्यवाही किसी भूमि के अधिकारों या स्वत्व के प्रख्यापन के सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं समझी जायगी।"

श्री माता प्रसाद--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड २१ में मूल अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (१) खंड (ग) के प्रस्तावित उपखंड (ii) की पंक्ति दो में शब्द, "करेगा" हटा कर उसके आगे यह वाक्यांश बढ़ा दिया जाय--

"किया जायगा, जिस व्यक्ति द्वारा कुल धृत भूमि १.३६ हेक्टेयर (३.१५ एकड़) से अधिक नहीं है।"

मान्यवर, चकबन्दी अधिनियम, १९५३ के अन्तर्गत अभी तक यह व्यवस्था थी जो व्यक्ति चाहता था अपने चक को अथवा उसके किसी अंश का बैनामा कर देता था। मैं

इस संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था कर रहा हूं कि वह अपने चक को अथवा उसके किसी अंश को हस्तान्तरित नहीं कर सकता। इस संशोधन के जरिये मेरा सुझाव है कि जिसके पास ३.१५ एकड़ जमीन हो यानी जो छोटा काश्तकार है वह अपने चक को अथवा उसके किसी अंश को आवश्यकता पड़ने पर हस्तान्तरित न कर सकेगा। शादी, कर्ज की अदायगी है अथवा अन्य जरूरियात की पूर्ति हेतु जो बड़ा काश्तकार है उसके ऊपर आप अवश्य कह दें कि वह अपने चक को हस्तान्तरित कर सकेगा।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

मुझे अफसोस है कि माता प्रसाद जी को छोटों को छोड़ कर बड़ों के साथ हमदर्दी हो गई है, इसलिए यह मान्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २१ में मूल अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (१) के खण्ड (ग) के प्रस्तावित उपखंड (ii) की पंक्ति दो में शब्द "करेगा" हटा कर उसके आगे यह वाक्यांश बढ़ा दिया जाय :-

"किया जायगा, जिस व्यक्ति द्वारा कुल धृत भूमि १.३६ हेक्टेयर (३.१५ एकड़) से अधिक नहीं है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड २१ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २२, २३ तथा २४

२२--मूल अधिनियम की धारा ११-ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्--

धारा ११-ग का बढ़ाया जाना

"११-ग--धारा ९-क के अधीन किसी आपत्ति या धारा ११ के अधीन अपील अथवा धारा ४८ के अधीन पुनरीक्षण कार्यवाहियों की सुनवाई के दौरान चकबन्दी अधिकारी, बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) अथवा चकबन्दी निदेशक, जैसी भी दशा हो, यह निदेश दे सकता है कि कोई भूमि जो राज्य सरकार या गाँव सभा अथवा किसी अन्य स्थानीय निकाय या प्राधिकारी में निहित हो, उसके नाम से अभिलिखित की जाय, भले हो ऐसी सरकार, गाँव सभा निकाय या प्राधिकारी द्वारा कोई आपत्ति, अपील या पुनरीक्षण दाखिल न किया गया हो।"

२३--मूल अधिनियम की धारा २७ में, उपधारा (३) के शब्द तथा अंक "और यू० पी० लैन्ड रेवन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा २८ और ३३ के उपबन्ध, यथास्थिति, ऐसे नक्शे, खसरा तथा अधिकार अभिलेख के रखे जाने पर लागू हों," के स्थान पर शब्द तथा अंक "और ऐसा नक्शा, खसरा तथा अधिकार अभिलेख के रखे जाने और उन्हें शुद्ध किये जाने के सम्बन्ध में यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे" रख दिए जायं।

धारा २७ का संशोधन

अध्याय ६

यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ का संशोधन

यू० पी० ऐक्ट सं० ३, १९०१ द्वारा १८२-क का संशोधन

२६—यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा १८२-क में—

(क) उपधारा (१) में शब्द "मालगुजारी की बकाया" के स्थान पर शब्द "मालगुजारी के बकाया अथवा मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल की जाने योग्य कोई अन्य धनराशि" रख दिए जावें और सदैव से रखे गये समझे जायें,

(ख) उपधारा, (३) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय और सदैव से बढ़ायी गयी समझी जाय, अर्थात्—

"(३-क)—उपधारा (१) या उपधारा (३) के अधीन कोई आदेश बाकीदार को कारण बताने की नोटिस दिये बिना और ऐसी नोटिस के उत्तर में किसी प्रत्यावेदन पर जो कलेक्टर को प्राप्त हो, विचार किये बिना न दिया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (१) या उपधारा (३) के अधीन कोई अन्तरिम आदेश ऐसी नोटिस जारी किए जाने के पूर्व या पश्चात् किसी भी समय दिया जा सकता है :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी नोटिस जारी किए जाने के पूर्व कोई अन्तरिम आदेश दिया जाय तो वह आदेश समाप्त हो जायगा यदि उस अन्तरिम आदेश के दिनाँक से दो सप्ताह के भीतर कोई नोटिस जारी न की जाय।"

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २२, २३ तथा २४ इस विधेयक के अंग माने जावें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक, १९७४

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० ई०, उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६, कुमायूं तथा उत्तराखंड जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९६०, उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ और यू०पी० लैण्ड रेवन्यू ऐक्ट, १९०१ का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित, अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय १

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, १९७४ कहलायेगा।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७४ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७४ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम - ५१ की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज नियम ५१ की ११ सूचनायें मिली हैं। एक श्री गंगा प्रसाद, श्री राम मूर्ति एवं श्री शिव प्रसाद गुप्त ने युवक रैली के सम्बन्ध में दी है...यह अस्वीकार किया गया है। एक सूचना श्री ओम प्रकाश सिंह ने दी है कि के० बी० स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मिर्जापुर के अध्यापकों एवं कर्मचारियों का बकाया वेतन दिया जाना···

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)--

मान्यवर, ८ महीने से उन्हें तनख्वाह नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष--

वेतन के बारे में स्पष्टीकरण हो चुका है, आप प्रश्न कर लें।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

आर्थिक स्थिति के कारण प्रबन्ध समिति ने इस्तीफा दे दिया है···

श्री अध्यक्ष--

एक सूचना माननीय मोहनलाल कपूर ने दी निगोहां, जिला लखनऊ के श्री शिशुपाल सिंह की गुण्डों द्वारा हत्या की गई। यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसे केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया है। अब हम केवल एक ही तो स्वीकार कर सकते हैं····

(एक सदस्य के कुछ पढ़ने पर)

आप अल्पसूचित प्रश्न कर लें।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

आप दो स्वीकार कर सकते हैं। अल्पसूचित प्रश्न स्वीकार नहीं होते हैं।

श्री अध्यक्ष--

एक दिन में केवल एक ही स्वीकार हो सकता है···

(व्यवधान)

एक सदस्य--

इलाहाबाद जिले में बहुत गड़बड़ है...

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, मैं एक सूचना देना चाहता हूं वह सरकार से सम्बन्धित है। हमारे माननीय सदस्य श्री त्रिवेणी सहाय जी ने मुख्य मन्त्री को लिखकर दिया है और उसमें यह कहा है कि उस मामले में अगर जाँच मुनासिब नहीं हुई तो वे १६ तारीख से इस सदन में या बाहर अनिश्चित काल के लिए अनशन करेंगे।

श्री अध्यक्ष--

आप उसी दिन उठावें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, मुझे कुछ नहीं कहना है और मैं जानता हूं कि समय का अभाव है लेकिन संक्षेप में बता दूं कि गोंडा में नोबरा गाँव और थाने के अन्तर्गत एक लड़के की हत्या कर दी गई है, लेकिन अभी तक उसकी जाँच नहीं हुई। यह नहीं बताया जा रहा है कि उसकी हत्या कैसे हुई--छुरे से हुई या भाले से हुई। अगर आप इस सम्बन्ध में जाँच का आश्वासन दें तो मैं उन्हें रोक दूंगा क्योंकि वे इस समय यहाँ पर नहीं हैं...

श्रम मन्त्री (श्री राज मंगल पाँडेय)--

मैं १७ तारीख की शाम को आपको सारी वस्तु-स्थिति से अवगत करा दूंगा और उसके बाद भी यदि आप कहेंगे तो मामले की जाँच के लिए भेज दूंगा, लेकिन आप जिम्मेदारी ले रहे हैं न कि वे अनशन नहीं करेंगे ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं कि यदि आप यह आश्वासन देते हैं तो वे अनशन नहीं करेंगे।

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)--

मान्यवर, मेरा आपके द्वारा यह निवेदन है कि हमारे मन्त्री जी स्वास्थ्य विभाग को भी सम्हाले हुए हैं लेकिन जो यह सी० पी० एम० टी० वाली बात है जिसमें लोगों की परीक्षाएं हुईं और नतीजे निकले और उच्च न्यायालय ने आरक्षण के लिए संविधान के विपरीत कहा और उसे अवैध घोषित किया और उससे तमाम दिक्कतें पैदा हो गयीं। तो अध्यक्ष महोदय, वह बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने पिछड़े वर्ग की उपेक्षा की, इनसे आप बयान दिलवायें या १५१ वगैरह में...

श्री अध्यक्ष--

हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है, उसके अनुरूप तो इनको चलना चाहिए, इसको तो आप भी मानेंगे।

श्री रामसेवक यादव--

लेकिन सरकार ने उस पर क्या किया है ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)--

इसमें दो रास्ते सरकार के पास हैं। सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील करे और दूसरा रास्ता यह है मुल्की रूल जिस बिना पर खत्म हुये थे। उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र

और ग्रामीण क्षेत्र में जो रिजर्वेशन था, रखा जाता था, उसको अवैध घोषित कर दिया गया है। इसका नतीजा यह है कि इसी वर्ष के नहीं, इस वर्ष के इस निर्णय के आधार पर पिछले वर्ष जो विद्यार्थी हैं जो चल रहे हैं, उनका भी भविष्य अन्धकारमय हो गया है, संविधान के इस दृष्टिकोण से उनकी स्थिति डाँवाडोल हो गई है। तो यादव जी ने जो सवाल उठाया है, उसमें मैंने एक दिन उठाया था और उन्होंने कहा था कि देख लेंगे, तो सरकार की तरफ से इस पर वक्तव्य आ जाय कि बच्चों का जो भविष्य अन्धकारमय होने जा रहा है, उसके विषय में वह कोई निर्णय ले लें, जिससे यह रुक सके।

श्री अध्यक्ष---

यह ५१ मैंने समाप्त कर दिया और अब दो निवेदन थे केवल, जो दूसरा मामला था। इस पर दुबारा लौटना ठीक नहीं है।

श्री रामसेवक यादव---

आप कोई उपाय निकालें आरक्षण को लेकर।

श्री अध्यक्ष---

ठीक है, आप इस पर एक बयान दे दें।

श्री राजमंगल पाँडेय---

जितनी चिन्ता आपको है, उससे कम चिन्ता हमको नहीं है। हाईकोर्ट का एक फैसला हुआ, उसकी सर्टीफाइड कापी मंगा ली गई है, उसके बाद उसको देख रहा हूं और सरकार के माध्यम से यदि कोई कन्साईलेशन हो सकता है हाईकोर्ट के फैसले का पालन करते हुए तो उसे अवश्य किया जायगा, जिससे बच्चों का भविष्य नष्ट न हो तो बहुत अच्छा होगा।

श्री रामसेवक यादव---

उसे पढ़ने के बाद आप यहाँ क्या कोई बयान देंगे, आप इसका आश्वासन दे दें।

श्री राजमंगल पाँडेय---

आज कैसे आश्वासन दे दूं। २२ के पहले इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दे दूंगा कि सरकार इस सम्बन्ध में क्या करने जा रही है और क्या करेगी।

ग्राम ऐली परसौली, थाना तरबगंज, जिला गोंडा में उच्च जातियों द्वारा हरिजनों तथा भूमिहीनों को पट्टे पर दी गयी ग्राम समाज की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्रम मन्त्री (श्री राजमंगल पाँडेय)---

ग्राम ऐली परसौली, तहसील तरबगंज, जिला गोंडा के अन्तर्गत खतौनी के अनुसार १७९५.३७ एकड़ भूमि ग्राम समाज की सम्पत्ति रूप में दर्ज है। इसमें से २७१.०४ एकड़ भूमि वर्ष १९७० में तत्कालीन परगनाधिकारी द्वारा सीरदारी पट्टे पर ८२ हरिजनों तथा भूमिहीनों को दी गई थी। यह बात सच नहीं कि २१ जुलाई, १९७४ को ग्राम प्रधान द्वारा सीरदारी पट्टे पर दी गई उक्त भूमि पट्टेदारों से जबरदस्ती छीनकर उच्च जाति के लोगों में बाँट दी गई और उन्होंने उस भूमि पर कब्जा कर लिया। उपरोक्त सीरदारी पट्टे पर दी गई भूमि घाघरा नदी के पेटे में है जो प्रतिवर्ष बाढ़ अथवा नदी कटाव

[श्री राजमंगल पांडे]

के कारण अपनी स्थिति तथा शकल बदलती रहती है। इस समय पट्टे पर दी गई भूमि का काफी भाग जलमग्न है।

यह बात भी सच नहीं है कि हरिजन लोग भय के कारण गाँव छोड़कर भाग रहे हैं। थाने पर २१ जुलाई, १९७४ तथा उसके पश्चात् इस प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई गई और न ही क्षेत्राधिकारी द्वारा ग्राम ऐली परतौसी में जाकर जांच करने पर ऐसी शिकायत पाई गई कि कोई हरिजन गाँव छोड़कर भाग गया है। ग्राम ऐली परसौली की वर्तमान स्थिति पूर्णतया सामान्य है।

शासन ने समय-समय पर हरिजनों की सुरक्षा के लिए आदेश जारी किये हैं जिसके अनुसार कार्यवाही की जाती है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

मान्यवर, मन्त्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, उसमें स्वीकार वह करते हैं कि इस समय पट्टे पर दी गई जमीन का काफी भाग जलमग्न है, फिर भी वह कहते हैं कि गाँव वासी अब भी मौजूद हैं, तो क्या वे डूब गये हैं या कहाँ हैं, क्या स्थिति है उनकी ?

श्री राजमंगल पाँडेय--

ऐसी जमीनें जो नदी के किनारे हैं उसको अमूमन खतरा रहता है, जब बाढ़ आयेगी तो खरीफ की फसल नहीं होती है, रबी की फसल अच्छी होती है। बाढ़ से कुछ फायदा भी होता है। ८२ काश्तकार जो हैं, उन सबों के नाम हैं कि किन-किन को जमीन दी हुई है। यह बात नहीं है कि जहाँ पर बहुत बड़े आदमी हैं वहीं पर जमीन दी गयी है। नदी की चपेट में जमीन है। बाढ़ नहीं आती है तो दोनों फसलें अच्छी होती हैं।

श्री बलदेव (जिला वाराणसी)--

क्या मंत्री जी बताएगें कि २७१.०४ एकड़ जमीन जो दी गयी है हरिजनों को कितने नम्बर में है ?

श्री राजमंगल पाँडेय--

मान्यवर, यह २७१.०४ एकड़ जमीन एक-एक आदमी को दी गयी है। श्री धनपति, पुत्र परसन केवट ३.१२ एकड़, श्री शिवटहल, पुत्र राम प्रसाद केवट ३.०६ एकड़, श्री श्यामलाल, पुत्र पाले केवट ३.१३ एकड़, श्री पाँचू, पुत्र हृदय केवट को ३.१२ एकड़ भूमि दी गयी। इस तरह से ८२ आदमियों के नाम हैं जिनको पट्टे दिये गये हैं। किस-किस को दी गई है, एक-एक आदमी का ब्यौरा है।

श्री बलदेव--

मेरा यह सवाल नहीं। जो जमीन दी गयी है उसमें कितने नम्बर हैं, खतौनी में ?

श्री राजमंगल पाँडेय--

बताया है कि १७९५.३७ एकड़ भूमि ग्राम समाज सम्पत्ति के रूप में दर्ज है। यह जमीन उसका हिस्सा है जो नदी के किनारे जमीन है जो काश्तकारों को दी गयी, जो गाँव समाज की सम्पत्ति थी।

एक सदस्य--

मैं जानना चाहूंगा कि १,५२४ एकड़ जो जमीन बची है, यही तो हरिजनों को नहीं दी गयी है, जिसके विषय म झगड़ा है ?

श्री राजमंगल पाँडेय--

इस जमीन पर किसी किस्म का झगड़ा नहीं, जमीन उनके कब्जे में है।

श्री भाभी (जिला आजमगढ़)--

मैं जानकारी चाहता हूं कि जितनी जमीन हरिजनों को पट्टे पर दी गयी है, ऐसा नम्बर तो नहीं है कि एक ही नम्बर में यह पट्टा दिया गया हो, उसी नम्बर में मिनजमला करके बड़े लोगों के नाम से कुछ जमीन लिखी हो जो उनके सिर पर यह जिम्मेदार हो, मिनजुमला रहने के नाते हरिजनों के साथ गड़बड़ तो नहीं की जा रही है।

श्री राजमंगल पाँडेय--

इस सम्बन्ध में अपने अधिकारियों से जाँच करायी। उन्होंने कहा कि जो जमीन दी गयी है उन्हीं के कब्जे में है, किसी दूसरे के कब्जे में नहीं है। तो छोटे और बड़े का प्रश्न कहाँ उठता है ?

श्री भाभी--

जो जमीन दी गयी उसका नम्बर क्या है ?

श्री अध्यक्ष--

वह तो ब्योरा हो गया।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

हरिजनों को दी जाने वाली जमीन अधिकांश नदी के गर्भ में विलीन हो जाती है, ऐसा ही तो नहीं है ?

श्री अध्यक्ष--

वह तो बताया कि नदी के गर्भ में ही है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

माननीय मन्त्री ने स्वीकार किया कि १७९५.३७ एकड़ जमीन ग्राम समाज में विहित हो गयी जिसमें २७१.०४ एकड़ हरिजनों को दी गयी जो दरियाबुर्द है। ऐसा तो नहीं है, १७९५ एकड़ में जो बाकी जमीन है, जो अच्छी जमीन है उनको न देकर जो खराब जमीन २७१ एकड़ उनको दे दी गयी है ?

श्री राजमंगल पाँडेय--

यह बात सही नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं, १६ तारीख को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ३९ मिनट पर शुक्रवार, १५ अगस्त १९७४ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१४ अगस्त, १९७४

नत्थी 'क'

[देखिए नियम ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२७५ पर]

तालिका

रामजानकी दिनकर इन्टर कालेज, जमालपुर, जौनपुर

वर्ष	कक्षा	विज्ञान छात्रों की कुल संख्या	छात्रों की संख्या जो उत्तीर्ण हुए
१९७२	१०	१४४	६७
	१२	२९	३
१९७३	१०	८९	३८
	१२	२१	१२
१९७४	१०	६३	१८
	१२	११	४

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बड़ेरी, जौनपुर ।

१९७२	१०	४३	१९
	१२	४	२
१९७३	१०	२७	१०
	१२	२	१
१९७४	१०	१५	५
	१२	५	१

अध्यक्ष पटेल सभा

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३८(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ३२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२९४ पर]

सन् १९७३-७४ में दिया गया ज्ञापन

सेवा में,

माननीय मुख्य मंत्री/शिक्षा मंत्री महोदय,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

विषय---प्रदेश के छः हजार शारीरिक शिक्षक अध्यापकों का शोषण बन्द हो।

महोदय,

निवेदन है कि उत्तर प्रदेश के छः हजार शारीरिक शिक्षकों की निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में प्रदेशीय सरकार से गत तीन वर्षों से बार-बार आग्रह किया जाता है किन्तु सरकार इन अध्यापकों की जायज मांगें भी नहीं मान रही है कृपया इन पर ध्यान देकर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत इन अध्यापकों के साथ भी न्याय करें और इन्हें शोषण से मुक्ति दिलायें :--

१० सूत्री मांगें :---

(१) इण्टर सी० थी० एड० की भांति अण्डर ग्रेजुएट एन०एफ०सी० को सी०टी० ग्रेड प्रशिक्षित स्नातक (सी०पी०एड०) बी० पी० एड०, डी०पी०एड०, एन०एफ०सी० यदि हाई स्कूलों में काम कर रहे हों तो स्नातक वेतन-क्रम तथा इण्टर कालेजों में पढ़ा रहे हों तो प्रवक्ता वेतनमान दिया जाय, चाहे वे स्नातकोत्तर परीक्षायें पास हों अथवा न पास हों, कैलेंडर में प्रवक्ता फिजिकल ट्रेनिंग की व्यवस्था होते हुए भी आज तक न तो नियुक्तियां की गयीं और न पदोन्नतियां हुयीं।

(२) डी०पी०एड० को कन्डेंस पी०जी०डी० (विज्ञान) की भांति प्रवक्ता वेतनमान के लिए व्यवहार में ग्राह्य माना जाय क्योंकि उत्तर प्रदेश में मास्टर आफ फिजिकल एजूकेशन की पढ़ायी नहीं होती,

(३) डी०पी०एड० और बी०पी०एड० को एल०टी० तथा बी०एड० की भांति प्रधानाचार्य के पदों के लिए ग्राह्य मानने का निर्देश दिया जाय,

(४) अधिकतम २५० (ढाई सौ) छात्र-छात्राओं के लिए प्रत्येक विद्यालय में एक शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति की जाय,

(५) शारीरिक शिक्षा अध्यापकों को भी बोर्ड की परीक्षाओं में परीक्षक नियुक्त किया जाय, यदि जिला विद्यालय निरीक्षक और एस०डी०आई० लोग परीक्षक हो सकते हैं तो जिन विषयों में इन अध्यापकों ने स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षायें पास की हैं उनमें उन्हें भी परीक्षक नियुक्त किया जाना चाहिए,

(६) इन अध्यापकों के द्वारा विद्यालय समय के बाद दिये जाने वाला खेलकूद का प्रशिक्षण एक अतिरिक्त काम है, अतः इन्हें कम से कम सौ रुपया प्रतिमास अतिरिक्त भत्ता दिया जाय,

(७) इन अध्यापकों द्वारा क्रीड़ा अधीक्षक के पद पर किया जाने वाला कार्य भी अतिरिक्त कार्य है। अतः इसके लिए उन्हें अतिरिक्त भत्ता दिया जाय जैसा कि अन्य विषय के अध्यापकों को पहले से इस कार्य के लिए दिया जाता रहा है,

(८) शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा मनोरंजन खेलकूद के नये नियमों तथा नवीन तकनिक की जानकारी के लिए प्रतिवर्ष एक पन्द्रह दिवसीय पुनः अभिस्थापन शिविर मंडलीय स्तर पर लगाया जाय और राष्ट्रीय खेलकूद सं थान में शिक्षकों द्वारा इन्हें प्रशिक्षित कराया जाय ।

(९) खेलकूद प्रशिक्षण के लिए शारीरिक शिक्षा अध्यापकों को निजी उपकरण तथा परिधानों की व्यवस्था की जाय और प्रशिक्षण काल में चोट आदि लगने पर विद्यालय क्रीड़ा फंड से इनकी चिकित्सा की व्यवस्था की जाय ,

(१०) उत्तर प्रदेश सरकार भी शारीरिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य शिक्षा के विषय में लिखित एवं प्रयोगात्मक परीक्षा की व्यवस्था करे , शिक्षा संहिता में अनिवार्य रूप से ऐसी व्यवस्था है , पाठ्यक्रम भी निर्धारित है , फिर भी वह विषय उपेक्षित है जिसके कारण प्रदेश शारीरिक क्षमता, स्वास्थ्य तथा खेलकूद के क्षेत्र में दिन प्रति दिन पिछड़ता जा रहा है ।

हम आशा करते हैं कि शिक्षाविद् माध्यमिक शिक्षा संघ के प्रदेशीय पदाधिकारी एवं शिक्षा सम्बन्धित समस्त अधिकारीगण शारीरिक शिक्षकों की उपरोक्त मांगों पर अविलम्ब ध्यान दें तथा उन्हें पूरी कर छः हजार शिक्षकों को राहत दिलायेंगे ।

भवदीय

लालता प्रसाद चतुर्वेदी,

एम०ए०, डी०पी०एड०,

जिला मन्त्री,

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ बस्ती,

सदस्य

अखिल भारतीय स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन अध्यापक संघ।

१/१०८ बानगंगा रोड,
शोहरतगढ़ (बस्ती), उ० प्र० ।

विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३०१ पर)

प्रश्न के पहले भाग के सम्बन्ध में सामग्री

माह जून, १९७४ में नलकूप मंडल, अलीगढ़ तथा तृतीय मंडल सिंचाई कार्य, आगरा में निम्नलिखित सहायक अभियन्ताओं / सहायक यान्त्रिक अभियन्ताओं के स्थानान्तरण किये गए--

क्रम-सं०	नाम	कहां से	कहां को
१	२	३	४
	सर्वश्री---		
१	प्रेम चन्द्र जायसवाल सहायक यांत्रिक अभियन्ता	नलकूप खंड द्वितीय, अलीगढ़	नलकूप मंडल, मैनपुरी
२	सत्य प्रकाश शर्मा सहायक यांत्रिक अभियन्ता	नलकूप मंडल, अलीगढ़	नलकूप खंड, शाहजहांपुर
३	रतनस्वरूप दुबलिश सहायक यांत्रिक अभियन्ता	नलकूप खंड प्रथम, अलीगढ़	सिंचाई कार्यशाला खंड, बरेली
४	उमेश चन्द्र तिवारी, सहायक अभियन्ता	नलकूप खंड द्वितीय, अलीगढ़	रामगंगा चैनल निर्माण खंड, मथुरा
५	आनन्द प्रकाश गुप्ता, सहायक अभियन्ता	हिन्डन वर्क्स डिवीजन, ओखला	ड्रेनेज डिवीजन, मेरठ
६	रमेशचन्द्र गुप्ता, सहायक अभियन्ता	राम गंगा चैनल निर्माण खंड, मथुरा	लोवर डिवीजन, आगरा कैनाल, आगरा
७	मनोहर गजवानी, सहायक अभियन्ता	लोअर डिवीजन आगरा कैनाल, आगरा	झांसी डिवीजन बेतवा, कैनाल झांसी
८	महेन्द्रपाल सिंह पंवार, सहायक अभियन्ता	मांट ब्रांच डिवीजन गंगा कैनाल, मथुरा	रामगंगा चैनल निर्माण खंड, मथुरा।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३०३ पर)

संलग्नक

वर्ष १९६९–७० से १९७३–७४ तक नहरों एवं नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्र का विवरण नीचे दिया जा रहा है :—

वर्ष		नहरों द्वारा (एकड़)	नलकूपों द्वारा (एकड़)	योग (एकड़)
१९६९–७०	..	२,७०,६८६	५,७८८	२,७६,४७४
१९७०–७१	..	२,७०,६८२	६,५९६	२,७७,२७८
१९७१–७२	..	२,८७,८३८	८,६२१	२,९६,४५९
१९७२–७३	..	३,२१,८५४	१०,३०५	३,३२,१५९
१९७३–७४	..	३,४८,९८१	९,३०८	३,५८,२८९

विधान परिषद सचिवालय

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३१७ पर)

बालकों के जूनियर हाई स्कूल

१--बपरी,

२--शिकार गंज,

३--बानापुर,

४--हरबनजूड़ा,

५--अबरोली,

६--मूसाखंड,

७--खंखड़ा

बालिकाओं के जूनियर हाई स्कूल

१--हिगुतरगढ़,

२--कन्या क्रमोत्तर टिकरी,

३--बराव,

४--कालिकाबाग,

५--बौराहरा,

६--चकई,

७--अनेई,

८--सहाबगंज।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ १३३६ पर)

उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) विधेयक, १९७४

कतिपय राष्ट्रपति अधिनियमों को निरसित तथा उन्हें कतिपय परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) अधिनियम, १९७४ कहलायेगा।

राष्ट्रपति अधिनियम संख्या ११, १९७३ संख्या १३, १९७३ संख्या १४, १९७३ संख्या १८, १९७३ संख्या १९, १९७३ तथा संख्या २०, १९७३ का निरसन तथा पुनः अधिनियमन

२—निम्नलिखित राष्ट्रपति अधिनियम, अर्थात्—

(क) उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास अधिनियम, १९७३ (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या ११, १९७३);

(ख) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम, १९७३ (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या १३, १९७३);

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अधिनियम, १९७३ (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या १४, १९७३)

(घ) उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति-सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) तृतीय संशोधन अधिनियम, १९७३ (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या १८, १९७३);

(ङ) उत्तर प्रदेश सिविल बिधि (संशोधन) अधिनियम, १९७३ (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या १९, १९७३); तथा

(च) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) संशोधन अधिनियम, १९७३ (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या २०, १९७३,)। एतद्द्वारा, निरसित, तथा अनुसूची में दिये गये परिष्कारों सहित पुनःअधिनियमित किये जाते हैं।

अनुसूची

(धारा २ देखिये)

क्रम-संख्या	राष्ट्रपति अधिनियमों के नाम	परिष्कारों का विस्तार
१	२	३
१	उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास अधिनियम, १९७३ (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या ११, १९७३)।	अधिनियम के शीर्षक में शब्द "भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा अधिनियमित" निकाल दिये जायें, तथा वर्तमान उद्देशिका के स्थान पर, शब्द "निम्नलिखित अधिनियम बनया जाता है" रख दिये जायें।

१	२	३
२	उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम, १९७३ (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या १३, १९७३)।	(क) अधिनियम के शीर्षक में, शब्द "भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा अधिनियमित" निकाल दिये जायें, तथा वर्तमान उद्देशिका के स्थान पर, शब्द "निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है" रख दिये जायें। (ख) अधिनियम की धारा २ में, पद "परिषद्", "कलेक्टर" तथा "विनियम" की, खण्ड (i), खण्ड (ii) तथा खण्ड (iv) द्वारा क्रमशः अन्तःस्थापित परिभाषाओं में, कोष्ठक तथा अक्षर, '(कक), (घघ)', और '(थथ)' के स्थान पर, कोष्ठक अक्षर तथा अंक '(क–१)', '(घ–१)' और '(थ–१)' रख दिये जायें।
३	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अधिनियम, १९७३ (राष्ट्रपति अधिनियम सं० १४, १९७३)।	अधिनियम के शीर्षक में, शब्द "भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा अधिनियमित" निकाल दिये जायें, तथा वर्तमान उद्देशिका के स्थान पर, शब्द "निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है" रख दिये जायें।
४	उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति-सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) तृतीय संशोधन अधिनियम, १९७३ (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या १८, सन् १९७३)।	(क) अधिनियम के शीर्षक में शब्द, "भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा अधिनियमित" निकाल दिये जायें तथा वर्तमान उद्देशिका के स्थान पर, शब्द "निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है" रख दिये जायें। (ख) अधिनियम की धारा २ में, खण्ड (क), में अंक तथा शब्द "३० सितम्बर, १९७४" के स्थान पर अंक तथा शब्द "३१ मार्च, १९७५" रख दिये जायें।
५	उत्तर प्रदेश सिविल विधि (संशोधन) अधिनियम, १९७३ (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या १९, १९७३)।	अधिनियम के शीर्षक में, शब्द "भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा अधिनियमित" निकाल दिये जायें, तथा वर्तमान उद्देशिका के स्थान पर, शब्द "निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है" रख दिये जायें।
६	उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिका व्यवस्था) संशोधन अधिनियम, १९७३ (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या २०, १९७३)।	(क) अधिनियम के शीर्षक में, शब्द "भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा अधिनियमित" निकाल दिये जायें, तथा वर्तमान उद्देशिका के स्थान पर, शब्द "निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है" रख दिये जायें। (ख) अधिनियम की धारा २ में शब्द "तीन वर्ष" के स्थान पर शब्द "तीन वर्ष और छः मास" रख दिये जायें।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास अधिनियम, १९७३, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम, १९७३, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अधिनिमम १९७३, उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति-सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) तृतीय संशोधन अधिनियम, १९७३, उत्तर प्रदेश सिविल बिधि (संशोधन) अधिनियम, १९७३, तथा उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) संशोधन अधिनियम, १९७३ राष्ट्रपति द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, १९७३ (केन्द्रीय अधिनियम संख्या ३३, १९७३) की धारा ३ के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करके अधिनियमित किये गये थे। संविधान के अनुच्छेद ३५६ के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की गई उद्घोषणा के प्रवृत्त न रह जाने के पश्चात् एक वर्ष की कालावधि की समाप्ति पर उपर्युक्त अधिनियम अनुच्छेद ३५७ (२) के अधीन प्रभावी न रह जायेंगे, जब तक कि उन्हें, उसके पहले ही, परिष्कारों सहित या बिना परिष्कारों के राज्य विधान मण्डल द्वारा पुनः अधिनियमित न करा दिया जाय।

यह प्रस्थापित है कि उपर्युक्त राष्ट्रपति अधिनियमों को कतिपय परिष्कारों सहित जो कि औपचारिक प्रकार के हैं, पुनः अधिनियमित किया जाय। उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति-सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) अधिनियम, १९७२ की अवधि ३० सितम्बर, १९७४ को समाप्त हो रही है। चूंकि इस बात की संभावना नहीं है कि शहरी सम्पत्ति पर अधिकतम सीमा से सम्बन्धित विधि उक्त दिनाँक तक अधिनियमित कर दी जाय, इसलिए यह प्रस्थापित है कि उक्त अधिनियम की अवधि को ३१ मार्च, १९७५ तक बढ़ा दिया जाय।

कृषि उत्पादन मण्डी समितियों का निर्वाचन करना सम्भव नहीं हो सका और वर्तमान व्यवस्था (जिसमें ऐसी समितियों की शक्तियाँ तथा कर्त्तव्य जिला मजिस्ट्रेट में निहित हैं) २९ अक्तूबर, १९७४ को समाप्त होने जा रही है। निर्वाचन कराने का प्रबन्ध किया जा रहा है किन्तु उक्त दिनाँक के पूर्व निर्वाचन पूरा होना सम्भव नहीं है। यह प्रस्थापित है कि वर्तमान व्यवस्था की अवधि को और छः मास तक के लिए अथवा समितियों का गठन होने तक के लिए, इसमें जो पूर्वतर हो, बढ़ा दिया जाय।

तद्नुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

हेमवती नन्दन बहुगुणा,
मुख्य मन्त्री।

नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ १३३७ पर)

उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली (संशोधन) विधेयक, १९७४

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ और उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, १९६१ का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

१--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश (गन्नापूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन) अधिनियम, १९७४ कहलायेगा। — संक्षिप्त नाम

२--उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ में, धारा १७ की उपधारा (३) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्-- — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २४, १९५३ ई० की धारा १७ का संशोधन

"प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रतिबन्धात्मक खण्ड के प्रारम्भ होने के पश्चात् खरीदे गये गन्ने के मूल्य की अदायगी न करने के संबंध में, अंक '७ १/२' के स्थान पर अंक '१२' रखा गया समझा जायगा।"

३--उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनिमि, १९६१ में, धारा ३ में-- — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ९, १९६१ की धारा ३ का संशोधन

(क) उपधारा (१) के खण्ड (ख) में शब्द "पचास पैसे" के स्थान पर शब्द "एक रुपये" रख दिये जायें;

(ख) उपधारा (१०) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्--

"(१०-क)--उपधारा (१) के खण्ड (ख) के अधीन लगाये गये कर में से उस सीमा तक जहाँ तक कि कर की दर प्रति क्विंटल गन्ने पर पचास पैसे से अधिक हो, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में, विधि द्वारा सम्यक् विनियोग किये जाने के पश्चात्, राज्य सरकार राज्य की संहृत निधि में से उतनी धनराशि निकालेगी जो पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान वसूल किये गये कर के आगम के आधे के बराबर हो, और उसे उपधारा (१०) के खण्ड (क) में उल्लिखित निधि में जमा करेगी।"; और

(ग) उपधारा (११) में, शब्द, अंक तथा कोष्ठक "उपधारा (१०) में" के स्थान पर शब्द अंक, अक्षर तथा कोष्ठक "उपधारा (१०) और उपधारा (१०-क) में" रख दिये जायं, और शब्द "उस उपधारा" के स्थान पर, शब्द, अंक तथा कोष्ठक "उपधारा (१०)" रख दिये जायें।

उद्देश्य और कारण

राज्य सरकार की सूचना में ऐसे अनेक मामले आये हैं, जिनमें फैक्टरियों के अध्यासियों ने सम्भरित गन्ने के मूल्य का भुगतान नहीं किया है। उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ की धारा १७ के अनुसार जहाँ गन्ना पाने के दिनाँक से पन्द्रह दिन से अधिक अवधि तक अदायगी न की जाय तो गन्ना पाने के दिनांक से ७ १/२ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय होता है। ऐसे व्यतिक्रमों को रोकने के लिये यह प्रस्ताव है कि उक्त दर को बढ़ा कर १२ प्रतिशत प्रति वर्ष कर दिया जाय।

अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उद्देश्य से, जिन्हें गन्ने की अधिक पैदावार देने वाली किस्मों के अनुसंधान एवं सुधार और विकास के लिये हाल में ही सृजित की गयी विशेष निधि के लिये अंशतः रखा जायगा, उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, १९६१ को संशोधित करने का प्रस्ताव है।

तदनुसार, यह विधेयक, पुरःस्थापित किया जाता है।

नारायण दत्त तिवारी,
भारी उद्योग मन्त्री।

० एस० यू० पी०—यू० पी० १४ वि० सभा—(१६८३)-१९७५—८४५ (प्रो०)।

उत्तर प्रदेश विधान सभा